छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल परीक्षा

सॉल्व्ड पेपर दिसम्बर, 2012

कक्षा—12वीं

विषय—राजनीतिशास्त्र

सेट-1

समय : 3 घंटे] **[पूर्णांक : 100**

निर्देश— (i) सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है।

(ii) प्रश्न क्रमांक 1 से 15 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित है।

(iii) प्रश्न क्रमांक 16 से 22 तक अतिलघु उत्तरीय प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित है।

(iv) प्रश्न क्रमांक 23 से 31 तक लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न पर 4 अंक निध. रित हैं। शब्द सीमा 50 शब्द।

(v) प्रश्न क्रमांक 32 से 38 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न पर 6 अंक निर्धारित हैं। शब्द सीमा 100 शब्द।

सही विकल्प चुनकर लिखिए

1. गाँधीजी के राजनीतिक गुरु थे—
   (अ) लिकॉक (ब) केतलिन (स) मैकाईवर (द) गोपाल कृष्ण गोखले।
2. द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद सम्बन्धित है—
   (अ) वाद (ब) प्रतिवाद (स) वाद-प्रतिवाद-संवाद (द) संवाद।
3. भारत में चुनाव प्रचार की न्यूनतम अवधि है—
   (अ) 13 दिन (ब) 14 दिन (स) 15 दिन (द) 16 दिन।
4. भारतीय संविधान में संघात्मक शासन का लक्षण नहीं है, उसकी पहचान कीजिये—
   (अ) स्वतन्त्र न्यायपालिका (ब) लिखित संविधान
   (स) शक्तियों का विभाजन (द) इकहरी नागरिकता।
5. राज्यपाल का अधिकार नहीं है
   (अ) प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना (ब) विधेयक पर हस्ताक्षर
   (स) अधिवेशन बुलाना (द) विधान सभा भंग करना।

उत्तर—1. (द), **2.** (स), **3.** (ब), **4.** (द), **5.** (अ)।

दिये गये शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिये—

प्रश्न 6. राष्ट्रपति शासन लागू होने पर राज्य सूची से सम्बन्धित विषयों पर.....द्व

ारा कानून बनाया जा सकता है। (विधानमण्डल, संसद, ग्राम सभा, नगरपालिका)

प्रश्न 7. .....राज्य सभा का पदेन सभापति होता है।

(प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष)

प्रश्न 8. अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक का संक्षिप्त नाम ..... है।

(विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, रेडक्रास, यूनेस्को)

प्रश्न 9. ताशकंद समझौता भारत और..... के बीच हुआ।

(श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, अमेरिका)

प्रश्न 10. ..... को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है।

(30 दिसम्बर, 20 दिसम्बर, 15 दिसम्बर, 10 दिसम्बर)

उत्तर—6. (संसद), **7.** (उपराष्ट्रपति), **8.** (विश्व बैंक), **9.** (पाकिस्तान), **10.** (10 दिसम्बर)

सत्य/असत्य लिखिए

प्रश्न 11. गाँधीवाद के प्रणेता कार्ल मार्क्स थे।

प्रश्न 12. मार्क्सवाद का जन्म पूँजीवाद के विरोध में हुआ।

प्रश्न 13. राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रधान होता है।

प्रश्न 14. क्रीमीलेयर वर्ग को आरक्षण की सुविधा प्राप्त है।

प्रश्न 15. चुनाव के बाद उम्मीदवार को 45 दिन के अन्दर चुनाव खर्चे का हिसाब-किताब आयोग को देना होता है।

प्रश्न 16. अमेरिका में द्विदलीय प्रणाली है।

प्रश्न 17. एल. ओ. सी. भारत चीन के मध्य स्थित है।

प्रश्न 18. भारतीय संविधान एकात्मक एवं संघात्मक दोनों ही हैं।

प्रश्न 19. डियो गोगार्सिया ब्रिटेन का नौसैनिक अड्डा है।

प्रश्न 20. जातिवाद प्रजातंत्र का बाधक तत्त्व है।

प्रश्न 21. संयुक्त राष्ट्र संघ के छः अंग हैं।

प्रश्न 22. भारत में चुनाव कार्यक्रम बीस दिनों का होता है।

उत्तर—11. (असत्य), **12**. (सत्य), **13.** (असत्य), **14.** (असत्य), **15.** (सत्य), **16.** (सत्य), **17.** (असत्य), **18.** (सत्य), **19.** (असत्य), **20.** (सत्य), **21.** (सत्य), **22.** (असत्य)।

लघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 23. राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र के किन्हीं चार विषयों को समझाइये।

उत्तर—राजनीति विज्ञान का क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है, इसके अध्ययन क्षेत्र में सम्मिलित विषय निम्नलिखित हैं—

(i) राज्य का अध्ययन—राज्य के विकास, राज्य के तत्वों, राज्य के कार्यों, राज्य की उत्पत्ति, राज्य के भूत, वर्तमान एवं भविष्य आदि का अध्ययन राजनीति विज्ञान में किया जाता है।

(ii) सरकार का अध्ययन—राजनीति विज्ञान में विभिन्न राज्यों के संविधान, सरकार का स्वरूप, संगठन, शासन-प्रणाली उसके विभिन्न अंगों में शक्ति विभाजन एवं अंगों के पारस्परिक

सम्बन्धों, उद्देश्यों एवं कर्त्तव्यों का अध्ययन किया जाता है।

(iii) मनुष्य का अध्ययन—मनुष्य राज्य की इकाई है। मनुष्यों के बिना राज्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती, अत: मनुष्य राजनीति विज्ञान के अध्ययन का मुख्य विषय है।

(iv) संघों एवं संस्थाओं का अध्ययन—प्रत्येक राज्य में अनेक समाजोपयोगी संस्थाएँ होती हैं जो नागरिकों के उत्थान एवं विकास के लिए कार्य करती हैं। इन संस्थाओं में राज्य एक सर्वोच्च संस्था होती है और अन्य सभी संस्थाएँ राज्य द्वारा ही नियन्त्रित होती हैं।

अथवा

प्रश्न—राज्य व सरकार में कोई चार अन्तर बतलाइये ?

उत्तर—राज्य और सरकार के बीच निम्नलिखित अन्तर हैं—

राज्य	सरकार
1. राज्य के पास स्वाभाविक अधिकार है।	1. सरकार को यह शक्ति राज्य के अधिकारों, शक्तियों और संविधान द्वारा प्राप्त होती है।
2. राज्य एक बड़ी इकाई है जिसमें इसके सभी नागरिक शामिल होते हैं।	2. सरकार एक छोटी इकाई है जिसमें सरकार को सुचारु रूप से चलाने वाले कर्मचारी होते हैं।
3. राज्य अमूर्त है।	3. सरकार इस पकिल्पना का मूर्त रूप है।
4. राज्य लगभग एक स्थायी संस्था है ऐसा इसलिए है क्योंकि यह तब तक कायम रहता है जब तक कि इस पर आक्रमण करके इसे किसी अन्य राज्य का हिस्सा न बना लिया जाये।	4. सरकार अस्थायी होती है क्योंकि यह बदलती रहती है; आज जो शासक हैं वे कल शासक नहीं भी हो सकते हैं।

प्रश्न 24. ''भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है।'' स्पष्ट कीजिए।

उत्तर—धर्मनिरपेक्षता शब्द 42वें संशोधन (1976) द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया है क्योंकि इसका उद्देश्य भारत को एक 'धर्मनिरपेक्ष राज्य' के रूप में प्रतिष्ठित करना है, इसीलिए भारत का कोई अपना 'राजधर्म' घोषित नहीं किया गया है। 'धर्मनिरपेक्ष राज्य' का अर्थ यह है कि भारत धर्म के विषय में पूर्णत: तटस्थ है, वह सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है, उन्हें समान संरक्षण प्रदान करता है। देश के समस्त नागरिकों को अपनी आस्था के अनुसार किसी भी धर्म को मानने, उपासना करने, प्रचार-प्रसार करने की पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान की गयी है। राज्य न तो किसी धर्म को प्रोत्साहन देगा और न धार्मिक नीतियों में हस्तक्षेप करेगा।

अथवा

प्रश्न—राज्य नीति-निर्देशक सिद्धान्तों के मार्ग में आने वाली प्रमुख बाधाओं को समझाइये।

उत्तर—नीति-निर्देशक सिद्धान्तों को लागू किये जाने के रास्ते में तीन बाधाएं हैं। इनमें से मुख्य हैं—1. राज्यों में राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव, 2. लोगों में जागरूकता एवं संगठन का अभाव, 3. सीमित संसाधन।

प्रश्न 25. भारतीय संघ में केन्द्र एवं राज्य के प्रशासनिक सम्बन्ध स्पष्ट कीजिये।

उत्तर—प्रशासनिक क्षेत्र में केन्द्र और राज्यों के बीच पूरा सहयोग बना रहे तथा उसमें

संघर्ष की स्थिति उत्पन्न न हो इसलिए कई अनुच्छेदों द्वारा केन्द्र राज्यों के प्रशासन पर नियन्त्रण रखने की शक्ति प्रदान की गई है–

1. केन्द्र सरकार राज्यों को निर्देश दे सकती है–केन्द्र को यह अधिकार गया है कि वह राज्यों को निर्देश दे सके कि उन्हें अपनी कार्यशक्ति का उपयोग किस प्रकार करना चाहिए।

2. राज्यों का एजेन्ट के रूप में उपयोग–राष्ट्रपति राज्य सरकारों को अपने एजेन्ट के रूप में कोई भी कार्य करने की जिम्मेदारी सौप सकता है।

3. नदियों के जल सम्बन्धी विवाद–संसद को यह अधिकार है कि नदियों के जल व बंटवारे से सम्बन्धित किसी विवाद को निबटाने के लिए उचित कानून बनाये।

4. अन्तर्राज्यीय परिषद् की स्थापना–केन्द्र व राज्यों के बीच सहयोग उत्पन्न करने के लिए यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति यदि चाहे तो अन्तर्राज्यीय परिषद् की स्थापना कर सकती है।

5. राज्यों में राष्ट्रपति शासन–जब राष्ट्रपति आपात् काल की घोषणा करते हैं तो राज्यों पर संघीय सरकार का पूर्ण नियन्त्रण स्था"त हो जाता है!

अथवा

प्रश्न–"भारतीय संविधान एकात्मक है।" चार तर्क देकर स्पष्ट कीजिये। राष्ट्रपति की किन्हीं दो संकटकालीन शक्तियों का वर्णन कीजिए।

उत्तर—भारतीय संघ में एकात्मक तत्व निम्नलिखित हैं—

1. संसद की विधायी शक्तियाँ बहुत व्यापक हैं—निम्नलिखित परिस्थितियों में संसद उन विषयों पर भी कानून बना सकती है जो राज्य सूची में दिए गए हैं—

(1) यदि राज्य सभा दो तिहाई बहुमत से यह प्रस्ताव पास कर दे कि राष्ट्रीय हित के लिए यह आवश्यक है कि संसद राज्य सूची में दिए गए किसी विषय पर कानून बनाये।

(2) दो से अधिक राज्यों के विधान मण्डल संसद को यह अधिकार दें कि वह राज्य सूची में शामिल किसी विषय पर कानून बनाए।

(3) राष्ट्रपति द्वारा आपात काल की घोषणा हो जाने पर।

2. संसद किसी भी राज्य का आकार घटा या बढ़ा सकती है—भारतीय संसद नवीन राज्यों का निर्माण कर सकती है और राज्यों के आकार को घटा या बढ़ा सकती है।

3. राज्यों के अपने संविधान नहीं है—अमेरिका और स्विट्जरलैण्ड में राज्यों के अपने अलग-अलग संविधान हैं परन्तु भारत में केवल एक संविधान है जो केन्द्र और राज्य दोनों की शक्तियों का उल्लेख करता है।

4. दोहरी नागरिकता का अभाव—भारतीय संविधान दोहरी नागरिकता के सिद्धान्त को भी स्वीकार नहीं करता। भारत में सभी देशवासियों के लिए ही नागरिकता है।

राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियाँ

भारतीय संविधान द्वारा आकस्मिक आपातों तथा संकटकालीन परिस्थितियों का सामना करने के लिए राष्ट्रपति को अपरिमित शक्तियाँ दी गयी हैं। संविधान के अनुच्छेद 352 से 360 तक तीन प्रकार के संकटों का अनुमान किया गया है—

1. युद्ध, बाह्य आक्रमण या आन्तरिक संकट—संविधान के अनुच्छेद 352 में लिखा गया है कि यदि राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि भारत अथवा उसके किसी भाग की सुरक्षा पर बाहरी आक्रमण और आन्तरिक संकट हो जाय या भारत अशान्ति आदि की सम्भावना से खतरे

में हो तो वह संकटकाल की घोषणा कर सकता है।

राष्ट्रपति के द्वारा घोषित संकट काल की घोषणा को दो महीने के अन्दर संसद के प्रत्येक सदन में प्रस्तुत करना आवश्यक है। आपात काल की घोषणा का प्रभाव 6 महीने तक रहेगा।

2. राज्यों में संवैधानिक व्यवस्था विफल होने पर—अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत यदि राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन द्वारा अथवा किसी अन्य सूत्र से यह समाधान हो जाय कि किसी राज्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी है जिससे उस राज्य का प्रशासन संविधान के उपबन्धों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है तो उसे यह शक्ति प्राप्त है कि राज्य के लिए आपातकाल की घोषणा कर दें। घोषणा का संसद द्वारा समर्थन करना आवश्यक है। संसद के समर्थन के बाद भी यह घोषणा 6 माह से अधिक प्रवर्तन में नहीं रहेगी।

3. वित्तीय संकट—यदि राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि भारत की आर्थिक स्थिरता अथवा साख को खतरा पैदा हो गया है तो वह वित्तीय संकट की घोषणा कर सकता है। यह घोषणा संसद के समक्ष 2 माह के भीतर रखी जायेगी। संसद की अनुमति से यह घोषणा अनिश्चित काल तक चल सकती है।

प्रश्न 26. आपात शक्तियों का मौलिक अधिकारों पर पड़ने वाले दो प्रभावों का वर्णन कीजिए।

उत्तर—आपातकालीन घोषणा का मौलिक अधिकारों पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है—

(i) आपात स्थिति के दौरान संसद ऐसे कानून बना सकती है जो मूल अधिकारों के विरुद्ध है।

(ii) आपात स्थिति में अन्य मौलिक अधिकारों को लागू किया जाना भी स्थगित किया जा सकता है।

प्रश्न 27. सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस प्रकार किया जाता है ? लिखिये।

उत्तर—सर्वोच्च न्यायालय का गठन निम्नलिखित तरीके से होता है—

1. न्यायाधीशों की संख्या कुल 26 है। जिसमें 1 मुख्य न्यायाधीश एवं 25 अन्य न्यायाधीश होते हैं।

2. संविधान के अनुच्छेद 142 (2) के अनुसार नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, नियुक्ति करने से पूर्व वह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों एवं उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों से परामर्श ले सकता है।

3. संविधान के अनुच्छेद 124 (3) के अनुसार उच्चतम, न्यायालय के न्यायाधीश के लिये निम्नांकित योग्यताएँ अपेक्षित हैं—(1) भारत का नागरिक हो। (2) जिसकी आयु 65 वर्ष से कम हो।

(3) जो भारत के किसी उच्च न्यायालय अथवा दो या दो से अधिक न्यायालयों में कम-से-कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पर रह चुका हो।

अथवा

किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक वकालत कर चुका हो।

अथवा

राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधेयक (कानून का ज्ञाता) हो।

4. प्रत्येक न्यायाधीश को अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति के समक्ष अपने पद की शपथ लेनी होती है।

अथवा

प्रश्न—उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, स्पष्ट कीजिए।

उत्तर—उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है

संविधान के अनुच्छेद 215 के अनुसार उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय भी है।

उसके फैसले व आदेश अभिलेख (रिकार्ड) के रूप में सुरक्षित रखे जाते हैं। उन्हें किसी भी अदालत में प्रमाण के रूप में पेश किया जा सकता है। अथवा जिन्हें ध्यान में रखकर ही समस्त अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीश निर्णय देते हैं।

प्रश्न 28. भारत में जातिवाद के चार दुष्परिणाम लिखिये।

उत्तर—जातिवाद के निम्नलिखित कुछ ऐसे दुष्परिणाम भी सामने आये हैं जो प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रहे हैं—

1. राष्ट्रीय एकता के घातक—जातिवाद राष्ट्रीय एकता के लिए घातक सिद्ध हुआ है। क्योंकि जातिवाद की भावना से प्रेरित होकर व्यक्ति अपने जातीय हितों को ही सर्वोपरि मानकर राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा कर देता है।

2. जातीय एवं वर्गीय संघर्ष—जातिवाद ने जातीय संघर्षों को जन्म दिया है। विभिन्न जातियों एवं वर्गों में पारस्परिक ईर्ष्या एवं द्वेष के कारण जातीय एवं वर्गीय ढंग से संघर्ष हो जाया करते हैं। राजसत्ता पर अधिकार जमाने के लिए विभिन्न जातियों के मध्य खुला संघर्ष दिखाई देता है।

3. राजनीतिक भ्रष्टाचार—सभी राजनैतिक दलों में जातीय आधार पर अनेक गुट पाये जाते हैं और वे निर्वाचन के अवसर पर विभिन्न जातियों के मतदाताओं की संख्या को आधार मानकर ही अपने प्रत्याशियों का चयन करते हैं।

4. नैतिक पतन—जातिवाद की भावना से प्रेरित व्यक्ति अपनी जाति के व्यक्तियों को अनुचित सुविधाएं प्रदान करने के लिए अनैतिक एवं अनुचित कार्य करता है। जिससे समाज का नैतिक पतन हो जाता है।

अथवा

प्रश्न—भारत में साम्प्रदायिकता के चार कारण लिखिये।

उत्तर—भारत में साम्प्रदायिकता को बढ़ने के लिए चार उत्तरदायी कारक निम्नलिखित हैं—

(i) धर्म की संकीर्ण व्याख्या—धर्म की संकीर्ण व्याख्या लोगों को धर्म के मूल स्वरूप से अलग कर देती है। धर्म की संकीर्ण व्याख्या साम्प्रदायकिता का कारण है।

(ii) सामाजिक मान्यताएँ—विभिन्न सम्प्रदायवादी धार्मिक मान्यताएँ एक-दूसरे से भिन्न हैं जो परस्पर दूरी का कारण बनती हैं। छुआछूत व ऊँचनीच की भावना सम्प्रदायवाद को फैलाती है।

(iii) राजनीतिक दलों द्वारा प्रोत्साहन—भारत के विविध राजनीतिक दल चुनाव के समय वोटों की राजनीति से साम्प्रदायिकता को प्रोत्साहन देते हैं।

(iv) साम्प्रदायिक संगठन—कुछ साम्प्रदायिक संगठन अपनी संकीर्ण राजनीति से लोगों के बीच साम्प्रदायिकता की भावना को भड़काकर अपने आपको सच्चा राष्ट्रवादी कहते हैं।

प्रश्न 29. अच्छे शासन का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसकी कोई तीन विशेषताएँ लिखिये।

उत्तर—शासन तब अच्छा बन जाता है जब सरकार के निर्णय और कार्य लोगों की सहमति वैधता और उत्तरदायित्व पर आधारित होते हैं। अच्छा शासन प्रक्रिया में उच्च गुणवत्ता से सम्बद्ध होता है।

आज के आधुनिक युग में एक अच्छा शासन जागरूक नागरिक और उत्तरदायी व संवैध. ानिक सरकार की ओर इंगित करता है। अच्छा शासन आज विकास की मुख्य संकल्पना है।

निम्न विशेषताएँ एक अच्छे शासन का निर्माण करती हैं—

1. कानून व्यवस्था, 2. लोक कल्याणकारी प्रशासन, 3. न्याय व तर्क के आधार पर निर्णय, 4. भ्रष्टाचार मुख्य शासन।

अथवा

प्रश्न—पर्यावरण की समस्यायें लिखिये। (कोई चार)।

उत्तर—पर्यावरण की कुछ विशेष समस्याएँ अग्रलिखित हैं—

(i) भूमि, वायु और पानी—भूमि और पानी के प्रदूषण ने पौधों, जानवरों और मानव जाति को प्रभावित किया है। अनुमान है कि प्रत्येक वर्ष लगभग पांच से सात मिलियन हेक्टेयर भूमि की हानि हो रही है। वायु और पानी के कारण मृदा अपरदन विश्व को बहुत महंगा पड़ रहा है। बार-बार बाढ़ आने से विशेष प्रकार की हानि होती है जैसे वन क्षेत्र का घटना, नदियों में गाद भरना, पानी निकासी का अपर्याप्त एवं त्रुटिपूर्ण होना, जान-माल की हानि इत्यादि। सभी प्रकार के नाभिकीय कचरे को सागरों में डालने से पूरा प्राकृतिक पर्यावरण प्रदूषित और विषाक्त हो गया है।

(ii) जनसंख्या में वृद्धि—जनसंख्या में वृद्धि का अर्थ है खाने और सांस लेने वाले अधिक लोग और इससे भूमि और जंगलों पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है जिससे अन्ततः पारिस्थितिक असंतुलन पैदा हो जाता है। हमारी बढ़ती जनसंख्या से भूमि पर बोझ पड़ता है। जनसंख्या में वृद्धि केवल प्राकृतिक पर्यावरण के लिए ही समस्या नहीं है। अ"तु यह पर्यावरण के अन्य पक्षों जैसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पक्षों के लिए भी समस्या है।

(iii) शहरीकरण—शहरीकरण भी प्रदूषण का एक बड़ा स्रोत है और पर्यावरण के लिए खतरा है। शहरीकरण का अर्थ है लोगों की शहर की ओर भागती भीड़। बढ़ते शहरीकरण की स्थिति में सफाई, बीमारी, आवास, जल आपूर्ति और बिजली की समस्याएँ निरन्तर बढ़ती रहती हैं।

(iv) औद्योगीकरण—औद्योगीकरण ने प्राकृतिक संसाधनों में भी कमी पैदा कर दी है। ऊष्मा प्रवाह, कार्बन डाइऑक्साइड, धूल कण, रेडियोधर्मी नाभिकीय कूड़ा कचरा और इसी प्रकार के अन्य प्रदूषकों के बढ़ते स्तर से पर्यावरणीय खतरा बढ़ा है। दूसरी ओर पारस्परिक ऊर्जा स्रोतों की खपत से प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास होता है।

प्रश्न 30. संयुक्त राष्ट्र संघ की दुर्बलता के कारण लिखिये। (कोई चार)।

उत्तर—संयुक्त राष्ट्र को अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में उतनी सफलता नहीं मिली हैं, जितनी की आशा की जाती थी। अन्तर्राष्ट्रीय जगत में अनेक ऐसी समस्याएं हैं, जिनका समाधान संयुक्त राष्ट्र नहीं कर सका। इस विफलता के निम्न कारण हैं—

(1) महाशक्तियों की गुटबन्दी—संयुक्त राष्ट्र के निर्माण के बाद ही विश्व दो गुटों में बंट गया था। एक पूंजीवादी गुट जिसका नेता अमेरिका था और दूसरा समाजवादी गुट जिसका नेता सोवियत संघ का दोनों ही गुटों ने अपने स्वार्थों की पूर्ति हेतु संघ के हितों की ओर ध्यान नहीं दिया।

(2) बाध्यकारी सत्ता का अभाव—संघ के पास कोई बाध्यकारी सत्ता नहीं है। यदि कोई सदस्य राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र के आदेशों की अवहेलना करता है तो उससे आदेशों को पालन करने के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ बाध्य नहीं कर सकता। उदाहरण के लिये वियतनाम में अनेक वर्षों तक भयंकर बमबारी करके अमेरिका ने मानवता के साथ भयंकर अपराध किया जबकि संयुक्त राष्ट्र मूक दर्शक बने रहे।

(3) संघ की सदस्यता सभी राष्ट्रों के लिए अनिवार्य नहीं—संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता सभी राष्ट्रों के लिए अनिवार्य न होने के कारण बहुत से राष्ट्र इसके सदस्य नहीं बने हैं एवं कुछ सदस्य राष्ट्रों ने इसकी सदस्यता त्याग भी दी है; जैसे—मलेशिया के प्रश्न पर इण्डोनेशिया संयुक्त राष्ट्र से पृथक हो गया।

(4) वीटो का अधिकार—संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्यों (अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन एवं चीन) को संघ में किसी भी प्रस्ताव पर वीटो करने का अधिकार है। अर्थात् किसी

प्रस्ताव के पारित होने के लिए प्रत्येक स्थायी सदस्य की राय एक होना आवश्यक है। इस कारण से कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय नहीं हो सकता। कोई न कोई सदस्य उसे वीटो कर देता है।

अथवा

प्रश्न—सुरक्षा परिषद् के कार्यों को लिखिये।

उत्तर— सुरक्षा परिषद् के कार्य व अधिकार

सुरक्षा परिषद् का मुख्य कार्य अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति व सुरक्षा बनाये रखना है। इसके लिए वह उन मामलों व परिस्थितियों पर तुरन्त विचार करती है, जो शान्ति हेतु खतरा पैदा कर रही है। चार्टर की धारा 33 से 38 तक धाराएं अन्तर्राष्ट्रीय झगड़ों के शान्तिपूर्ण निपटारे के सम्बन्ध में 39 से 51 तक की धाराएँ शान्ति को संकट में डालकर भंग करने एवं आक्रमण को रोकने की कार्यवाही के बारे में विस्तार से वर्णन करती हैं। संक्षेप में सुरक्षा परिषद् के कार्य निम्न प्रकार बतलाये जा सकते हैं—

(1) केवल सुरक्षा परिषद् ही शान्ति भंग करने वाले के विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकती हैं। यदि सुरक्षा परिषद् इस निर्णय पर पहुँचती है कि किसी परिस्थिति से विश्व शान्ति एवं सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो गया है, तो उसे कूटनीतिक, आर्थिक एवं सैनिक कार्यवाही करने का अधिकार है।

(2) सुरक्षा परिषद् के महासभा की अपेक्षा नये सदस्यों को सदस्यता प्रदान करने के क्षेत्र में निर्णयात्मक अधिकार प्राप्त हैं।

(3) राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद् की सिफारिश पर की जाती है।

(4) सुरक्षा परिषद् अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों के निर्वाचन का कार्य भी करती है।

(5) संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान के विषय में कई धाराएँ हैं। जब कोई विवाद सुरक्षा परिषद् के समक्ष निपटाने के लिये आता है तो परिषद् विवादित राज्यों को यह परामर्श देती है कि वे अपने विवादों को बिना शक्ति प्रयोग के शान्तिपूर्ण ढंग से निपटा लें।

(6) संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद् द्वारा कुछ पर्यवेक्षणात्मक कार्य महासभा के समान व्यापक नहीं हैं। सुरक्षा परिषद् अप्रत्यक्ष रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ के इस प्रकार के कार्यों का सम्पादन करती है।

प्रश्न 31. वैश्वीकरण के कोई चार दुष्परिणाम लिखिये।

उत्तर—वैश्वीकरण के बुरे प्रभाव निम्नलिखित हैं—

(i) विकसित देशों में निम्नतम विकसित देशों का सामान प्राथमिकता नहीं पाता।

(ii) हमारी जीवन-शैली निरर्थक उपभोक्तावाद की तरफ तेजी से बढ़ रही है।

(iii) वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप एड्स जैसी बीमारियों के फैलने के कारण एक साथ डरकर रह रहे हैं।

(iv) वैश्वीकरण के कारण ही विकासशील देशों पर कर्ज का बोझ बहुत बढ़ गया है।

अथवा

प्रश्न—शीतयुद्ध के समय द्विध्रुवीय व्यवस्था पर टिप्पणी लिखिये।

उत्तर— शीत युद्ध के समय द्विध्रुवीय व्यवस्था

द्वितीय विश्व युद्ध तक यूरोप विश्व व्यवस्था का रंगमंच बना रहा। यूरोपीय देशों ने आपस में गुट बनाकर यह सुनिश्चित किया कि कोई भी अकेला देश (जैसे कि फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी आदि) संसार पर अपना प्रभुत्व स्था"त न कर सके। इस प्रकार उत्पन्न इस व्यवस्था को शक्ति

का सन्तुलन कहते हैं। ब्रिटेन में इस नीति का बहुत लम्बे समय तक पालन किया। परन्तु यह तरीका प्रथम विश्व युद्ध के साथ ही बीसवीं सदी के प्रारम्भ में विफल हो गया। इसी बीच यूरोप से बाहर के उभरते हुए देशों; जैसे—अमेरकिा और जापान ने विश्व राजनीति की प्रकृति और कार्य क्षेत्र का प्रसार किया।

ग्रेट ब्रिटेन, सोवियत रूस और अमेरिका गुट के हाथों जर्मनी, जापान और इटली की हार के बाद द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। युद्ध के अन्तिम चरण में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर नाभिकीय बम गिराए। इस युद्ध ने दीर्घकालिक प्रभाव छोड़े, संयुक्त राज्य अमेरिका अपनी आर्थिक सम्पन्नता और सैन्य शक्ति के कारण नि:सन्देह इस युद्ध में विजय का श्रेय लेने वाला बना। यह भी महसूस किया जाने लगा कि युद्ध के बाद भी अमेरिका की सैन्य शक्ति और नेतृत्व की विश्व में शान्ति कायम रखने की आवश्यकता होगी। इसमें आश्चर्य नहीं है कि ब्रिटेन, फ्रांस और दूसरे यूरो"यन देश आर्थिक भरपाई और सैन्य सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर हो गए। युद्ध में विजय के लिए महत्वपूर्ण योगदान देने के कारण सोवियत रूस को भी कम नहीं आंका जा सकता। यह देश भी यूरोपीय मामलों में समान दावेदारी करता है।

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच यूरोप की शान्ति और स्थायित्व के मसले पर जोरदार मतभेद पैदा हो गये। इसके कारण राजनैतिक और सैद्धान्तिक थे। अमेरिका ने सरकार के प्रारूप के लिए प्रजातंत्र और मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने पर जोर दिया। दूसरी ओर सोवियत संघ ने साम्यवादी एक दलीय शासन और राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था में विश्वास किया और उस पर बल दिया। इन अन्तरों के कारण एक-दूसरे के बीच भय की भावना उत्पन्न कर दी। इस प्रकार युद्ध के बाद विश्व का द्वि-ध्रुवीय चरण आरम्भ हो गया। अमेरिका और सोवियत संघ दो विरोधी ध्रुव बने जिनके इर्द-गिर्द यूरोपीय राजनीति घूमने लगी। जहाँ पश्चिमी यूरोप के देशों ने अमेरिका का साथ दिया और स्वयं को मुक्त विश्व की संज्ञा दी वहीं दूसरी ओर पूर्वी यूरोप के देश सोवियत संघ के नेतृत्व वाले समाजवादी शिविर का हिस्सा बन गए। अमेरिका और सोवियत संघ दो महाशक्तियों के नाम से विख्यात हो गए।

प्रश्न 32. राजनीति विज्ञान का शाब्दिक अर्थ स्पष्ट करते हुए परम्परागत राजनीतिक दृष्टिकोण को परिभाषा सहित समझाइये।

उत्तर—राजनीति विज्ञान का अर्थ—राजनीति विज्ञान शब्द समूह अंग्रेजी भाषा के Political Science शब्द समूह का हिन्दी रूपान्तरण है, जो Politics (पॉलिटिक्स) शब्द बना है। (Politics) शब्द की व्युत्पत्ति यूनानी भाषा के Polis शब्द से हुई है, जिसका उस भाषा में अर्थ है—नगर राज्य, नगर-राज्यों की स्थिति, कार्य प्रणाली एवं अन्य गतिविधियों से सम्बन्धित विषयों का अध्ययन करने वाले विषय को ग्रीस निवासी 'पॉलिटिक्स' कहते थे। वर्तमान में राजनीति विज्ञान मनुष्य के उन कार्य-कलापों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, जिनका सम्बन्ध उसके जीवन के राजनीतिक पहलू से होता है।

गार्नर के अनुसार—''राजनीति विज्ञान की उतनी ही परिभाषाएँ हैं जितने कि राजनीति के लेखक हैं।''

फिर भी अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से राजनीति विज्ञान की विभिन्न परिभाषाओं को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—

1. परम्परागत दृष्टिकोण—इन्हें तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—

(1) राजनीति विज्ञान केवल 'राज्य के अध्ययन हैं।'

डॉ. गार्नर के अनुसार—''राजनीति विज्ञान के अध्ययन का आरम्भ-अन्त राज्य के साथ

होता है।

(2) राजनीति विज्ञान केवल सरकार का अध्ययन है।

लीकॉक के अनुसार—''राजनीति विज्ञान सरकार से सम्बन्धित है। उस सरकार से जिसका आधार व्यापक अर्थ में प्राधिकार का मूलभूत विचार है।''

(3) राजनीति विज्ञान 'राज्य और सरकार' दोनों का अध्ययन

गिलक्राइस्ट के अनुसार—''राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन करता है।''

2. परिभाषा सम्बन्धी आधुनिक (व्यवहारवादी) दृष्टिकोण

लासवेल के अनुसार—''राजनीति विज्ञान का अभीष्ट वह राजनीति है जो यह बताये कि कौन, क्या, कब और कैसे प्राप्त करता है।''

रॉबर्ट ए. डहन कहते हैं—''किसी भी राजनीति व्यवस्था में शक्ति, शासन अथवा सत्ता का बड़ा महत्व है।''

संक्षेप में—राजनीति विज्ञान मनुष्य के उन कार्यकलापों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है जिनका सम्बन्ध उसके जीवन के राजनीतिक पहलू से होता है तथा उस अध्ययन में वह मनुष्य के जीवन के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, नैतिक आदि सब पहलुओं के पारस्परिक प्रभावों का अध्ययन करते हुए यह देखता है कि मनुष्य के जीवन को राजनीतिक पहलू उसके अन्य पहलुओं का और अन्य पहलू उसके राजनीतिक पहलू को परस्पर किस रूप में प्रभावित करते हैं।

अथवा

प्रश्न—राजनीति विज्ञान का क्षेत्र व्यापक है। इस कथन की पुष्टि हेतु छः तर्क दीजिये।

उत्तर—राजनीति विज्ञान का क्षेत्र—राजनीति विज्ञान के क्षेत्र का पर्याय इसकी विषय-वस्तु है, परन्तु राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के विषय-वस्तु पर राजनीतिक वैज्ञानिक एकमत नहीं है। सभ्यता, संस्कृति तथा विकासशीलता के कारण राजनीति विज्ञान का क्षेत्र परिवर्तनशील रहा है।

इस प्रकार राज्य, सरकार और मानव तीनों ही राजनीति विज्ञान के अध्ययन की विषय वस्तु है। इन तीनों में से किसी एक के बिना भी राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को पूर्णत्व प्राप्त नहीं हो सकता।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में सम्मिलित विषय सामग्री निम्नवत् है—

1. राज्य का अध्ययन

राजनीति विज्ञान के अध्ययन का प्रमुख तत्व राज्य है, क्योंकि **डॉ. गार्नर** ने तो यहाँ तक लिखा है, ''राजनीति विज्ञान के अध्ययन का आरम्भ और अन्त राज्य के साथ होता है।'' **प्रो. लास्की** ने कहा है—''राजनीति विज्ञान के अध्ययन का सम्बन्ध संगठित राज्यों से सम्बन्धित मानव-जीवन से है।'' **गिलक्राइस्ट** ने लिखा है—''राज्य क्या है ? राज्य क्या रहा है ? और राज्य क्या होना चाहिए ?'' राजनीति विज्ञान यह बताता है। अतः स्पष्ट है कि राजनीति विज्ञान में राज्य के अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों का ही अध्ययन किया जाता है।

2. सरकार का अध्ययन

राज्य के अध्ययन के साथ ही साथ राजनीति विज्ञान में राज्य के अभिन्न अंग सरकार का भी अध्ययन किया जाता है। प्राचीन काल में जहाँ निरंकुश राजतन्त्र थे, वहाँ आज लोकतान्त्रिक सरकारें हैं। इस समय राजा की आज्ञा ही सर्वोपरि कानून थी, परन्तु आज सरकार के तीनों अंगों (व्यवस्था"का, कार्यपालिका और न्यायपालिका) में शक्ति-पृथक्करण का सिद्धान्त क्रियाशील है

और राजा की आज्ञा कानून न होकर लोकतांत्रिक सरकारों की वास्तविक शक्ति जनता में निहित है।

3. मनुष्य का अध्ययन

मनुष्य राज्य की इकाई है। मनुष्यों के बिना राज्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती, अत: मनुष्य राजनीति विज्ञान के अध्ययन का प्रमुख तत्व है। मनुष्य का सर्वांगीण विकास एवं कल्याण करना ही राज्य का प्रमुख कर्तव्य है। परन्तु जहाँ नागरिकों के प्रति राज्य के कर्तव्य होते हैं, वहाँ राज्य के प्रति नागरिकों के भी कर्त्तव्य होते हैं। आदर्श नागरिक ही राज्य को आदर्श स्वरूप प्रदान कर सकते हैं और उसकी प्रगति में योगदान कर सकते हैं।

4. संघों एवं संस्थाओं का अध्ययन

प्रत्येक राज्य में अनेक समाजोपयोगी संस्थाएं होती हैं, जो नागरिकों के उत्थान एवं विकास के लिए कार्य करती हैं। इन संस्थाओं में राज्य एक सर्वोच्च संस्था होती है और अन्य सभी संस्थाएँ राज्य द्वारा ही नियन्त्रित होती हैं।

5. अन्तर्राष्ट्रीय कानून एवं सम्बन्धों का अध्ययन

आधुनिक युग में कोई भी राष्ट्र पूर्णत: स्वावलम्बी नहीं है। विश्व के समस्त राष्ट्र किसी न किसी रूप में एक-दूसरे पर निर्भर हैं। इस पारस्परिक निर्भरता के कारण ही आज एक राष्ट्र की घटना से अन्य राष्ट्र भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। इस प्रकार विश्व के विभिन्न राष्ट्रों की पारस्परिक निर्भरता ने उन्हें एक-दूसरे से घनिष्ठ रूप में सम्बद्ध कर दिया है। यातायात एवं संचार-साधनों के माध्यम से आज समस्त राष्ट्र एक-दूसरे के बहुत ही निकट आ गये हैं और उनमें परस्पर विभिन्न प्रकार के सम्बन्ध स्था"त हो गये हैं। अतएव विश्व के समस्त राष्ट्रों के पारस्परिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक, राजनयिक एवं अन्य विभिन्न प्रकार के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध, राजनीति विज्ञान के अध्ययन के प्रमुख विषय बन गये हैं।

6. वर्तमान राजनीतिक समस्याओं का अध्ययन

वर्तमान राजनीतिक समस्याओं का अध्ययन राजनीति विज्ञान का प्रमुख विषय है। प्रत्येक राष्ट्र में, चाहे वहाँ शासन प्रणाली किसी भी प्रकार की क्यों न हो, स्थानीय या राष्ट्रीय स्तर की अनेक समस्याएँ उत्पन्न होती ही रहती हैं। उदाहरणार्थ, भारत इस समय सम्प्रदायवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, एवं भाषावाद जैसी अनेक समस्याओं से ग्रसित हैं। इसी प्रकार विश्व के अन्य देश भी अपनी-अपनी समस्यओं से जूझ रहे हैं। इस प्रकार, विभिन्न राष्ट्रों की स्थानीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की समस्त राजनीतिक समस्याओं का अध्ययन राजनीति विज्ञान के अध्ययन में सम्मिलित है।

प्रश्न 33. मानवतावाद का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसके चार सिद्धान्तों को समझाइये।

उत्तर—मानवीय उच्चतर मूल्यों को 'मानवतावाद' कहा जाता है मानवीय उच्चतर मूल्य का अर्थ है स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों के हित में कार्य करना कोई मानव अर्थ किसी मानव से घोषणा न करें संसार के सब मानव परस्पर मेलजोल से रहें सब मानव एक-दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करें। समानता तथा समान लाभ के सिद्धान्त के आधार पर परस्पर एक-दूसरे को सहयोग करें विवाद व झगड़ों का निपटारा शान्तिमय तरीकों से निपटा लें। इस प्रकार कहा जा सकता है कि मानवतावाद वह है कि जिसमें मानव अन्य लोगों दु:ख-दर्द को महसूस करें और उनके सुखी जीवन के मार्ग में बाधक न बनकर उनके प्रगति व विकास पर बल दें।

एम. एन. राय के अनुसार—''नवीन मानवतावाद व्यक्ति को सम्प्रभुता की घोषणा करता है। वह इस मान्यता को लेकर चलता है कि एक ऐसे समाज का निर्माण करना सम्भव है जो तर्क

पर आधारित हो तथा नैतिक हो क्योंकि मनुष्य प्रकृति से ही तर्कशील विवेकी एवं नैतिक प्राणी है नवीन मानवतावाद विश्वव्यापी है।''

मानवतावाद के सम्बन्ध में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ''पर सेवा, पर सहायता और पर हितार्थ कर्म करना ही पूजा है और यही हमारा धर्म है यही हमारी इंसानियत है।''

मानवतावादी मानव कल्याण के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया वे धर्म परम सत्य संस्कृति पर हित के लिये हँसते-हँसते शहीद हो गए। यथार्थ में जो व्यक्ति स्व-सुख स्व-हित और स्व अर्थों तक सीमित रहता है, वह पशु तुल्य है। वही मानव सही अर्थों में मानव है जो दूसरों के लिए जिए। मनुष्य को अपने अन्दर की बुराइयों का अन्त करने का प्रयास करना चाहिए तथा मानवीय गुणों का विकास करना चाहिए। मानवतावाद दया, प्रेम, परोपकार, अहिंसा, करुणा, त्याग, दानशीलता सद्भावना, सच्चरित्रता, आत्मबल, निर्भयता तथा धर्माचरण आदि विशिष्ट गुणों के कारण मानव ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है। जो मानवीय मूल्यों के कारण ही जिन्दा है, इनके अभाव में मानव व मानवता निश्प्राण निर्जीव हो जायेगा।

मानवतावाद के सिद्धान्त

मानवतावाद के उपर्युक्त अर्थ व व्याख्या के आधार पर इसके निम्नलिखित सिद्धान्त बतलाये जा सकते हैं—

1. मानवतावादियों ने मानव को अपने मानवतावाद का केन्द्र बिन्दु बनाया तथा उन्होंने यह विश्वास व्यक्त किया कि मानव ही मानव जाति का मूल है तथा मानव ही प्रत्येक वस्तु का मापदण्ड है।

2. मानवतावादी विश्व बन्धुत्व के आदर्श पर बल देते हैं। उन्होंने वसुधैव कुटुम्बकम का संदेश दिया।

3. मानवतावाद स्वहित से अधिक परहित को महत्व दिया है। वह मानव पशु के समान है जो केवल स्वहित पर चलता है।

4. मानवतावादियों की मानव बुद्धि और विवेक में आस्था थी। इस सम्बन्ध में एम. एन. राय ने कहा है कि मनुष्य प्रकृति से ही तर्कशील विवेकी एवं नैतिक प्राणी है।

अथवा

प्रश्न—गाँधीवाद एवं मार्क्सवाद में तर्क सहित चार समानतायें लिखिये।

उत्तर—गाँधीवाद और मार्क्सवाद में निम्नलिखित समानताएँ हैं—

(i) मानवतावादी विचारधारा—गाँधीवाद और मार्क्सवाद दोनों का ही उद्देश्य मानव का विकास और लोककल्याण है।

(ii) वर्ग विहीन समाज की स्थापना—दोनों ही विचारधारा का अन्तिम लक्ष्य वर्गविहीन समाज की स्थापना करना है।

(iii) श्रम की सर्वोपरिता—दोनों ही विचारधारा में श्रम को सभी के लिए अनिवार्य बताया गया है। सभी व्यक्ति परिश्रम करे और खायें, कोई किसी का शोषण न करे।

(iv) विश्व शान्ति के समर्थक—दोनों ही विचारधाराएँ इस बात का समर्थन करती हैं कि विश्व युद्धों से मुक्त कोई भी शक्तिशाली देश कमजोर देश का शोषण न करें।

प्रश्न 34. समानता एवं स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों को समझाइये।

उत्तर—समानता का अधिकार—भारतीय समाज में व्याप्त असमानताओं एवं विषमताओं को दूर करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है।

विधि के समक्ष समानता—अनुच्छेद 14 के अनुसार, ''भारत राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता से वंचित नहीं किया जायेगा।'' आशय कानून की दृष्टि से सब नागरिक

समान हैं।

सामाजिक समानता—अनुच्छेद 15 के अनुसार राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध धर्म, वंश जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी क्षेत्र में पक्षपात नहीं किया जायेगा।

अवसर की समानता—अनुच्छेद 16 की व्यवस्था के अनुसार राज्य की नौकरियों के लिए सभी को समान अवसर प्राप्त होंगे।

अस्पृश्यता का अंत—अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता का अन्त कर दिया गया है। किसी भी दृष्टि में अस्पृश्यता का आचरण करना कानून की दृष्टि में अपराध एवं दण्डनीय होगा।

उपाधियों का अन्त—अनुच्छेद 18 के अनुसार, सेना अथवा शिक्षा सम्बन्धी उपाधियों के अलावा राज्य अन्य कोई उपाधियाँ प्रदान नहीं कर सकता।

स्वतन्त्रता का अधिकार—स्वतन्त्रता एक सच्चे लोकतन्त्र का आधारभूत स्तम्भ होती है। संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक इन अधिकारों का उल्लेख है।

विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता—अनुच्छेद 19 के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक को भाषण, लेखन एवं अन्य प्रकार से अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है।

शान्तिपूर्ण एवं नि:शस्त्र सभा करने की स्वतन्त्रता—अनुच्छेद 19 के अनुसार प्रत्येक नागरिक को शान्तिपूर्ण ढंग से बिना हथियारों के सभा या सम्मेलन आयोजित करने का अधिकार है।

समुदाय और संघ बनाने की स्वतन्त्रता—भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को समुदाय और संघ बनाने की स्वतन्त्रता प्रदान की गयी है।

भ्रमण की स्वतन्त्रता—प्रत्येक भारतीय को सम्पूर्ण भारत में बिना किसी रोकटोक के भ्रमण करने तथा निवास की स्वतन्त्रता है।

अपराध के दोष सिद्ध के विषय में संरक्षण की स्वतन्त्रता—संविधान के अनुच्छेद 20 के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि वह किसी ऐसे कानून का उल्लंघन न करे जो अपराध के समय लागू था और वह उससे अधिक दण्ड का पात्र न होगा।

जीवन और शरीर रक्षण की स्वतन्त्रता—संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी व्यक्ति को अपने प्राण या शारीरिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्था"त प्रक्रिया को छोड़कर अन्य किसी से वंचित नहीं किया जा सकता।

बन्दीकरण से संरक्षण की स्वतन्त्रता—संविधान के अनुच्छेद 22 के द्वारा बन्दी बनाये जाने वाले व्यक्ति को कुछ संवैधानिक अधिकार प्रदान किये गये हैं। इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को बन्दी बनाये जाने के कारण बतायें बिना गिरफ्तार या हिरासत में नहीं लिया जा सकता है। उसे ~~यह अधिकार है कि वह अपनी पसन्द के वकील की सय ले सकता है, मुकदमा लड़ सकता है।~~ अभियुक्त को 24 घण्टे के अन्दर निकटतम दण्डाधिकारी के सामने प्रस्तुत किया जाना होता है।

अथवा

प्रश्न—नीति-निर्देशक तत्व एवं मौलिक अधिकारों में अन्तर स्पष्ट करो।

उत्तर—मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों में परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध होते हुए भी निम्नांकित अन्तर हैं—

मौलिक अधिकार	नीति-निर्देशक तत्व
1. मौलिक अधिकारों को न्यायालय का संरक्षण प्राप्त है।	1.नीति-निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए न्यायालय की शरण नहीं ली जा सकती है।

2. मौलिक अधिकारों की प्रकृति नकारात्मक है ये राज्य के अधिकारों पर प्रतिबन्ध लगाते हैं, अनुच्छेद 13 में कहा गया है कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनायेगा जो मौलिक अधि. कारों द्वारा दिये गये अधिकारों को छीनता है।	2. नीति-निर्देशक सिद्धान्तों की प्रकृति को सक. ारात्मक कहा गया है, जो राज्य को कुछ करने के आदेश व निर्देश देते हैं।
3. मौलिक अधिकारों का विषय व्यक्ति है, अर्थात् मौलिक अधिकार व्यक्तियों को प्राप्त है, इन्हें प्राप्त करने के लिए न्यायपालिका में भी अपील की जा सकती है।	3. नीति-निर्देशक सिद्धान्तों का विषय राज्य है अर्थात् ये राज्य के लिए निर्देश है न किसी व्यक्ति के लिए।
4. मौलिक अधिकारों का क्षेत्र राज्य में निवास करने वाले नागरिकों तक ही सीमित है।	4. नीति-निर्देशक सिद्धान्तों का क्षेत्र मौलिक अधिकारों से व्यापक है। नीति-निर्देशक सिद्धान्तों का क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रीय है।
5. मौलिक अधिकारों को सीमित अथवा स्थगित किया जा सकता है।	5. नीति-निर्देशक सिद्धान्तों को कभी-कभी किसी अवस्था में सीमित नहीं किया जा सकता है।
6. मौलिक अधिकार नागरिकों के व्यक्तिगत पर बल देते हैं।	व्यक्तित्व का विकास करने के अधिकार है। 6. नीति-निर्देशक सिद्धान्त समाज के विकास स्वतंत्रताओं पर बल देते हैं।
7. मौलिक अधिकार मुख्यत: विभिन्न अधिकारों पर बल देता है।	7. नीति निर्देशक तत्व सामाजिक व आर्थिक की जा सकती है।
8. मौलिक अधिकारों की सरकार द्वारा अवहेलना का भय बना रहता है।	8. नीति-निर्देशक सिद्धान्त मूलत: जनमत पर आधारित होने के कारण कोई भी सरकार इनकी अवहेलना नहीं करती है। अन्यथा आगामी निर्वाचन में जनता का विश्वास खोने 9. मौलिक अधिकारों का कानूनी महत्व है।

प्रश्न 35. स्थानीय स्वशासन प्रजातंत्र की प्रथम पाठशाला है। स्पष्ट कीजिए।

उत्तर—''स्थानीय स्वशासन प्रजातन्त्र की प्रथम पाठशाला है।'' इसे निम्नलिखित बिन्दुओं द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं—

(i) इससे जनता को राजनीतिक प्रशिक्षण मिलता है।

(ii) स्थानीय समस्याओं का उचित समाधान स्थानीय स्वशासन संस्था अच्छी तरह करती है।

(iii) इसमें शासन का विकेन्द्रीकरण होता है, इससे प्रशासकीय कुशलता आती है।

(iv) राज्य सरकार के कार्यभार में कमी होती है।

(v) स्थानीय संस्थाएँ स्थानीय समस्याओं से परिचित होती हैं अत: समस्याओं को कम खर्च में सुलझा लेती है।

अथवा

प्रश्न—ग्राम पंचायत का गठन एवं कार्य लिखिये।

उत्तर—ग्राम पंचायतों का मुख्य उद्देश्य गाँवों की उन्नति करना और ग्रामवासियों को आत्म-निर्भर बनाना है। प्राय: अधिकांश राज्यों के गाँवों में एक ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत होती है।

1. ग्राम सभा गांव के वयस्क नागरिकों को मिलाकर बनायी जाती है। 2. ग्राम पंचायत में एक सरपंच, एक उप-सरपंच और कुछ पंच होते हैं ये सभी ग्राम सभा द्वारा चुने प्रतिनिधि होते हैं। 3. न्याय पंचायत का चुनाव सम्बन्धित ग्राम पंचायत करती है। न्याय पंचायत केवल ग्रामीणों के निम्न स्तर के दीवानी और फौजदारी विवादों को सुनती है, न्याय पंचायत एक निश्चित धनराशि तक जुर्माना वसूल कर सकती है किन्तु कारावास का दण्ड नहीं दे सकती।

ग्राम पंचायत के कार्य—ग्राम पंचायतों के कुछ प्रमुख कार्य निम्नानुसार हैं—

1. ग्रामीण आवास निर्माण आबादी क्षेत्र बनाना। 2. पशुपालन, दुग्धशाला, मुर्गीपालन, को प्रोत्साहन देना। 3. मत्स्य पालन को बढ़ावा देना। 4. पेयजल, सड़क, पुल और घाट का निर्माण करना। 5. प्रकाश व्यवस्था एवं ऊर्जा के गैर-पारम्परिक स्रोत। 6. प्रौढ़ औपचारिक शिक्षा, पुस्तकालय स्वास्थ्य एवं स्वच्छता सम्बन्धी कार्य। 7. परिवार एवं समाज कल्याण के कार्य। 8. सामुदायिक सम्पत्ति का संरक्षण।

प्रश्न 36. सर्वोच्च न्यायालय के परामर्शदायी क्षेत्राधिकार एवं न्यायिक पुनरावलोकन को समझाइये।

उत्तर—संविधान के अनुच्छेद 143 के अनुसार इस अधिकार का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श देने का अधिकार है यदि उससे परामर्श मांगा जाए। मंत्रणा सम्बन्धी अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत राष्ट्रपति किसी भी कानून सम्बन्धी अथवा लोक महत्व के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। परन्तु सर्वोच्च न्यायालय परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है। दूसरी ओर यदि परामर्श या मत भेज दिया जाए तो उसे मानना या न मानना राष्ट्रपति के लिए भी बाध्यकारी नहीं है। आज तक जब भी सर्वोच्च न्यायालय ने कोई परामर्श दिया है राष्ट्रपति ने उसे सदैव स्वीकार किया है। अयोध्या में जिस स्थान पर बाबरी मस्जिद बनाई गई थी उस स्थान पर पहले मन्दिर था या नहीं जब इस पर सर्वोच्च न्यायालय की राय मांगी गई तो उसने अपनी राय देने से इंकार कर दिया था।

न्यायिक पुनरावलोकन सम्बन्धी अधिकार—यदि संसद द्वारा बनाया गया कोई कानून या कार्यपालिका द्वारा किया गया कोई कार्य अथवा कोई आदेश संविधान के विरुद्ध है तो सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग करते हुए ऐसे कानून, कार्य अथवा आदेश को अवैध घोषित कर देता है। इसी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के कारण सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक कहा जाता है।

अथवा

प्रश्न—न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए कौन-से उपाय किये जाने चाहिये, वर्णन कीजिये।

उत्तर— **न्यायपालिका की स्वतन्त्रता हेतु उपाय**

न्यायपालिका की स्वतन्त्रता का आशय न्यायाधीशों की कार्यपालिका और व्यवस्था"का के

प्रभावों से पूर्ण स्वतन्त्रता से है। न्यायपालिका को कानून की व्याख्या करने और निष्पक्ष रूप से न्याय प्रदान करने के लिए स्वतंत्र रूप से बिना किसी दबाव के स्वविवेक का प्रयोग करने के अवसर प्राप्त होने चाहिए। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के अभाव में सम्पूर्ण न्याय व्यवस्था निरर्थक हो जाती है।

न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित उपाय किये जाने चाहिए –

1. न्यायाधीशों की योग्यता—इस पद पर सुयोग्य ईमानदार, निष्ठावान, कुशल कानूनवेत्ता को ही नियुक्त किया जाये।

2. नियुक्ति की उचित व्यवस्था—इनका निर्वाचन न तो जनता द्वारा हो और न व्यवस्था"का द्वारा और न राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक आधारों पर हो। इनकी नियुक्ति योग्यता व चारित्रिक गुणों के आधार पर हो।

3. दीर्घकालीन पदावधि—इनका कार्यकाल लम्बा होना चाहिए, जिससे ये आजीविका की चिन्ता से मुक्त होकर स्वतंत्रतापूर्वक न्यायिक कार्य कर सकें।

4. पद की सुरक्षा—न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिये यह भी आवश्यक है कि उन्हें आसानी से पद से न हटाया जाये बल्कि पद से हटाने के लिये विशेष प्रक्रिया अपनायी जाय।

5. वेतन की पर्याप्तता—न्याय पथ से भ्रष्ट न हो इसके लिये न्यायाधीशों को वेतन एवं भत्ते पर्याप्त दिये जाये।

6. सेवानिवृत्ति के पश्चात् वकालत पर प्रतिबन्ध—सेवानिवृत्ति के पश्चात् उन्हें किसी भी न्यायालय में वकालत पर प्रतिबन्ध होना चाहिए।

7. सेवानिवृत्ति के पश्चात् राजकीय नियुक्ति पर प्रतिबन्ध—न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए यह भी आवश्यक है कि सेवानिवृत्ति के बाद अन्य पदों की प्राप्ति की लालसा में न्यायाधीश अपने कार्यकाल के दौरान कार्यपालिका को प्रसन्न करने में लगे रहेंगे।

8. कार्यपालिका से पृथक्करण—न्यायपालिका की निष्पक्षता व स्वतंत्रता के लिए यह भी आवश्यक है कि न्यायपालिका का कार्यक्षेत्र कार्यपालिका से बिल्कुल पृथक हो।

इस प्रकार भारतीय संविधान के द्वारा न्यायपालिका को पूर्ण स्वतन्त्रता और सुरक्षा प्रदान की गयी है जिससे वे अपने कर्तव्यों का पालन निष्ठा एवं निष्पक्ष रूप से कर सकें।

प्रश्न 37. भारतीय निर्वाचन प्रक्रिया के विभिन्न सोपानों (छः) को वर्णन सहित समझाइये।

उत्तर—भारत में निर्वाचन की प्रक्रिया के विभिन्न सोपान निम्न प्रकार हैं—

1. मतदाता सूचियों की तैयारी, मुद्रण और प्रकाशन—निर्वाचन प्रक्रिया प्रारम्भ होने से पूर्व मतदाता सूचियों में संशोधन किया जाता है। उन मतदाताओं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनके नाम मतदाता सूचियों से काट दिये जाते हैं और मतदाता बनने की योग्यताएं रखने वाले नये मतदाताओं के नाम सूचियों में अंकित कर दिए जाते हैं। इस प्रकार मतदाता सूचियों का नवीनीकरण किया जाता है।

2. चुनाव की घोषणा—चुनाव का प्रारम्भ चुनाव की अधिसूचना से होता है। लोकसभा व राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति, विधानसभाओं के लिए राज्यपाल, केन्द्र शासित प्रदेशों में उप राज्यपाल मतदाताओं को चुनाव के बारे में सूचना देते हैं। इस अधिसूचना का प्रकाशन चुनाव आयोग से विचार-विमर्श करने के बाद सरकारी गजट में होता है।

3. नामांकन पत्र—आम चुनाव की अधिसूचना प्रकाशित होने के पश्चात् चुनाव आयोग द्व ारा नामांकित पत्र भरे जाने की अन्तिम तिथि नामांकन पत्रों की जांच की तिथि व नाम वापस लिए

जाने की तिथि की घोषणा की जाती है। चुनाव आयोग प्रत्येक चुनाव के लिए नामांकन की एक अन्तिम तिथि निश्चित करता है। नामांकन पत्रों की जांच की जाती है। इस समय अधिकारीगण इस बात की जांच करते हैं कि नामांकन पत्रों में सभी जानकारी या सूचनाएं ठीक है या नहीं। यदि नामांकन पत्र की किसी प्रविष्टि में शंका हो या कोई उम्मीदवार उस स्थान के लिए योग्य न हो तो चुनाव अधिकारी नामांकन पत्र को अस्वीकार कर सकती है। जांच पूरी होने के 2-3 दिन पश्चात् नामांकन वापस करने की अन्तिम तिथि होती है। कोई भी उम्मीदवार यदि चुनाव न लड़ने का निर्णय करे वह अपना नामांकन वापस ले सकता है।

5. चुनाव चिन्ह—प्रत्येक राजनीतिक दल का एक विशिष्ट और सरलता से पहचानने योग्य चुनाव चिन्ह होता है। यह चिन्ह ऐसा होता है जिसको मतदाता आसानी से पहचान कर अपनी पसन्द के उम्मीदवार के पक्ष में मतदान कर सके। मतपत्र पर उम्मीदवारों के नामों के आगे उनका चुनाव चिन्ह छपा रहता है। इससे निरक्षर मतदाता भी आसानी से अपनी पसन्द के उम्मीदवार का चयन कर सकता है। निर्वाचन आयोग प्रत्येक दल के लिए चुनाव चिन्ह निश्चित करता है। जहाँ तक सम्भव हो आयोग दल की पसन्द का चिन्ह भी स्वीकार कर लेता है। परन्तु ऐसा करते समय निर्वाचन आयोग यह भी सुनिश्चित कर लेता है कि विभिन्न दलों के चुनाव चिन्ह मिलते-जुलते तथा भ्रमात्मक न हो।

5. चुनाव प्रचार—राष्ट्रपति ने 19 जनवरी 1992 को एक अध्यादेश निर्गत करके लो. कसभा चुनाव तथा विधान सभा के निर्वाचनों में चुनाव प्रचार की न्यूनतम अवधि 20 दिन से घटाकर 14 दिन कर दी है। इस अवधि में प्रत्याशियों को अपने पक्ष में प्रचार करने का समुचित अवसर मिलता है। यद्य" चुनाव होने की सम्भावना के साथ ही विभिन्न राजनीतिक दल अपना प्रचार करना आरम्भ कर देते हैं परन्तु वापसी की तिथि के पश्चात् विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों के सामने आ जाने पर चुनाव प्रचार में गम्भीरता और तीव्रता आ जाती है। इस अवधि में राजनीतिक दलों के द्वारा अपने-अपने चुनाव घोषणा-पत्र (Election manifesto) जारी किये जाते हैं जिनमें वे अपनी-अपनी नीतियों एवं कार्यक्रमों को स्पष्ट करते हैं। चुनाव प्रचार में प्रत्येक उम्मीदवार अपने समर्थन में सभाएं करके, भाषण देकर, जुलूस निकालकर, पोस्टर लगाकर और वीडियो फिल्म दिखाकर अपना प्रचार करता है। मतदान प्रारम्भ होने के 48 घण्टे पूर्व चुनाव प्रचार समाप्त हो जाता है।

6. मतदान—मतदान के लिए निश्चित की गई तिथि को मतदान होता है। मतदान के दिन मतदाता मतदान कक्ष में जाते हैं और गुप्त मतदान की प्रक्रिया से अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। जो मतदाता असावधान होते हैं वह मतपत्र पर गलत मोहर लगाकर या कोई भी मोहर लगाकर अपना मतपत्र बेकार कर देते हैं। यदि मतपत्र पर सही स्थान पर मोहर न लगायी हो तो वह मतपत्र जिन पर नियमानुसार मोहर न लगाई गई हो निरस्त कर दिया जाता है। जब मतदान समाप्त हो जाता है तो मतपेटिकाओं को मोहरबन्द करके मतगणना केन्द्रों तक पहुँचा दिया जाता है। अब चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग होता है। इसमें मतदाता अपने पसन्द के प्रतिनिधि के नाम व चुनाव चिन्ह के सामने बटन दबाकर मत देता है।

अथवा

प्रश्न—आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एवं साधारण बहुमत प्रणाली से क्या समझते हो, लिखिये।

उत्तर—साधारण बहुमत प्रणाली—एकल प्रतिनिधित्व वाले चुनाव क्षेत्र से सिर्फ एक ही सदस्य को प्रतिनिधि के रूप में चुना जाता है तथा चुनाव में जिसे सर्वाधिक मत प्राप्त होते हैं

उसे ही विजयी घोषित कर दिया जाता है। मान लीजिए कि किसी चुनाव क्षेत्र में तीन प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हों तथा एक को 5000 मत मिलते हैं दूसरे को 6500 तथा तीसरे को 4050 मत प्राप्त होते हैं तो ऐसी स्थिति में दूसरे प्रत्याशी को विजयी घोषित किया जाएगा, क्योंकि उसे सबसे अधिक बहुमत प्राप्त हुआ है। इस प्रणाली को सामान्य बहुमत प्रणाली कहते हैं।

आनुपातिक प्रतिनिधित्व

क्षेत्रीय या प्रादेशिक चुनाव प्रणाली में सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार सम्बन्धित क्षेत्र से विजयी हो जाता है। चाहे उसे प्राप्त होने वाले मतों की संख्या पूर्णमत संख्या की अल्पसंख्यक ही हो। इसमें अन्य उम्मीदवारों में से किसी को कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिलता। इस दोष से बचने के लिए अन्य प्रणाली का प्रतिपादन किया जाता है, जिसे आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली कहा जाता है। इस प्रणाली में सब उम्मीदवारों को उनको प्राप्त समर्थन के अनुपात का प्रतिनिधित्व मिल जाता है। अत: इस प्रणाली के अन्तर्गत जिन संस्थाओं का निर्माण होता है, उनमें लोकमत अधिक अच्छी तरह से प्रतिबिम्बित होता है। इस कारण उसे अधिक लोकतांत्रिक माना जाता है, परन्तु यह प्रणाली जटिल और गूढ़ है। इसके अन्तर्गत उपचुनाव भी सम्भव नहीं होते। इस राजनीति में अनेक छोटे-छोटे गुटों का बाहुल्य हो जाता है, तट सार्वजनिक मामलों में नागरिकों की रुचि कम हो जाती है। अत: कहीं भी व्यापक रूप से इस प्रणाली को नहीं अपनाया जाता है।

प्रश्न 38. भारतीय विदेश नीति के मूल उद्देश्य एवं सिद्धान्त बताइए।

उत्तर—भारतीय विदेश नीति के मूल उद्देश्य एवं सिद्धान्त—राष्ट्रीय हितों का ध्यान, विश्वशान्ति की प्राप्ति, नि:शस्त्रीकरण, अफ्रीकी एशियाई देशों की स्वतन्त्रता आदि भारत की विदेश नीति के मुख्य उद्देश्य रहे हैं। पंचशील, गुटनिरपेक्षता रंगभेद विरोध, साम्राज्यवाद विरोध, औपनिवेशिक विरोध संयुक्त राष्ट्र संघ का सशक्तिकरण सिद्धान्त के माध्यम से इन उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है।

(i) पचंशील का सिद्धान्त—नेहरू विश्व शान्ति के पक्षकार थे। उन्होंने विकास के लिए शांति और मानवजाति के अस्तित्व के बीच की कड़ी को समझा। वे दो विश्व युद्धों के कारण हुए विनाश को देख चुके थे और जानते थे कि एक देश की प्रगति के लिए दीर्घ शान्ति काल की आवश्यकता होती है। बिना शान्ति के विकास सम्बन्धी सामाजिक और आर्थिक प्राथमिकताएं पीछे धकेल दी जाती हैं। परमाणु हथियारों के उत्पादन के कारण नेहरू का शान्ति के दर्शन पर विश्वास और अधिक बढ़ गया। इसलिए उन्होंने अपने नीति निर्धारण में विश्व शान्ति को सबसे अधिक महत्व दिया। भारत की सभी देशों के साथ विशेष रूप से बड़े और पड़ोसी देशों के साथ शान्तिपूर्ण और मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों की इच्छा रही है। 28 अप्रैल, 1954 को चीन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करते समय भारत ने आपसी सम्बन्धों के लिए पंचशील के पालन की वकालत की।

पंचशील समझौता पड़ोसी राष्ट्रों के साथ शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व के सिद्धान्तों का सबसे अच्छा निरूपण है। यह भारत की विदेश नीति का महत्वपूर्ण घटक है।

(ii) गुट निरपेक्षता—गुट निरपेक्षता भारत की विदेश नीति की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। गुट निरपेक्षता न तो उदासीनता है न ही स्वयं को पृथक रखना है। गुट निरपेक्ष आन्दोलन को मजबूत बनाने में भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। 1955 में एशिया और अफ्रीका के 29 देशों का सम्मेलन इंडोनेशिया में हुआ जिसमें शान्ति, उपनिवेशवाद से मुक्ति, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनैतिक सहयोग की दिशा में साथ-साथ कार्य करने का संकल्प लिया। 1961 में पहला गुट

निरपेक्ष सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ जिसमें शीत युद्ध की गुटीय राजनीतिक का विकल्प के रूप में स्वतन्त्र विचार रखने वाले देशों का सह-अस्तित्व वाला एक समूह तैयार हुआ। यह समूह तीसरे विश्व के देशों को उनके विचार व्यक्त करने का सही मंच है।

गुट निरपेक्षों में नेहरू ने युगोस्लाविया के राष्ट्रपति टीटो और मिस्र के नासर से विशेष सम्बन्धों का विकास किया। इन्हीं तीनों को गुट-निरपेक्ष आन्दोलन का जनक माना जाता है। गुट निरपेक्ष आन्दोलन नव-स्वतन्त्र राष्ट्रों का वह समूह था जिसने अपने पूर्व उपनिवेशी स्वामियों की तानाशाही को अस्वीकार कर दिया और अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में अपने विवेक के अनुसार निर्णय लेने का निश्चय किया। गुट निरपेक्ष आन्दोलन स्वभाव से साम्राज्यवाद का विरोधी है। गुट निरपेक्षता का मुख्य शिल्पी होने और गुट-निरपेक्ष आन्दोलन का अग्रणी सदस्य होने के कारण भारत ने इसके विकास में एक सक्रिय भूमिका निभाई।

गुट निरपेक्ष आन्दोलन सभी सदस्य राष्ट्रों को उनके आकार और महत्व के आधार के बिना ही उन्हें विश्व राजनीति और विश्व सम्बन्धी निर्णय लेने के अवसर प्रदान करता है। भारत ने 1983 में नई दिल्ली में सातवें गुट निरपेक्ष आन्दोलन की बैठक की मेजबानी की। भारत ने आशा जतायी कि यह आन्दोलन विकास नि:शस्त्रीकरण और फिलिस्तीन के प्रश्न पर काम करेगा।

(iii) रंग भेद, साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद विरोधी—भारत सदा से रंग के आधार पर भेदभाव रखने, अपने साम्राज्य की सीमा बढ़ाने के लिए किसी भी प्रयास या किसी भी द्वीप इत्यादि को अपना उपनिवेश बनाने का विरोधी रहा है।

(iv) संयुक्त राष्ट्र का सशक्तिकरण—भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ को विश्व राजनीति में शान्ति एवं शान्तिपूर्ण परिवर्तन का एक साधन माना है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ से आशा रखता है कि—

(1) यह वार्ताओं द्वारा भेदों को कम करने के लिए देशों को सम्मिलित करने की सक्रिय भूमिका निभाए।

(2) तीसरे विश्व के देशों के विकास में संयुक्त राष्ट्र संघ सक्रिय प्रयास करे।

(3) गुट निरपेक्ष देशों की रचनात्मक भूमिका को संयुक्त राष्ट्र संघ महाशक्तियों पर अंकुश की तरह प्रयोग करे।

संयुक्त राष्ट्र संघ के उपनिवेशवाद को समाप्त करने की प्रक्रिया के कारण कई अफ्रीकी एवं एशियाई देश स्वतन्त्र राष्ट्र हुए हैं। इस प्रकार विश्व शान्ति कायम रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

अथवा

प्रश्न—भारत-पाकिस्तान सम्बन्धों की विवेचना कीजिए।

उत्तर— भारत और पाकिस्तान के मध्य सम्बन्ध

विश्व के किन्हीं दो देशों में इतनी समानता नहीं है जितनी भारत और पाकिस्तान में हैं। फिर भी लम्बे समय से दोनों देशों के बीच निरन्तर अघोषित युद्ध चल रहा है। पाकिस्तान के कारगिल आक्रमण (1999) के बाद दोनों देश नाभिकीय शक्ति क्षमता प्रदर्शन तक पहुँच गए हैं। इस सन्देह और अविश्वास की भावना का जन्म 1947 में भारत विभाजन के बाद हो गया था। स्वाधीनता संग्राम के दौरान मुहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में उन्होंने मुसलमानों के लिए एक अलग राज्य का प्रस्ताव रखा। जिन्ना ने इस बात पर आग्रह किया कि हिन्दू और मुस्लिम दो समुदाय हैं अत: दोनों के लिए दो अलग राष्ट्र बनना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा विभ. ाजन प्रस्ताव पर असहमति जताने से पाकिस्तान में संदेह की भावना और पुष्ट हो गई कि भारत

विभाजन का अन्त करने की कोशिश करेगा। दूसरी ओर पाकिस्तान को इस क्षेत्र में अक्षमता का भी पता था। पाकिस्तान ने एक और दृष्टिकोण विकसित किया कि बिना कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाये पाकिस्तान एक पूर्ण राज्य नहीं हो सकता। यही नहीं, कश्मीर के भारत में विलय को भारत अपनी धर्मनिरपेक्ष और संघीय संरचना का आवश्यक तत्व मानता है।

कश्मीर विवाद

विभाजन के समय जम्मू और कश्मीर उन रजवाड़ों में से एक था, जिन्हें 1947 में अनिश्चितता की स्थिति में छोड़ दिया गया था। पाकिस्तान ने इच्छा जताई कि मुस्लिम बाहुल्य होने के कारण कश्मीर को एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान में मिल जाना चाहिए। परन्तु राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेताओं ने पाकिस्तान के इस विचार का विरोध किया। महाराजा हरिसिंह ने तब तक कोई निर्णय नहीं लिया जब तक कि पाकिस्तान ने 1947 में अपने सशस्त्र घुसपैठिए कश्मीर में नहीं उतारे। पाकिस्तान घुसपैठियों को निष्फल करने के लिए महाराजा ने भारत से सहायता मांगी और अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर किए कि कश्मीर भारतीय संघ का एक हिस्सा बन जाए। इस अवसर पर एक सच्चे लोकतांत्रिक नेता की तरह प्रधानमंत्री नेहरू ने यह विश्वास दिलाया कि पाकिस्तान द्वारा युद्ध समाप्ति की घोषणा के बाद राज्य की स्थिति कश्मीरवासियों की इच्छा के आधार पर तय होगी। पाकिस्तान के साथ भारत एक खुला टकराव नहीं चाहता था। अत: उसने इस मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ के हवाले कर दिया। भारतीय सेनाओं ने घुसपैठियों से श्री नगर को बचाया तथा पाकिस्तानियों को कश्मीर घाटी से खदेड़ दिया। परन्तु सम्पूर्ण कश्मीर पर भारत द्वारा पुन: कब्जा नहीं किया जा सका क्योंकि इसका अर्थ दोनों देशों के बीच एक आमने-सामने का भीषण युद्ध होना था। भारत ने 1948 में संयुक्त राष्ट्र से सहायता मांगी। 1 जनवरी 1949 को युद्धविराम की घोषणा की गई। इससे जम्मू कश्मीर का एक बड़ा भाग (राज्य के लगभग 25% भाग) पाकिस्तान के अधिकार में रह गया। जिसे हम पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) के नाम से जानते हैं। 1950 में संयुक्त राष्ट्र के मध्यस्थों ने इस विवाद को सुलझाने की कई योजनाएं बनाई परन्तु दोनों देशों के बीच अन्तर पाटने में विफल रहे।

कश्मीर की समस्या अब भी विचाराधीन है। संयुक्त राष्ट्र के 1948 में निर्णय के अनुसार पाकिस्तान द्वारा अधिगृहीत क्षेत्र से उसकी सेवाओं को हटाने के बाद वहाँ पर जनमत से निर्णय लिया जाता था जिसे पाकिस्तान ने मानने से इंकार कर दिया। अत: भारत ने अपील की कि 1954 में सीधे चुनाव द्वारा इस क्षेत्र में लोगों की इच्छाओं को जानने का प्रयास किया जाए, इसने जम्मू कश्मीर का भारत में विलय सन्तोषजनक ढंग से कर दिया। मध्यस्थता के सुझाव का अन्त हो गया। पाकिस्तान कश्मीर अधिकृत के लिए अधीर था। यह सोचकर कि 1962 में चीन युद्ध के बाद भारतीय सेना कमजोर हो गई थी, पाकिस्तान ने 1965 में कश्मीर को वापस लेने के लिए युद्ध छेड़ा। परन्तु भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान के प्रयास को विफल कर दिया।

इसके बाद पाकिस्तान को एक बार फिर से मुँह की खानी पड़ी जब उसकी पूर्वी पाकिस्तानी शाखा जो एक हजार मील दूर इसकी पश्चिमी शाखा (विंग) ने 1971 में स्वतंत्रता संघर्ष आरम्भ किया। भारत ने बांग्लादेश को आजाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बांग्लादेश के जन्म ने सिद्ध कर दिया कि द्वि-राष्ट्रीय सिद्धान्त के आधार पर कश्मीर पर पाकिस्तान के अधिकार के दावों का यह अन्त था।

सम्बन्धों को सामान्य करने के लिए भारत ने पाकिस्तान को एक समझौते के लिए आमंत्रित

किया जिसके फलस्वरूप 1972 में शिमला समझौता हुआ। शिमला समझौते की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि दोनों देशों ने इस बात पर सहमति जतायी कि किसी तीसरे के हस्तक्षेप के बिना वे कश्मीर सहित अपनी सभी समस्याओं का परस्पर हल ढूंढ़ेंगे। इस प्रकार शिमला समझौते के अन्तर्गत कश्मीर मामले को किसी अन्तर्राष्ट्रीय गोष्ठी में नहीं उठाया जा सकता। हालांकि पाकिस्तान ने इस समझौते के मूल तत्व को नकारने में हिचक नहीं दिखाई है। समझौते के अनुसार युद्ध बन्दियों को लौटाने की बात कही गई थी। यद्य" भारत ने अधिगृहित पाकिस्तानी क्षेत्र को लौटा दिया तथा एक नई युद्ध विराम रेखा (1948-49) खींची गई। जिसे नियन्त्रण रेखा के नाम से जाना जाता है। परन्तु पाकिस्तान ने खुले युद्ध के बजाय पंजाब में आतंकवाद को बढ़ावा और सहायता देकर तथा जम्मू और कश्मीर में राज्य समर्थित आतंकवादी गतिविधियों द्वारा 1980 के मध्य से अब तक भारत को खंडित करने के रास्ते ढूंढ़े हैं। पाकिस्तान अब भी पाकिस्तान अधिगृहित क्षेत्र में चलाये जा रहे आतंकवादी प्रशिक्षिण शिविरों द्वारा कश्मीर में आतंकवादी और पृथक करने वाली प्रवृत्तियों को बढ़ावा देने में लगा हुआ है।

नियन्त्रण रेखा की पवित्रता जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 के शिमला समझौते के अन्तर्गत निर्धारित की गई थी, मई 1999 में एक बड़ी योजना के अन्तर्गत पाकिस्तान ने उल्लंघन किया। यह पाकिस्तानी सेनाओं द्वारा कारगिल में भारत में घुसपैठ द्वारा किया गया। भारतीय सेनाओं ने एक बार फिर लगभग 60 दिन तक चलने वाले युद्ध में पाकिस्तानियों को पराजित किया।

नाभिकीय परीक्षण और सम्बन्ध सुधार के प्रयास

भारत का सदा प्रयास रहा है कि पाकिस्तान के साथ सम्बन्धों में सुधार हो। भारत पाकिस्तान द्वारा 1998 में किए गए परमाणु परीक्षणों ने भारत को एक बिल्कुल नई दिशा दी। जब 1970 में पाकिस्तान को चीन द्वारा नाभिकीय अस्त्र निर्माण में गुप्त सहायता देने से भारत को एक नाभिकीय चेतावनी का सामना करना पड़ रहा है। कोई सन्देह नहीं है कि पाकिस्तान की इस नाभिकीय नीति का लक्ष्य भारत के विरुद्ध है। परमाणु परीक्षणों के फलस्वरूप भारत और पाकिस्तान के बीच उत्पन्न कटुता ने दोनों देशों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि यह सब अनिश्चित रूप से जारी नहीं रखा जा सकता। दोनों देशों को कोई तो हल ढूंढ़ना होगा। अत: विदेश सचिव स्तर की वार्ता प्रारम्भ की गई और दिल्ली और लाहौर के बीच एक बस सेवा का प्रस्ताव रखा गया। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 1998 की बस राजनीति ने दोनों देशों के बीच सद्भावना को बढ़ाया। लाहौर घोषणा पर हस्ताक्षर के बाद सभी शेष मामलों (कश्मीर मामले सहित) का शान्तिपूर्ण तरीके से हल ढूंढ़ने की आवश्यकता पर बल दिया। भारत ने परस्पर लाभ के अन्य क्षेत्रों में कश्मीर सहित वार्ता प्रक्रिया के सन्दर्भ में यह सुझाया कि दोनों में से कोई भी किसी एक मामले में उग्र व्यवहार नहीं अपनाएगा। बिना किसी शर्त वार्ता फिर से प्रारम्भ हो गई है। इन नियंत्रण रेखा के आर-पार लोगों में सम्पर्क बढ़ाने पर जोर दिया गया तथा भारत और पाकिस्तान के बीच आर्थिक सम्बन्ध सुधारने पर भी जोर दिया गया है। भारत में सरकार के बदलने के बाद भी हम पाकिस्तान के साथ शान्ति और समृद्धता को बढ़ाते हुए सह अस्तित्व की वचनबद्धता से भटके नहीं हैं।

●●

छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल परीक्षा

सॉल्व्ड पेपर मई–जून, 2012

कक्षा—12वीं

विषय—राजनीतिशास्त्र

सेट-2

समय : 3 घंटे] **[पूर्णांक : 100**

निर्देश— (i) सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है।

(ii) प्रश्न क्रमांक 1 से 15 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित है।

(iii) प्रश्न क्रमांक 16 से 22 तक अतिलघु उत्तरीय प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित है।

(iv) प्रश्न क्रमांक 23 से 31 तक लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न पर 4 अंक निध. ारित हैं। शब्द सीमा 50 शब्द।

(v) प्रश्न क्रमांक 32 से 38 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न पर 6 अंक निध. ारित हैं। शब्द सीमा 100 शब्द।

सही विकल्प चुनकर लिखिए

1. गाँधीवाद सम्बन्धित नहीं है—
   (अ) हिंसा (ब) अहिंसा (स) सत्याग्रह (द) सत्या का विकेन्द्रीकरण।
2. वर्ग संघर्ष इस विचारधारा से सम्बन्धित है—
   (अ) गाँधीवाद (ब) समाजवाद (स) मार्क्सवाद (द) उदारवाद।
3. समाजवाद विरोधी है—
   (अ) आर्थिक समानता का (ब) सहयोग का
   (स) लोकतंत्र शासन का (द) पूंजीवाद का।
4. मानवतावाद का केन्द्र बिन्दु है—
   (अ) समाज (ब) राज्य (स) मनुष्य (द) सरकार।
5. संघ सूची में कुल कितने विषय होते हैं ?
   (अ) 97 (ब) 66 (स) 47 (द) 102

उत्तर—**1**. (अ), **2.** (स), **3.** (द), **4.** (स), **5.** (अ)।

दिये गये शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए

6. आपातकाल की घोषणा·····करता है।
   (अ) लोकसभा (ब) प्रधानमंत्री (स) राष्ट्रपति (द) उपराष्ट्रपति
7. राष्ट्रपति राज्य सभा में·····को मनोनीत करता है।
   (अ) दो (ब) बारह (स) आठ (द) सोलह

8. भारत की केन्द्रीय व्यवस्था"का को·····कहते हैं।

(अ) संसद (ब) विधानमण्डल (स) विधान सभा (द) विधान परिषद

9. अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो नीति का कुपरिणाम·····है।

(अ) क्षेत्रवाद (ब) साम्प्रदायिकता (स) राष्ट्रीयता (द) अन्तर्राष्ट्रीयता

10. भारत में प्रथम आम चुनाव·····में हुये।

(अ) सन् 1951 (ब) सन् 1952 (स) सन् 1955 (द) सन् 1960

उत्तर—6. (स) राष्ट्रपति **7.** (ब) (बारह), **8.** (अ) (संसद), **9.** (ब) (साम्प्रदायिकता) **10.** (ब) (1952).

सत्य/असत्य लिखिए

11. भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मण्डल द्वारा किया जाता है।

12. भारतीय जनता पार्टी भारत का राष्ट्रीय राजनैतिक दल है।

13. अकाली दल महाराष्ट्र का क्षेत्रीय राजनैतिक दल है।

14. क्रीमीलेयर के पहचान के लिए रामानंद प्रसाद आयोग का गठन किया गया।

15. समूह 77 धनी एवं विकसित देशों का एक समूह है।

उत्तर—11. सत्य, **12**. सत्य, **13.** असत्य, **14.** सत्य, **15.** असत्य।

एक शब्द में उत्तर दीजिए

प्रश्न 16. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया ?

उत्तर—1993 में।

प्रश्न 17. सुरक्षा परिषद् में स्थायी सदस्य कितने हैं ?

उत्तर—पांच।

प्रश्न 18. हमारे देश के विदेश नीति को निश्चित रूप प्रदान करने वाले शिल्पी कौन हैं ?

उत्तर—पं. जवाहरलाल नेहरू।

प्रश्न 19. अवशेष विषयों पर कानून कौन बनाता है ?

उत्तर—संसद।

प्रश्न 20.संकटकालीन घोषणा की स्थिति राज्य की समस्त विधायिनी शक्ति पर किसका अधिकार हो जाता है ?

उत्तर—केन्द्र।

प्रश्न 21. अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है ?

उत्तर—हेग (नीदरलैण्ड)

प्रश्न 22. महासभा में सी. टी. बी. टी. को कब स्वीकृति दी ?

उत्तर—सितम्बर 1996.

लघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 23. राज्य एवं समाज में कोई चार अन्तर लिखिये।

उत्तर— **राज्य एवं समुदाय में अन्तर**

राज्य	समाज
1. राज्य एक राजनीतिक संगठन है; यह राजनीतिक रूप से गठित एक समाज है।	1. समाज एक सामाजिक संगठन है जिसमें सभी प्रकार के संघ (सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक) निहित है।
2. राज्य की उत्पत्ति समाज के बाद हुई है।	2. समाज राज्य से प्राचीन है। राज्य के जन्म से पूर्व समाज का जन्म हुआ था।
3. राज्य बनावटी और मानव निर्मित संस्था है जिसे आवश्यकता पड़ने पर निर्मित किया गया है।	3. समाज एक प्राकृतिक और नैसर्गिक संस्था है।
4. राज्य एक साधन है।	4. समाज राज्य का साध्य है।

अथवा

प्रश्न—राज्य के तत्वों का नाम लिखते हुये किसी एक तत्व का वर्णन कीजिये।

उत्तर—राज्य के चार प्रमुख तत्व हैं—

(i) जनसंख्या—जनसंख्या राज्य का प्रथम आवश्यक तत्व है क्योंकि राज्य एक मानव समुदाय है और मानव के बिना राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती।

(ii) निश्चित भू-भाग—राज्य का दूसरा आवश्यक तत्व निश्चित भू-भाग है। मानव समुदाय जब तक किसी एक निश्चित भू-भाग पर स्थायी रूप से निवास नहीं करने लगता तब तक उसे राज्य नहीं कह सकते।

(iii) सरकार—राज्य के लिए तीसरा आवश्यक तत्व सरकार है। राज्य मनुष्यों का एक राजनीतिक समुदाय है और सामुदायिक जीवन के लिए सरकार रूपी राजनीतिक संगठन का होना आवश्यक है, क्योंकि सरकार ही वह तन्त्र है जो उन उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को व्यावहारिक रूप देता है, जिसके लिए राज्य का उदय हुआ है।

(iv) सम्प्रभुता—सम्प्रभुता का अर्थ है—सर्वोच्च सत्ता सम्प्रभु राज्य की आज्ञा देने वाली शक्ति है। सम्प्रभुता राज्य में ही निवास करती है अत: बाह्य एवं आन्तरिक दोनों ही रूपों में सवा.ेच्च एवं सर्वशक्तिमान है। सम्प्रभुता राज्य को आन्तरिक और बाह्य दोनों ही मामलों में सर्वोच्चता एवं स्वतन्त्रता प्रदान करती है।

प्रश्न 24. शोषण के विरुद्ध अधिकार पर लेख लिखिये।

उत्तर—संविधान के अनुच्छेद 23 व 24 के अनुसार कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति का शोषण नहीं कर सकेगा। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित व्यवस्थाएँ की गयी हैं—

(i) मनुष्यों का क्रय-विक्रय निषेध—संविधान के अनुच्छेद 32 (1) के अनुसार मनुष्यों, स्त्रियों और बच्चों के क्रय-विक्रय को घोर अपराध और दण्डनीय माना गया है।

(ii) बेगार का निषेध—संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार, 14 वर्ष से कम आयु वाले बालकों को कारखाने अथवा खानों में कठोर श्रम के कार्यों के लिए नौकरी से नहीं रखा जा सकेगा।

अथवा

प्रश्न—राज्य के नीति-निर्देशक तत्व का अर्थ लिखिये।

उत्तर—राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्त केन्द्र एवं राज्य की सरकारों को दिए गए निर्देश हैं। यद्य" ये सिद्धान्त न्याय योग्य नहीं हैं, ये देश के प्रशासन में मूल भूमिका निभाते हैं। राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धान्त का विचार आयरलैण्ड के संविधान से लिया गया है। आर्थिक न्याय की स्थापना एवं कुछ लोगों के हाथों में धन के संचय से रोकने के लिए इन्हें संविधान में शामिल किया गया है। कोई सरकार इसकी अवहेलना नहीं कर सकती। दरअसल ये निर्देश भावी सरकारों को इस बात को ध्यान में रखकर दिए गए हैं कि विभिन्न निर्णयों एवं नीति-निर्धारण में इसका समावेश हो।

प्रश्न 25. भारतीय संविधान की एकात्मकता के कोई चार लक्षण स्पष्ट कीजिये।

उत्तर—उत्तर हेतु सेट-1 प्रश्न क्रमांक 25 (अथवा) देखें।

अथवा

संघ राज्य के वित्तीय सम्बन्धों को चार बिन्दुओं में समझाइये।

उत्तर—संघ और राज्यों के वित्तीय सम्बन्धों को निम्न प्रकार समझाया जा सकता है—

1. कर निर्धारण तथा करों से प्राप्त आय का विभाजन—संघ के प्रमुख राजस्व श्रोत—निगम कर, सीमाशुल्क, निर्यातशुल्क, विदेशी ऋण, रेलवे, रिजर्व बैंक आदि।

राज्य के राजस्व श्रोत—प्रतिव्यक्ति कर, कृषिभूमि पर कर, सम्पदा शुल्क, उत्पादन शुल्क आदि।

2. वे कर जो भारत सरकार लाएगी पर जिन्हें राज्यों को सौंप दिया जाएगा—कुछ कर जो केन्द्र द्वारा एकत्रित किए जायेंगे, उनकी आय केन्द्र सरकार अपने पास न रखकर राज्यों में बांट देगी। इस प्रकार के कर हैं—सम्पदा कर, रेलभाड़ों पर कर, जलमार्ग और वायुमार्ग से जाने वाले माल व यात्रियों पर सीमा कर आदि।

3. वे कर जो भारत सरकार लगाएगी परन्तु जो केन्द्र और राज्य के बीच बांटे जायेंगे—कुछ कर ऐसे हैं जो केन्द्र द्वारा उगाहे जाते हैं पर जिनकी आय केन्द्र और राज्यों के बीच बांट दी जाती है। इस प्रकार के कर हैं—उत्पादन शुल्क, रेलयात्री किराये पर लगाये गये कर।

4. सहायक अनुदान तथा सार्वजनिक कार्यों के लिए अनुदान—केन्द्र द्वारा राज्यों को चार तरह से सहायक अनुदान दिए जाते हैं।

प्रथम—पटसन तथा उससे बनी वस्तुओं के निर्माण से जो शुल्क प्राप्त होता है जिसमें कुछ भाग जूट पैदा करने वाले राज्य—बिहार, बंगाल, असम और उड़ीसा को भी दिया जाए।

द्वितीय—भूकम्प और सूखाग्रस्त क्षेत्रों की सहायता के लिए।

तृतीय—आदिम जातियों और कबीलों की उन्नति के लिए।

चतुर्थ—राज्यों को आर्थिक कठिनाइयों से उबारने के लिए भी केन्द्र राज्यों की वित्तीय सहायता कर सकता है।

प्रश्न 26. राज्य सूची के विषयों पर संसद कब कानून बना सकती है ?

उत्तर—निम्नलिखित परिस्थितियों में संसद उन विषयों में कानून बना सकती है जो राज्य सूची में शामिल हैं—

1. राज्य सूची का विषय राष्ट्रीय महत्व का होने पर—यदि राज्यसभा अपने दो तिहाई बहुमत से यह प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है कि राज्य सूची में उल्लेखित कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया है तो संसद को उस विषय पर विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त हो सकता है।

2. राज्यों के विधानमण्डल द्वारा इच्छा प्रकट करने पर—दो या दो से अधिक राज्यों

के विधान मण्डल प्रस्ताव पास कर यह इच्छा व्यक्त करते हैं कि राज्य सूची के किसी विषय पर संसद द्वारा कानून निर्माण किया जाय तो उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त हो जाता है।

3. संकटकालीन घोषणा होने पर—संकटकालीन घोषणा की स्थिति में राज्य की समस्त विधायिनी शक्ति पर संसद का अधिकार हो जाता है।

4. राज्यों में संवैधानिक व्यवस्था भंग होने पर—यदि किसी राज्य में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो जाय तो राष्ट्रपति राज्य विधानमण्डल के समस्त अधिकार भारतीय संसद को प्रदान कर सकता है।

अथवा

प्रश्न—भारतीय संघवाद की कोई चार विशेषताओं को लिखिये।

उत्तर—भारतीय संघवाद की चार विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

1. लिखित संविधान—किसी भी संघ का सबसे प्रमुख लक्षण होता है कि उनके पास एक लिखित संविधान हो जिससे कि जरूरत पड़ने पर केन्द्र तथा राज्य सरकार मार्ग दर्शन प्राप्त कर सकें। भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है और दुनिया का सबसे विस्तृत संविधान है।

2. कठोर संविधान—संघीय संविधान केवल लिखित ही नहीं है बल्कि कठोर भी होता है। संविधान में महत्वपूर्ण संशोधनों के लिए संसद की स्वीकृति के साथ-साथ कम-से-कम आधे राज्यों के विधान मण्डलों की अनुमति भी आवश्यक है।

3. शक्तियों का विभाजन—हमारे संविधान में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। विधायी शक्तियों को तीन सूचियों में बांटा गया है—संघसूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची। संघ सूची में 97 राष्ट्रीय महत्व के विषयों का उल्लेख किया गया है। जिसके अन्तर्गत रक्षा, रेलवे, डाक एवं तार आदि विषय आते हैं। राज्य सूची में 66 स्थानीय महत्व के विषय जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस आदि आते हैं। समवर्ती सूची में केन्द्र तथा राज्य दोनों से सम्बन्धित 47 महत्वपूर्ण विषय जैसे बिजली, मजदूर संगठन खाद्य पदार्थों में मिलावट आदि आते हैं।

4. द्वैध शासन प्रणाली—संघीय शासन में दो तरह की सरकारें होती हैं—एक राष्ट्रीय सरकार और दूसरे उन राज्यों की सरकारें जिनके मिलने से संघ का निर्माण हुआ हो। दो तरह के विधानमण्डल है और दो प्रकार से प्रशासन पाये जाते हैं।

प्रश्न 27. सम्प्रदायवाद का लोकतन्त्र पर प्रभाव बताइए।

उत्तर—सम्प्रदायवाद का लोकतन्त्र पर निम्न दुष्परिणाम देखने को मिलता है—

(i) राष्ट्रीय एकता बाधित—राष्ट्रीय एकता का अर्थ है कि देश के सभी लोग एक होकर रहे जबकि साम्प्रदायिकता देश की जनता को समूहों तथा साम्प्रदायिकता में बांट देती है।

(ii) राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा प्रभावित—साम्प्रदायिक तत्वों द्वारा फैलाई जाने वाली अफवाहों व गड़बड़ी से देश की शान्ति भंग हो जाती है।

(iii) वैमनस्यता को बढ़ावा—साम्प्रदायिकता से विभिन्न वर्गों में द्वेष को बढ़ावा मिलता है।

(iv) विकास में बाधक—साम्प्रदायिक दुर्भावना के कारण समाज में पारस्परिक सहयोग की भावना समाप्त हो जाती है। देश के विभिन्न स्थानों पर साम्प्रदायिक ढंग होने से वहाँ का जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। और समस्त विकास कार्य ठप्प हो जाते हैं।

(v) भ्रष्टाचार में वृद्धि—उच्चाधिकारी और राजनेता साम्प्रदायिक आधार पर अनुचित

एवं अवैधानिक कार्यवाहियों में संलग्न व्यक्ति का ही पक्ष लेते हैं। इतना ही नहीं नौकरियों तथा अन्य प्रकार की सुविधा देने में भी साम्प्रदायिक आधार पर विचार करते हैं। इससे उनका नैतिक पतन होता है और भ्रष्टाचार में वृद्धि होती है।

अथवा

प्रश्न—जातिवाद के दो दुष्परिणाम लिखिये।

उत्तर—उत्तर हेतु सेट-1 के प्रश्न क्रमांक 28 देखें।

प्रश्न 28. अच्छे शासन की दो विशेषताएँ लिखिए।

उत्तर—उत्तर हेतु सेट-1 के प्रश्न क्रमांक 29 देखें।

अथवा

औद्योगीकरण पर्यावरण के लिये घातक है। स्पष्ट करें।

उत्तर—औद्योगीकरण के साथ यातायात और संचार साधनों के विकास ने न केवल पर्यावरण को प्रदूषित किया है अ"तु प्राकृतिक संसाधनों में भी कमी पैदा कर दी है। दोनों प्रकार से भारी हानि हो रही है। ऊष्मा प्रवाह कार्बन डाइऑक्साइड, धूल कण, रेडियो धर्मी नाभिकीय कूड़ा कचरा और इसी प्रकार के अन्य प्रदूषकों के बढ़ते स्तर से पर्यावरणीय खतरा बढ़ा है। दूसरी ओर पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों की खपतों से प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास होता है। हम भावी पीढ़ी की चिन्ता किए बिना विश्व निर्माण कर रहे हैं।

प्रश्न 29. भारत के चार प्रमुख क्षेत्रीय दलों के नाम लिखिये।

उत्तर—भारत के चार प्रमुख क्षेत्रीय दल हैं—(1) अखिल भारतीय अन्नाद्रविड़ मुनेत्र कड़गम। (2) अकाली दल। (3) तेलगूदेशम। (4) शिवसेना।

अथवा

द्वि-दलीय प्रणाली क्या है ? स्पष्ट कीजिये।

उत्तर—द्विदलीय प्रणाली में दो दल प्रमुख होते हैं तथा इनके अलावा बाकी पार्टियों का कोई अस्तित्व नहीं होता। यदि उनका अस्तित्व होता है तो उनकी भूमिका नगण्य होती है। इंग्लैण्ड, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैण्ड में द्वि-दलीय प्रणाली है।

प्रश्न 30. संयुक्त राष्ट्र संघ के दो प्रमुख सिद्धान्त लिखिये।

उत्तर— **संयुक्त राष्ट्र संघ के आधारभूत सिद्धान्त**

1. संघ के सभी सदस्य-राष्ट्र प्रभुत्व सम्पन्न और समान है।

2. संघ के सभी सदस्य राष्ट्र संघ के घोषणा-पत्र में वर्णित अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वाह निष्ठापूर्वक और पूरी ईमानदारी से करेंगे।

3. संघ के सभी सदस्य-राष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के संचालन में किसी राज्य की अखण डता तथा राजनीतिक स्वतन्त्रता के विरुद्ध धमकी अथवा शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे।

4. संघ के सभी सदस्य-राष्ट्र, संघ के घोषणा पत्र में वर्णित संघ के सभी कार्यों में संघ की सहायता प्रदान करेंगे तथा वे किसी भी ऐसे राज्यों को किसी भी प्रकार की सहायता प्रदान नहीं करेंगे जिसके विरुद्ध संघ द्वारा कोई कार्यवाही की जा रही हो।

अथवा

प्रश्न—संयुक्त राष्ट्रसंघ के चार प्रमुख अंगों के नाम लिखिये।

उत्तर—संयुक्त राष्ट्र संघ के चार प्रमुख अंग—(1) महासभा, (2) सुरक्षा परिषद्, (3) न्यास परिषद्, (4) आर्थिक एवं सामाजिक परिषद्

प्रश्न 31. वीटो पावर क्या है ? यह किसे प्राप्त है ?

उत्तर—संयुक्त राष्ट्र संघ के मौलिक विषयों के निर्णयों में सुरक्षा परिषद् के स्थायी सदस्यों को वीटो पावर प्राप्त है। अपने इस निषेधाधिकार का प्रयोग करते हुए कोई भी स्थायी सदस्य किसी भी मामले को अधर में लटका सकते हैं। सुरक्षा परिषद् के निर्णयों को मानना सभी सदस्य राष्ट्रों के लिए अपरिहार्य एवं अनिवार्य है।

अथवा

प्रश्न—अन्तर्राष्ट्रीय बाल संकट कोष को उल्लेखित कीजिए।

उत्तर—अन्तर्राष्ट्रीय बाल संकट कोष—

इसकी स्थापना 11 दिसम्बर, 1946 को हुई। इसका उद्देश्य अविकसित देशों के बालकों के कल्याण के लिए काम करना है। इसका प्रधान कार्यालय न्यूयॉर्क में है। इसका कार्यपालक निदेशक जैम्स पी ग्राण्ट।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 32.''राजनीति विज्ञान का क्षेत्र व्यापक है।'' इस कथन की पुष्टि करें।

उत्तर— उत्तर हेतु सेट-1 के प्रश्न क्रमांक 32 (अथवा) देखें।

अथवा

प्रश्न—राष्ट्रीयता के तत्व या घटक को स्पष्ट कीजिये।

उत्तर—राष्ट्रीयता के तत्व या घटक—राष्ट्रीयता को इसके घटक पदों में परिभाषित करना अत्यन्त कठिन है। यह एक मनोवैज्ञानिक संकल्पना है, अथवा व्यक्तिगत विचार। अत: यह असम्भव है कि कोई ऐसा समाज, गुण अथवा निश्चित रुचि हो सकती है, जो राष्ट्रीयता में सभी जगहों पर समान हो। अत: हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते हैं कि यह विशेष घटक एक अलग राष्ट्रीयता समान है। इस प्रयास में हम यहाँ कुछ घटकों को सूचीबद्ध कर सकते हैं जो कि निम्नलिखित हैं—

1. भौगोलिक संलग्नता—हर व्यक्ति के मन में अपनी जमीन से किसी-न-किसी रूप में लगाव अवश्य होता है, जिसे उसके राष्ट्र, उसकी मातृभूमि अथवा उसकी "तृभूमि के रूप में जानते हैं। किन्तु इसराइल बनने से पूर्व यहूदी पूरी दुनिया में बिखरे हुए थे, किन्तु उनके मन में इजराइल के प्रति ही लगाव था।

2. भाषा समुदाय—सामान्यतया किसी भी राष्ट्र के नागरिकों की एक आम भाषा होती है, क्योंकि इसी के माध्यम से वे अपने विचार तथा संस्कृति का परस्पर आदान-प्रदान करते हैं। राष्ट्र के विकास में भाषा एक सहायक तत्व आवश्यक है, किन्तु यह अनिवार्य तत्व नहीं हो सकती। जैसे स्विस लोग फ्रेंच, जर्मन तथा इटैलियन आदि भाषाएं बोलते हैं, किन्तु उन सबकी राष्ट्रीयता एक है।

3. समान कुल—कुलीय समानता का विचार यह दर्शाता है कि किसी राष्ट्रीयता विशेष से सम्बन्धित लोग एक समूह अथवा सामाजिक एकता से सम्बन्धित होते हैं। कुछ लोग यह सुझाव देते हैं कि कुलीय शुद्धता से ही राष्ट्र बनता है। वैज्ञानिक तौर पर यह गलत है उपरोक्त

अध्ययनानुसार, अप्रवास, अन्तर्जातीय विवाहों आदि के कारण कुलीय शुद्धता लगभग असम्भव है। आज यह मिथक बन गया है। परन्तु यह विश्वास है कि लोग एक वास्तविक या काल्पनिक कुल से सम्बन्धित हैं, इससे राष्ट्रीयता के विचार में योगदान मिला है।

4. सामान्य राजनीतिक आकांक्षाएँ—कुछ विचारक राष्ट्र निर्माण की इच्छा आकांक्षा को राष्ट्रीयता एक प्रमुख सिद्धान्त मानते हैं। 1917 के पेरिस शान्ति सम्मेलन में इसी आधार पर Self determination nation के सिद्धान्त को स्वीकार किया गया।

5. समान धर्म—धर्म भी राष्ट्रीयता का एक महत्वपूर्ण घटक है। समान धर्म से राष्ट्रीय भावना मजबूत होती है। इंग्लैण्ड ने प्रोटैस्टेन्ट (ईसाई धर्म के प्रोटैस्टेन्ट चर्च के अनुयायी) की रक्षा के लिए स्पेन के जहाजी बेड़ों का मुकाबला किया। परन्तु यह एक आवश्यक घटक नहीं है। दरअसल आधुनिक समय में राष्ट्रीयताएं बहुधर्मी बन गई हैं तथा इन परिस्थितियों में धर्म एक व्यक्तिगत मामला बन जाता है और आम जीवन में धर्म निरपेक्षता आ जाती है। धर्म हमेशा जोड़ने वाला घटक ही नहीं होता है। समान धर्म के होते हुए भी पाकिस्तान दो टुकड़ों में बंट गया एवं बंग्लादेश का निर्माण हुआ।

6. समान राजनीतिक व्यवस्था—किसी राज्य में समान राजनीतिक ढांचे का होना भी चाहे वह वर्तमान में हो या भूत में राष्ट्रीयता का एक घटक है। एक राज्य में लोग कानून के द्व ारा एकसूत्र में बंधे होते हैं। एक ही राज्य में इस प्रकार रहने से एकता की भावना उत्पन्न होती है। विभिन्न संकट की घड़ियों में जैसे कि युद्ध के समय देशभक्ति की भावना का विकास होता है। वास्तव में सरकार विभिन्न तरीकों द्वारा इसे प्रोत्साहित करती है।

7. आर्थिक कारक—आर्थिक कार्यकलाप लोगों को एक-दूसरे के समीप लाते हैं। यह तर्क दिया जाता है कि ऐतिहासिक रूप से विभिन्न जनजातियों और कुलों के मिश्रण के परिण ाामस्वरूप ही राष्ट्रीयता उभरती है। आदि समाज में राष्ट्रीयता के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। मार्क्सवादियों का भी यही विश्वास है कि राष्ट्रीयता आर्थिक कारक के कारण ही उभरती है। उनके अनुसार किसी दास युग या सामन्ती समाज के लिए राष्ट्रीयता का कोई महत्व नहीं था तथा राष्ट्रीयता केवल उत्पादन के पूंजीवादी तरीके के बाद ही अस्तित्व में आयी। नि:सन्देह आर्थिक घटक राष्ट्रीयता का एक महत्वपूर्ण कारक है।

8. एक समान अधिनस्था—अफ्रीकी-एशियाई देशों में राष्ट्रीय आन्दोलनों को उभरने में समान अधीनस्थता एक महत्वपूर्ण कारक रहा है। विभिन्न यूरोपीय साम्राज्यों ने उन पर आक्रमण किया। एक एकसमान अधिनस्था के कारण उनमें राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न हुई क्योंकि इसने लोगों में एक होने की भावना जागृत की। भारत के समान औपनिवेशिक शोषण के कारण समान भारतीय राष्ट्रीयता का उदय हुआ।

प्रश्न 33. मार्क्सवाद के द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद पर लेख लिखिये।

उत्तर—द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धान्त—द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद मार्क्स के विचारों का मूल आधार है। मार्क्स ने द्वन्द्वात्मक प्रणाली को हीगल से ग्रहण किया है। मार्क्स का मानना है कि द्वन्द्ववाद का आधार विश्व आत्मा न होकर पदार्थ ही है। यह भौतिक पदार्थ ही संसार का आधार है, पदार्थ विकासमान है और उसकी गति निरन्तर विकास की ओर है, विकास द्वन्द्वात्मक रीति से होता है। वाद-प्रतिवाद और संवाद के आधार पर विकास गतिमान रहता है। मार्क्स के विचारों में पूँजीवाद है जहाँ दो विरोधी वर्गों में संघर्ष होना आवश्यक है। इस संघर्ष में श्रमिकों की विजय होगी और सर्वहारा वर्ग अर्थात् श्रमिक वर्ग का अधिनायकवाद स्था"त होगा। यह प्रतिवाद की अवस्था है। इन दोनों अवस्थाओं में से एक तीसरी व नई स्थिति उत्पन्न होगी जो साम्यवादी

समाज की है। इस स्थिति में न वर्ग रहेंगे न वर्ग संघर्ष होगा और न राज्य आवश्यकतानुसार समाज से प्राप्त करेगा यह तीसरी स्थिति संवाद की स्थिति होगी।

द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद की आलोचना—

(i) मार्क्स द्वारा प्रतिपादित दर्शन का आधार द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद है किन्तु इसने इतने महत्वपूर्ण सिद्धान्त का कहीं भी विस्तृत रूप से वर्णन नहीं किया।

(ii) मार्क्स ने हीगल के अध्यात्मवाद के स्थान पर भौतिकवाद का समर्थन किया है।

(iii) मार्क्स का मानना है कि समाज की प्रगति के लिए संघर्ष व क्रान्ति का होना अनिवार्य है, किन्तु यह सत्य है कि शान्तिकाल में ही समाज की प्रगति तीव्र गति से होती है।

अथवा

प्रश्न—गाँधीवाद के प्रमुख सिद्धान्त लिखिये।

उत्तर— **गाँधीवाद के प्रमुख सिद्धान्त या विचार**

गाँधीवाद के प्रमुख विचार सिद्धान्त को सार रूप में निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जा सकता है—

1. सत्य और अहिंसा के विचार—गाँधीवादी दर्शन में सत्य एवं अहिंसा के विचारों को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है सत्य एवं अहिंसा मानव के धार्मिक भावों के विकास के लिये अनिवार्य है। गाँधीजी के अनुसार सत्य ही ईश्वर है। हिंसा जीवन की पवित्रता तथा एकता के विपरीत है।

2. साध्य तथा साधन की पवित्रता—गाँधीजी का मत है कि साध्य पवित्र है तो उसे प्राप्त करने का साधन भी पवित्र होना चाहिए इसलिए गाँधीजी ने साध्य (स्वतन्त्रता) प्राप्त करने के लिए पवित्र साधन (सत्य और अहिंसा) को अपनाया।

3. राजनीति और धर्म—गाँधीजी राजनीति और धर्म में गहरा सम्बन्ध मानते थे। गाँधीजी कहते थे कि धर्म से पृथक कोई राजनीति नहीं हो सकती। राजनीति तो मृत्यु जाल है क्योंकि वह आत्मा का हनन करती है। वे कहते थे कि धर्म मानव जीवन के प्रत्येक कार्य को नैतिकता का आधार प्रदान करता है।

4. सत्ता का विकेन्द्रीयकरण—गाँधीजी राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में सत्ता के विकेन्द्रीयकरण के पक्ष में थे—

(अ) राजनीतिक शक्तियों का विकेन्द्रीकरण—सत्ता के विकेन्द्रीकरण से गाँधीजी का अभिप्राय यह है कि ग्राम पंचायतों को अपने गांवों का प्रबन्ध और प्रशासन करने का सब अधि. कार दे दिये जाने चाहिए। ग्राम का शासन ग्राम पंचायत द्वारा संचालित हो और ग्राम पंचायत ही व्यवस्था"का कार्यपालिका तथा न्यायपालिका हो।

(ब) आर्थिक शक्तियों का विकेन्द्रीकरण—गाँधीजी आर्थिक क्षेत्र के विकेन्द्रीकरण के पक्ष में थे वे बड़े उद्योगों के स्थान पर कुटीर उद्योगों की स्थापना का पक्ष लेते थे।

5. न्यायधारिता का सिद्धान्त—समाज में व्याप्त आर्थिक असमानता को गाँधीजी अ. हंसात्मक तरीके से दूर करने के पक्ष में थे। इसलिये गाँधीजी ने न्यायधारिता का सिद्धान्त सुझाया। गाँधीजी के अनुसार धनिकों को चाहिए कि वे अपने धन को अपना न समझकर समाज की धरोहर समझे और आवश्यकता से अधिक जो धन है उसे समाज हित में लगाये।

6. साम्राज्यवादी का विरोधी—गाँधीजी ने साम्राज्यवाद का विरोध किया। गाँधीजी के

अनुसार साम्राज्यवादी देश न केवल अधीन देश का आर्थिक नैतिक शोषण करता है वरन् विश्व युद्धों का कारण भी यही है। गाँधीजी का मत है कि नि:शस्त्रीकरण और अहिंसक विश्व समाज से साम्राज्यवाद का स्वयं अंत हो जायेगा।

प्रश्न 34. मौलिक अधिकार की प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं ?

उत्तर—मौलिक अधिकार की विशेषताएँ—मौलिक अधिकार की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

1. राष्ट्रीय आन्दोलन के भावना के अनुकूल—भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन के समय भारतीय नेताओं ने अंग्रेजों के समक्ष बार-बार अपने अधिकारों की मांग रखी थी। स्वतन्त्रता के पश्चात् सौभाग्यवश भारतीय संविधान सभा के लिये राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बहुमत में निर्वाचित हुए थे जिन्होंने स्वतन्त्रता आन्दोलन के समय की अपनी पुरानी मांग को भारतीय संविधान में सर्वोपरि प्राथमिकता देते हुए मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की।

2. सर्वाधिक विस्तृत एवं व्यापक अधिकार—भारतीय संविधान के तृतीय भाग में अनुच्छेद 12 से 30 और 32 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। जो अन्य देशों के संविधानों में किये गये वर्णन की तुलना में सर्वाधिक है।

3. व्यावहारिकता पर आधारित—भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के सिद्धान्त न होकर व्यावहारिक और वास्तविकता पर आधारित है। किसी भेदभाव के बिना समानता के आधार पर सभी नागरिकों के लिए इनकी व्यवस्था की गयी है। साथ ही अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं "छड़ा वर्गों की उन्नति एवं विकास के लिए विशेष व्यवस्था भी की गयी है।

4. अधिकारों के दो रूप—मौलिक अधिकारों के सकारात्मक एवं नकारात्मक दो रूप है। सकारात्मक स्वरूप में व्यक्ति को विशिष्ट अधिकार प्राप्त होते हैं। स्वतन्त्रता धर्म शिक्षा और संस्कृति आदि से सम्बन्धित अधिकारों को इसी श्रेणी में रखा जा सकता है। इस प्रकार सकारात्मक अधिकार सीमित एवं मर्यादित है। नकारात्मक स्वरूप में वे अधिकार आते हैं जो निषेधाज्ञाओं के रूप में है और राज्य की शक्तियों को सीमित एवं मर्यादित करते हैं। इस प्रकार नकारात्मक अधिकार असीमित हैं।

5. मौलिक अधिकार असीमित नहीं—भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को दिये गये मौलिक अधिकार असीमित नहीं है। इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सामाजिक हित में सीमित करने की व्यवस्था की गयी है। लोक कल्याण, प्रशासनिक कुशलता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध भी लगाये जा सकते हैं। संसद ने सन् 1979 में 44वें संविधान द्व ारा सम्पत्ति के मौलिक अधिकार को लेकर केवल एक कानूनी अधिकार बना दिया है।

6. सरकार की निरंकुशता पर अंकुश—मौलिक अधिकार प्रत्येक भारतीय नागरिक की स्वतंत्रता के द्योतक और उसकी भारतीय नागरिकता के परिचायक हैं। संविधान द्वारा इनके उपयोग का पूर्ण आश्वासन दिया गया है। अत: किसी भी स्तर की भारत सरकार मनमानी करते हुए उन पर अनुचित रूप से प्रतिबंध नहीं लगा सकती है। जिला-परिषद्, नगर निगम या ग्राम पंचायतें आदि समस्त निकाय मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकतीं।

7. राज्य के सामान्य कानूनों से ऊपर—मौलिक अधिकार को देश के सर्वोच्च कानून अर्थात् संविधान में स्थान दिया गया है और साधारणतया संविधान संशोधन प्रक्रिया के अतिरिक्त इनमें और किसी प्रकार से परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार मौलिक अधिकार संसद और राज्य-विधानमण्डलों द्वारा बनाये गये कानूनों से ऊपर हैं। संघीय सरकार या राज्य-सरकार इनका हनन नहीं कर सकती।

'गोपालन बनाम मद्रास राज्य' विवाद में **न्यायाधीश श्री पातंजलि शास्त्री ने कहा था**—''मौलिक अधिकारों की सर्वश्रेष्ठ विशेषता यह है कि वे राज्य द्वारा पारित कानूनों से ऊपर है।''

8. न्यायालय द्वारा संरक्षण—मौलिक अधिकार पूर्णतया वैधानिक अधिकार हैं। संविधान की व्यवस्था के अनुसार मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए भारतीय न्यायपालिका को अधिकृत किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 32 के अनुसार, भारत का प्रत्येक नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालयों या सर्वोच्च न्यायालय की शरण ले सकता है। मौलिक अधिकारों को अनुचित रूप में प्रतिबंधित करने वाले कानूनों को न्यायपालिका द्वारा अवैध घोषित कर दिया जाता है। चूंकि भारतीय न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्था"का के नियंत्रण से मुक्त है, इसलिए मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए वह संविधान द्वारा दिये गये संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अन्तर्गत आवश्यक निर्देश भी निर्गत कर सकती है।

9. भारतीय नागरिकों तथा विदेशियों में अन्तर—भारतीय नागरिकों तथा भारत में निवास करने वाले विदेशी नागरिकों के लिए संविधान द्वारा दिये गये मौलिक अधिकारों में अन्तर है। मौलिक अधिकारों में कुछ अधिकार ऐसे हैं, जो भारतीयों के साथ-साथ विदेशियों को भी प्राप्त हैं, जैसे—जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, परन्तु शेष अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए ही सुरक्षित हैं। इस प्रकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त समस्त मौलिक अधिकारों का उपभोग विदेशी नागरिक नहीं कर सकते।

अथवा

प्रश्न—राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्त की विवेचना कीजिये।

उत्तर—भारतीय संविधान में वर्णित राज्य नीति-निर्देशक तत्वों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है—

1. आर्थिक सुरक्षा सम्बन्धी तत्व—भारत में लोक-कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए नीति-निर्देशक तत्वों द्वारा आर्थिक सुरक्षा एवं आर्थिक न्याय की व्यवस्था की गयी है। संविधान के अनुच्छेद 39 में राज्य से कहा गया है कि वह ऐसी नीति अपनाये जिससे—

(i) स्त्री व पुरुष के लिए आजीविका का पर्याप्त साधन जुटाना।

(ii) आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार की हो कि धन एवं उत्पाद के साधनों का अहितकारी केन्द्रीकरण न हो।

(iii) प्रत्येक नागरिक को चाहे वह स्त्री हो या पुरुष समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जा सके।

(iv) देश के भौतिक साधनों का स्वामित्व और नियन्त्रण की ऐसी व्यवस्था करे कि उससे अधिकाधिक सार्वजनिक हित हो सकें।

(v) ग्रामीण क्षेत्रों में वैयक्तिक या सहयोग के अनुसार या कुटीर उद्योग की स्थापना हो सकें।

(vi) औद्योगिक संस्थानों के प्रबन्ध में श्रमिकों की भागीदारी की व्यवस्था हो सके।

2. सामाजिक हित और शिक्षा सम्बन्धी तत्व—सामाजिक हित और शिक्षा के क्षेत्र में राज्य को निर्देश दिया गया है कि—

(i) संविधान लागू होने के 10 वर्ष की अवधि के भीतर 14 वर्ष तक के सभी बालकों के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करें।

(ii) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा तथा उनके आर्थिक हितों का सावधानी से विकास करें।

(iii) अपनी लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक् रखने का प्रयत्न करें।

3. शासन और न्याय सम्बन्धी तत्व—शासन और न्याय के क्षेत्र में राज्य को निर्देश दिया गया है कि वह अधिकार प्रदान करे कि वे स्थानीय स्वायत्त-शासन की इकाइयों के रूप में कार्य कर सकें—

(i) लोकतान्त्रिक भावना के विकास के लिए गाँवों में ग्राम पंचायतों का संगठन करे और उन्हें इस प्रकार के अधिकार प्रदान करे कि वह स्थानीय स्वायत्त-शासन की इकाइयों के रूप में कार्य कर सकें।

(ii) भारत के सम्पूर्ण राज्य-क्षेत्र में नागरिकों को एकसमान आचार संहिता बनाने का प्रयत्न करें।

(iii) अपनी लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक रखने का प्रयत्न करें।

4. राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों एवं वस्तुओं की सुरक्षा सम्बन्धी तत्व—संविधान के अनुच्छेद 49 में राज्य को निर्देश दिया गया है कि वह संसद द्वारा घोषित राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक या ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रत्येक स्मारक, स्थान या वस्तु को कुरूप होने, नष्ट होने, क्रय-विक्रय किये जाने से राज्य को बचाये।

5. पर्यावरण तथा वन और वन्य जीवों की सुरक्षा सम्बन्धी तत्व—सन् 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा पर्यावरण तथा वन्य जीवों की सुरक्षा को भी निर्देशक तत्वों में स्थान दिया गया है। इस संविधान संशोधन में कहा गया है कि राज्य पर्यावरण की सुरक्षा और उसके संवर्द्धन तथा वनों और वन्य जीवन की रक्षा का भी प्रयास करेगा।

6. अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति व सुरक्षा सम्बन्धी तत्व—संविधान के अनुच्छेद 51 में राज्य को यह आदेश दिया गया है कि वह—

(1) अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति व सुरक्षा को प्रोत्साहन देगा।

(2) राष्ट्रों के मध्य न्याय पर आधारित सम्मानपूर्ण सम्बन्ध स्था"त करेगा।

(3) अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा सुलझाने की व्यवस्था को प्रोत्साहन देगा।

प्रश्न 35. मुख्यमंत्री की किन्हीं छः शक्तियों, कार्यों का वर्णन कीजिए।

उत्तर—मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राज्यपाल द्वारा मुख्यमन्त्री नियुक्त किया जाता है। मुख्यमन्त्री राज्य मन्त्रिमण्डल का प्रमुख होता है।

मुख्यमन्त्री के कार्य—मुख्यमन्त्री के कार्य निम्नलिखित हैं—

1. मुख्यमन्त्री राज्य सरकार का वास्तविक मुखिया है। उसी की सिफारिश पर मन्त्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्यपाल मन्त्रियों के विभागों का विभाजन भी मुख्यमन्त्री की सलाह पर ही करता है।

2. मुख्यमन्त्री मन्त्रिमण्डल की बैठकों की अध्यक्षता करता है। वह विभिन्न मंत्रालयों में समन्वय बनाता है तथा मंत्रिपरिषद् का मार्ग दर्शन करता है।

3. राज्य सरकार के कानून तथा नीतियां बनाने में मुख्यमन्त्री की भूमिका प्रमुख होती है। उसकी स्वीकृति से ही कोई मंत्री सदन में विधेयक प्रस्तावित करता है। वह विधानसभा के अन्दर तथा बाहर, दोनों जगह सरकार की नीतियों का मुख्य प्रवक्ता है।

4. संविधान के अनुसार प्रशासन, राजकीय मामले तथा प्रस्तावित विधेयकों के बारे में

राज्यपाल को जानकारी देने का दायित्व मुख्यमंत्री का है।

5. जब कोई राज्यपाल चाहता है तो मुख्यमन्त्री को उपरोक्त विषयों के बारे में राज्यपाल को जानकारी देनी होती है।

6. ऐसा कोई विषय या मामला जिस पर किसी मंत्री ने निर्णय लिया हो परन्तु उस पर मन्त्रिपरिषद् ने विचार नहीं किया हो, राज्यपाल की इच्छा पर मुख्यमन्त्री द्वारा मंत्रिपरिषद् में विचारार्थ रखा जाता है।

अथवा

प्रश्न—संसद में कानून बनाने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिये।

उत्तर—संसद में कानून बनाने की प्रक्रिया—जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है कि संसद मुख्यतया कानून बनाने वाली संस्था है। कोई भी प्रस्तावित कानून संसद में एक विधेयक के रूप में प्रतिस्था"त किया जाता है। संसद में पारित होने तथा राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात् यह कानून बन जाता है। अब हम यह अध्ययन करेंगे कि संसद किस प्रकार कानून बनाती है। संसद के समक्ष आने वाले विधेयक दो प्रकार के होते हैं—

(अ) साधारण विधेयक (ब) धन अथवा वित्त विधेयक

अब हम इन दोनों प्रकार के विधेयकों के कानून बनाने की प्रक्रिया का वर्णन करेंगे।

(अ) साधारण विधेयक—संसद के प्रत्येक सदस्य को साधारण विधेयक प्रस्तावित करने का अधिकार है। प्रस्तावित करने के आधार पर विधेयक दो प्रकार के होते हैं—सरकारी विधेयक और गैर-सरकारी विधेयक। मंत्री सरकारी विधेयक प्रस्तावित करते हैं और जो विधेयक किसी मंत्री द्वारा पेश नहीं किया जाता है। वह गैर-सरकारी विधेयक होता है। जिसका अर्थ यह है कि गैर-सरकारी विधेयक किसी सांसद द्वारा प्रस्तावित किया गया होता है न कि किसी मंत्री द्वारा। संसद का अधिकतर समय सरकारी विधेयकों को निपटाने में लग जाता है। विधेयक को कई अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है।

(क) प्रथम वाचन—विधेयक की प्रतिस्थापना के साथ-साथ विधेयक का प्रथम वाचन प्रारम्भ हो जाता है। यह अवस्था बड़ी सरल होती हैं। जिस मंत्री को विधेयक प्रस्तावित करना होता है, वह अध्यक्ष को सूचित करता है। अध्यक्ष यह प्रश्न सदन के समक्ष रखता है। जब स्वीकृति प्राप्त हो जाती है, जो सामान्यतया ध्वनि मत से हो जाती हैं, तो सम्बन्धित मंत्री को विधेयक को प्रतिस्था"त करने के लिए बुलाया जाता है।

(ख) द्वितीय वाचन—यह सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। सामान्य चर्चा के पश्चात् सदन के पास चार विकल्प होते हैं—

1. सदन स्वयं विधेयक पर विस्तृत धारावार चर्चा करे। 2. विधेयक सदन की प्रवर समिति को भेज दे। 3. दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भेज दे। 4. जनमत जानने के लिए जनता में वितरित करे।

यदि विधेयक प्रवर समिति को सौंपा जाता है तो सम्बन्धित समिति विधेयक का विस्तृत निरीक्षण करती प्रत्येक धारा का निरीक्षण किया जाता है। समिति चाहे तो वह विषय विशेषज्ञों तथा विधिवेत्ताओं से भी उनकी राय ले सकती है। पूरे विचार-विमर्श के पश्चात् समिति अपनी रिपोर्ट सदन को भेज देती है।

(ग) तृतीय वाचन—द्वितीय वाचन पूरा हो जाने के पश्चात्, मंत्री विधेयक को पारित करने के लिए सदन से अनुरोध करता है। इस अवस्था में प्राय: कोई चर्चा नहीं की जाती। सदस्य

केवल विधेयक विरोध या पारित करने के लिए विधेयक का समर्थन अथवा उसका विरोध कर सकते हैं। इसके लिए उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत आवश्यक है।

द्वितीय सदन में विधेयक—किसी एक सदन से विधेयक पारित हो जाने के पश्चात् उसे दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। यहाँ पर भी वही तीन वाचनों वाली प्रक्रिया अपनाई जाती है। जिसका परिणाम इस प्रकार हो सकता है—

(क) विधेयक पारित कर दिया जाए और फिर उसे राष्ट्रपति के लिए भेज दिया जाता है।

(ख) विधेयक में कुछ संशोधन करके उसे पारित किये जाए। संशोधन की दशा में विधेयक पहले पारित करने वाले सदन को वापस भेज दिया जाता है। इस दशा में पहला सदन संशोधनों पर विचार करेगा और यदि उन्हें स्वीकार कर लेता है तो विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है यदि पहला सदन संशोधनों को मानने से मना कर दे, तब इसे गतिरोध माना जाता है।

(ग) दूसरा सदन विधेयक को अस्वीकार कर सकता है जिसका अर्थ गतिरोध है। दोनों सदनों में इस गतिरोध को समाप्त करने के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। राष्ट्रपति के पास भी कुछ विकल्प होते हैं।

(i) वह अपनी स्वीकृति प्रदान करे जिसके साथ ही विधेयक कानून बन जाता है।

(ii) राष्ट्रपति स्वीकृति देने से पूर्व परिवर्तन हेतु कुछ सुझाव दें।

इस दशा में विधेयक इसी सदन को वा"स भेजा जाता है वहाँ प्रारम्भ हुआ था। परन्तु यदि दोनों सदन राष्ट्रपति के सुझाव मान लें या न मानें और विधेयक पुनः पारित करके राष्ट्रपति को भेज दे तो राष्ट्रपति के पास स्वीकृति प्रदान करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है।

प्रश्न 36. उच्च न्यायालय के प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार का वर्णन कीजिए।

उत्तर—प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार—उच्च न्यायालय के प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार में निम्नलिखित विषयों से सम्बन्धित विवाद आते हैं—

1. संविधान से सम्बन्धित विवाद—संविधान के किसी अनुच्छेद को लेकर उत्पन्न हुए विवाद से सम्बन्धित अभियोग उच्च न्यायालय में ही प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

2. मौलिक अधिकारों से सम्बन्धित विवाद—संविधान के अनुच्छेद 226 द्वारा उच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए प्रारम्भिक रूप में समुचित कार्यवाही करने की शक्ति प्रदान की गई है। मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण से सम्बन्धित अभियोग उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किये जाते हैं और उच्च न्यायालय—

(1) बन्दी प्रत्यक्षीकरण लेख, (2) परमादेश लेख, (3) प्रतिशेध लेख, (4) उत्प्रेषण लेख (5) अधिकार पृच्छा लेख जारी करके नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है।

3. अन्य विषयों से सम्बन्धित विवाद—इसके अन्तर्गत उच्च न्यायालय वसीयत, विवाह विच्छेद, विधि कम्पनी कानून व न्यायालय की अवमानना आदि से सम्बन्धित विवादों को सुनता है।

चुनाव याचिकाओं से सम्बन्धित विवाद सीधे उच्च न्यायालय में ही सुने जाते हैं। उच्च न्यायालय के प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत किसी भी सांसद या विधायक के चुनाव विरुद्ध की गयी याचिका पर सुनवाई कर सकता है। उच्च न्यायालय यदि पाता है कि उस सांसद या विधयक ने भ्रष्ट प्रकार से चुनाव जीता है तो वह उस चुनाव को रद्द कर सकता है।

न्यायाधीश से परामर्श करके राष्ट्रपति किसी राज्य के उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश

को भारत राज्य क्षेत्र के किसी अन्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है।

4. न्यायाधीशों की उन्मुक्तियाँ—किसी नागरिक के द्वारा न्यायाधीशों के पदेन कार्यों की सार्वजनिक आलोचना नहीं की जा सकती। न्यायालय की मानहानि (अवमानना) करने वाले किसी भी व्यक्ति को उच्च न्यायालय दण्डित कर सकता है।

उच्च न्यायालय के विचाराधीन मामलों या उसके निर्णयों की संसद में कोई आलोचना नहीं की जा सकती।

5. न्यायाधीशों पर प्रतिबन्ध—उच्च न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश सेवानिवृत्ति पश्चात् उसी राज्य में वकालत नहीं कर सकता जहाँ वह पहले न्यायाधीश रह चुका हो एवं साथ ही दूसरे राज्य के अधीनस्थ न्यायालय में भी वकालत नहीं कर सकता।

अथवा

प्रश्न—उच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार का वर्णन कीजिए।

उत्तर—उच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार—जब किसी न्यायालय के फैसले के विरुद्ध सुनवाई उच्च न्यायालय में होती है तो उसे अपीलीय क्षेत्राधिकार कहते हैं। उच्च न्यायालय अपील करने का न्यायालय है। निचले स्तर के न्यायालयों के फैसले के विरुद्ध सिविल और फौजदारी मामले उच्च न्यायालय में लाये जा सकते हैं।

संविधान के अनुच्छेद 225 के अनुसार उच्च न्यायालय की शक्तियों एवं कर्तव्यों को निम्नांकित बिन्दुओं में विभाजित किया जा सकता है।

सम्बन्धित अभियोगों में जिला न्यायाधीशों द्वारा दिये गये निर्णय के विरुद्ध अपीलें उच्च न्यायालय में की जा सकती हैं।

फौजदारी अपीलें

(i) यदि सत्र न्यायाधीश ने किसी अपराधी को भी मृत्युदण्ड दिया हो तो उसकी पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा होनी चाहिए।

(ii) यदि निचले न्यायालय ने किसी अपराधी को 4 वर्ष या इससे अधिक की सजा दी हो तो उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।

(iii) किसी प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट के निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकती है।

अन्य अपीलें

बिक्रीकर, आयकर, शासकीय कर, भूमि प्राप्ति, उत्तराधिकारी, दिवालियापन, पेटेण्ट व डिजाइन आदि विषयों से सम्बन्धित निर्णयों तथा श्रम न्यायालयों, राजस्व न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है।

प्रश्न 37. आनुपातिक प्रतिनिधत्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली को स्पष्ट कीजिए।

उत्तर—एकल संक्रमणीय मत प्रणाली—प्रतिनिधित्व को आनुपातिक बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली एक मतदान की प्रणाली एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है। इस प्रणाली के अन्तर्गत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से तीन या तीन से अधिक प्रत्याशी होते हैं। मतदाता को केवल एक मत देने का अधिकार होता है। उसका प्रयोग वह मत पत्र पर यह प्रकट करके करता है कि उसका पत्र पहले अमुक उम्मीदवार को उसके बाद अमुक अन्य उम्मीदवार को और उसके बाद अमुक अन्य उम्मीदवार को प्राप्त होना चाहिए। इस प्रकार मतदाता अपनी पसन्द के क्रम को उम्मीदवारों के नामों के

सामने 1, 2, 3 लिखकर प्रकट करता है। निर्वाचित होने के लिए प्रत्येक उम्मीदवार को एक निश्चित मत संख्या का समर्थन प्राप्त करना होता है। निश्चित मत संख्या (Electoral Quot) प्रयुक्त किए हुए मतों की संख्या को निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या से एक अधिक से भाग देकर तथा परिणाम में एक जोड़कर निकाली जाती है। इसका सूत्र निम्न प्रकार है—

$$\text{निश्चित मतों की संख्या} = \frac{\text{मतों की संख्या}}{\text{सदस्यों की संख्या} + 1} + 1$$

इस प्रणाली में वे उम्मीदवार, जो पहली पसन्द में ही निश्चित मत संख्या प्राप्त कर लेते हैं। पहली ही गणना में निर्वाचित घोषित कर दिए जाते हैं। जब पहली पसन्द के अनुसार सब सदस्य निर्वाचित नहीं हो पाते तब मतों का संक्रमण (Transfer) होता है। निर्वाचित उम्मीदवारों के निश्चित मत संख्या से अधिक मतों को दूसरी पसन्द के आधार पर अन्य उम्मीदवारों को हस्तान्तरित कर दिया जाता है। ऐसा करने से जो उम्मीदवार निश्चित मत संख्या प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें फिर निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। मतों का हस्तान्तरण इस प्रकार तब तक होता रहता है जब तक आवश्यक सदस्यों की संख्या निश्चित मत संख्या प्राप्त नहीं कर लेती।

अथवा

प्रश्न—भारत की निर्वाचन प्रणाली की छः विशेषताएँ लिखिये।

उत्तर—भारत के निर्वाचन प्रणाली की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं—

1. वयस्क मताधिकार—भारत में प्रत्येक 18 वर्ष में नागरिक को जो भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया या अपराधी न हो उसे वयस्क मताधिकारी राज्य की ओर से बिना किसी भेदभाव के दिया गया है जिससे कि वह शासन व्यवस्था के संचालन में सक्रिय भाग लेकर लोकतंत्र प्रणाली को साकार करें।

2. संयुक्त निर्वाचन प्रणाली के आधार पर निर्वाचन किए जाते हैं—समाज के पिछड़े वर्गों अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था तो है और उन क्षेत्रों में उन्हीं जाति या वर्गों के प्रत्याशी ही चुनाव लड़ सकते हैं। किन्तु मतदान में उसी क्षेत्र के रहने वाले सभी मतदाता भले ही वह किसी भी जाति वर्ग या धर्म के मतदाता ही भाग लेते हैं। इस प्रकार सम्पूर्ण जनता का प्रतिनिधित्व वे प्रत्याशी करते हैं।

3. गुप्त मतदान प्रणाली—चुनाव में मतदान गुप्त रीति से होता है तथा मतदाता बिना किसी दबाव के मत दे सकता है।

4. एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र—भारत में निर्वाचन के लिए एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला प्रतिनिधि निर्वाचित घोषित किया जाता है। जो उस क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व करता है।

5. स्थानों का आरक्षण—भारत में समाज के "छड़े वर्गों को सुविधा देने के लिए संसद विधानसभाओं नगरपालिकाओं और पंचायतों में स्थान उनके लिए आरक्षित रखे जाते हैं।

6. निर्वाचन की प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष प्रणाली—भारत में निर्वाचन की प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों प्रणालियों को अपनाया गया है। लोकसभा, राज्यों व संघ क्षेत्रों की विधानसभाओं के चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली तथा राज्यसभा व राज्यों की विधानपरिषदों, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा होते हैं।

प्रश्न 38. भारत की विदेश नीति के पंचशील सिद्धान्त को समझाते हुए गुटनिरपेक्ष नीति एवं इसकी विशेषताएँ लिखिए।

उत्तर—उत्तर हेतु सेट-1 प्रश्न क्रमांक 38 देखें।

अथवा

प्रश्न—मानवाधिकार की छः विशेषताएँ लिखिये।

उत्तर—मानवाधिकार की विशेषता—सभी प्रकार के मानवाधिकारों में कुछ समान विशेषताएँ होती हैं। मानवाधिकारों की अवधारणा के आधार पर निम्न विशेषताएँ हैं—

1. स्वयं गरिमापूर्ण मानव जीवन जीने और अन्यों को उनके अधिकार दिलाने का प्रयास करने का सबको अधिकार है। जाति, वंश, धर्म, रंग, लिंग के आधार पर किसी को इनसे वंचित नहीं किया जा सकता।

2. मानवाधिकार सार्वभौमिक है अतः सभी देशों के लोगों को बिना किसी भेद-भाव के सभी को समान अधिकार प्राप्त हैं। सभी विकसित व विकासशील देशों को इन अधिकारों को अपने-अपने नागरिकों को देना सुनिश्चित करना है।

3. मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुए हैं अतः सभी अपनी-अपनी संस्कृति, परम्परा, धार्मिक, राजनैतिक विचारधारा, प्रतिष्ठा इत्यादि का सम्मान करते हुए समान अवसर एवं व्यवहार के अधिकारी हैं। सम्भव है कि कुछ वर्ग विशेष जैसे—महिला, बच्चे, विकलांगों आदि के लिए समान अवसर पैदा करने और कुछ अतिरिक्त कार्य भी सरकारों को करना पड़े।

4. मानव स्वतंत्र व्यक्ति और राज्य के सम्बन्धों से सम्बद्ध होते हैं। परिणामस्वरूप सरकार को ऐसे समाज का निर्माण करना चाहिए, जिससे प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों का स्वतंत्रतापूर्वक उपयोग कर आनन्द उठा सके।

5. वे अधिकार मानव की गरिमा एवं व्यक्ति के विकास के लिए आधारभूत हैं। जीवन का अधिकार, दासता से मुक्ति, उत्पीड़न से स्वतंत्रता का अधिकार सभी मूलभूत अधिकार हैं।

6. मानवाधिकार देशों को ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी मानते हैं जिनसे इन अधिकारों के प्रोत्साहन, संरक्षण एवं आदर का वातावरण बने।

●●

छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल परीक्षा

सॉल्व्ड पेपर दिसम्बर, 2011

कक्षा—12वीं

विषय—राजनीतिशास्त्र

सेट-3

समय : 3 घंटे] **[पूर्णांक : 100**

निर्देश— सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है।

(1) प्रश्न क्रमांक 1 से 22 तक बहुविकल्पीय एवं अतिलघु उत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक के लिए 1 अंक आबंटित है।

(2) प्रश्न क्रमांक 23 से 31 तक लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक के लिए 4 अंक आबंटित हैं।

(3) प्रश्न क्रमांक 32 से 38 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 6 अंक आबंटित हैं।

सही विकल्प चुनकर खाली स्थान की पूर्ति कीजिए

1. पोलिटिक्स शब्द·····शब्द से लिया गया। (पोलिस, पुलिस, राज्य)

2. राज्य के आवश्यक·····तत्व होते हैं। (तीन, चार, पाँच)

3. ''अन्तरात्मा जो कहे वही सत्य है।'' यह कथन है।
(वेबर का, गाँधी जी का, खलील का)

4. मार्क्सवाद के संस्थापक·····हैं। (महात्मा गाँधी, कार्ल मार्क्स, वेबर)

5. भारत देश को आजादी मिली·····।
(14 अगस्त, 1948, 13 अगस्त 1946, 15 अगस्त 1947)

6. संसदात्मक शासन में असली सत्ता ·····के पास होती है।
(जनता, राष्ट्रपति, मंत्रिमण्डल)

7. कारखानों में काम करने के लिए·····वर्ष से कम आयु को कानून द्वारा निषेध किया गया है। (18 वर्ष, 15 वर्ष, 14 वर्ष)

8. भारतीय संविधान के अनुच्छेद·····के अनुसार अस्पृश्यता का अन्त किया गया है। (अनुच्छेद 17, 18, 19)

9. राष्ट्रपति का चुनाव·····वर्षों के लिए होता है। (5, 6, 4)

10. सरकार के ·····अंग होते हैं। (तीन, चार, पाँच)

11. मुख्यमंत्री की नियुक्ति·····करता है। (प्रधानमंत्री, राज्यपाल, पार्टी अध्यक्ष)

12. ····· में महापौर होते हैं। (नगरपालिका में, नगर निगम में, जिला पंचायत में)

उत्तर— 1. पोलिस, **2.** चार, **3.** गाँधीजी का, **4.** कार्लमार्क्स,
5. 15 अगस्त, 1947, **6.** मंत्रिमण्डल, **7.** 14 वर्ष, **8.** 17,

9. 5, **10.** तीन, **11.** राज्यपाल, **12.** नगर निगम में।

नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए

प्रश्न 13. जातिवाद को दूर करने का एक उपाय लिखिए।

उत्तर—अन्तर्जातीय विवाहों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

प्रश्न 14. सम्प्रदायवाद की एक विशेषता बताइए।

उत्तर—यह अंधविश्वास पर आधारित है।

प्रश्न 15. वर्ण व्यवस्था के अन्तर्गत 4 वर्णों के नाम लिखिए।

उत्तर—1. ब्राह्मण, 2. क्षत्रिय, 3. वैश्य, 4. शूद्र।

प्रश्न 16. "छड़ी जातियों के अन्तर्गत किस वर्ग को आरक्षण की सुविधा नहीं है ?

उत्तर—क्रीमीलेयर को।

प्रश्न 17. सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किसे कहते हैं ?

उत्तर—जब राज्य के समस्त वयस्क नागरिकों को जाति, धर्म, वर्ग, सम्प्रदाय, वर्ग, वंश, शिक्षा, सम्पत्ति या लिंग आदि के भेदभाव के बिना उनकी वयस्कता के आधार पर मताधिकार प्राप्त होता है तो इसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं।

उचित सम्बन्ध जोड़िए—

(अ)	**(ब)**
18. मानवाधिकार दिवस	1885
19. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना	10·12·1948
20. संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना	7·4·1949
21. विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना	11·12·1946
22. अन्तर्राष्ट्रीय बाल संकट कोष की स्थापना	1945

उत्तर—18. 10·12·1948, **19.** 1885, **20.** 1945, **21**. 7·4·1949, **22.** 11·12·1946.

निर्देश—प्रश्न क्रमांक 23 से 31 तक लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक आबंटित हैं। (अधिकतम शब्द सीमा 50 शब्द)

प्रश्न 23. राज्य के चार आवश्यक तत्वों को संक्षेप में लिखिए।

उत्तर—उत्तर हेतु सेट 2 के प्रश्न क्रमांक 23 (अथवा) देखें।

अथवा

प्रश्न—राज्य और समाज में चार अन्तर लिखिए।

उत्तर—उत्तर हेतु सेट-2 के प्रश्न क्रमांक 23 देखें।

प्रश्न 24. गाँधीवाद की चार विशेषताएँ लिखिए।

उत्तर— **गाँधीवाद की विशेषताएँ**

1. अध्यात्मवाद पर आधारित—गाँधीजी के मतानुसार, ''परमात्मा ही सत्य है शुद्ध अन्तरात्मा की वाणी ही सत्य है। लोक सेवा ईश्वर प्राप्ति के साधन का आवश्यक अंग है। गाँधीजी मानव समूह को भगवान का विराट रूप मानते थे और उनकी सेवा को भगवान की सेवा।''

2. एक व्यावहारिक दर्शन—गाँधीवाद वास्तविकता पर आधारित है। गाँधीजी कर्मयोगी थे। कर्म में विश्वास करते थे। उनका दर्शन उनके निजी अनुभवों, सत्य के प्रयोगों और अहिंसा पर आधारित है।

3. सत्याग्रह—गाँधीवाद का मूल आधार सत्याग्रह है। सत्याग्रह का अर्थ सत्य को आरूढ़ करना। सत्याग्रह में छल-कपट धोखा का परित्याग कर प्रेम एवं सत्य के नैतिक शस्त्र का प्रयोग करना पड़ता है। सत्याग्रह तो शक्तिशाली और वीर मनुष्य का शस्त्र है।

4. अहिंसा पर आधारित—गाँधीजी का मत था कि अहिंसा के आधार पर ही एक सुव्यवस्थित समाज की स्थापना और मानव जीवन की भावी उन्नति हो सकती है। अहिंसा का अर्थ किसी भी रूप में अन्य किसी व्यक्ति को कष्ट न पहुँचाना है एवं अत्याचारी की इच्छा का आत्मिक बल के आधार पर प्रतिरोध करना भी है। अहिंसा आत्मिक बल का प्रतीक है।

अथवा

प्रश्न—मार्क्सवाद की पाँच विशेषताएँ लिखिए।

उत्तर—मार्क्सवाद की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं—

(i) मार्क्सवाद पूँजीवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है।

(ii) मार्क्सवाद पूँजीवादी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए हिंसात्मक साधनों का प्रयोग करता है।

(iii) मार्क्सवाद प्रजातन्त्रीय संस्था को पूँजीपतियों की संस्था मानते हैं जो उनके हित के लिये और श्रमिकों के शोषण के लिए बनायी गयी है।

(iv) मार्क्सवाद धर्म विरोधी भी है तथा धर्म को मानव जाति के लिए अफीम कहा है जिसके नशे में लोग उँघते रहते हैं।

(v) मार्क्सवाद अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवाद में विश्वास करता है।

प्रश्न 25. सर्वोच्च न्यायालय के प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार का वर्णन कीजिए।

उत्तर—अनुच्छेद 131 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को कुछ मुकदमों पर प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं। प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार का अर्थ है कि ये मुकदमे सीधे उच्चतम न्यायालय में लाए जा सकते हैं और इन्हें पहले किसी छोटे न्यायालय में ले जाने की आवश्यकता नहीं है। प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है—1. संघ तथा राज्यों से सम्बन्धित। 2. मौलिक अधिकारों से सम्बन्धित।

1. संघ तथा राज्यों से सम्बन्धित विवाद—इसमें वे विवाद आते हैं जिनका निर्णय केवल उच्चतम न्यायालय ही कर सकता है; जैसे—

(i) भारत सरकार (केन्द्र सरकार) तथा एक या अधिक राज्यों के बीच का विवाद।

(ii) एक पक्ष केन्द्र सरकार और एक या कुछ राज्यों का हो तथा दूसरा पक्ष एक या अनेक राज्यों का हो।

(iii) दो या दो से अधिक राज्यों के वैध अधिकार के प्रश्न का विवाद।

2. मौलिक अधिकारों से सम्बन्धित विवाद—संविधान के अनुच्छेद 32 (1) के द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिये उच्चतम न्यायालय को समुचित कार्यवाही की शक्ति प्रदान की गयी है। मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिये उच्चतम न्यायालय के द्वारा पाँच प्रकार के लेख जारी किये जा सकते हैं—1. बन्दी प्रत्यक्षीकरण लेख, 2. परमादेश लेख, 3. प्रतिषेध लेख, 4. उत्प्रेषण लेख, 5. अधिकार पृच्छा लेख।

अथवा

प्रश्न—उच्चतम न्यायालय का महत्व लिखिए।

उत्तर—उच्चतम न्यायालय का महत्व—उच्चतम न्यायालय की आवश्यकता एवं महत्व के विषय में भारत के भूतपूर्व महान्यायवादी **श्री एम. सी. सीतलवाड** ने कहा है, ''उच्चतम न्यायालय संघ एवं राज्य सरकारों के पारस्परिक विवादों का निपटारा एवं संविधान का स्पष्टीकरण करेगा। नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा एवं जनता के राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों को व्यावहारिक रूप प्रदान करेगा।''

सर्वोच्च न्यायालय के महत्व को मुख्य रूप से निम्नांकित शीर्षक के अन्तर्गत विभाजित किया जा सकता है।

1. मौलिक अधिकारों के संरक्षक के रूप में—सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकारों का संरक्षक भी है। यदि कार्यपालिका किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन करती है तो न्यायालय लेख जारी करके उस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। इसके अलावा संसद या विधान मण्डलों द्वारा बनाये गये ऐसे कानूनों को न्यायालय अवैध घोषित कर देता है जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करते हों।

2. संविधान के संरक्षक के रूप में—संविधान के संरक्षक के रूप में उच्चतम न्यायालय केन्द्र (संसद) एवं राज्यों के विधान मण्डलों द्वारा बनाये गये कानूनों को अवैध घोषित करता है जो संविधान के विरुद्ध होते हैं।

3. चुनाव याचिकाओं की सुनवाई—न्यायपालिका में राज्यों एवं केन्द्रीय क्षेत्रों के प्रत्याशी चुनाव याचिकाएँ दायर करते हैं।

इस प्रकार स्पष्ट है कि उच्चतम न्यायालय अपनी निष्पक्ष एवं स्वतंत्र न्यायप्रणाली के द्वारा न्याय प्रदान करके लोकतंत्र के प्रति नागरिकों में विश्वास की भावना उत्पन्न करता है।

प्रश्न 26. भारत में निर्वाचन प्रणाली की चार विशेषताएँ लिखिए।

उत्तर—उत्तर हेतु सेट-2 के प्रश्न क्रमांक 37 (अथवा) देखें।

अथवा

प्रश्न—भारत में निर्वाचन प्रक्रिया के चार सोपानों का संक्षेप में लिखिए।

उत्तर—उत्तर हेतु सेट-1 के प्रश्न क्रमांक 37 देखें।

प्रश्न 27. भारतीय विदेश नीति के पंचशील सिद्धान्त को समझाते हुए, गुटनिरपेक्ष नीति एवं इसकी विशेषताएँ लिखिए।

उत्तर—उत्तर हेतु सेट-1 के प्रश्न क्रमांक 38 देखें।

अथवा

प्रश्न—भारत व पाकिस्तान के मध्य विवाद के चार कारण लिखिए।

उत्तर—भारत व पाकिस्तान के मध्य विवाद के चार कारण निम्नलिखित हैं—

1. कश्मीर समस्या
2. शिमला समझौता
3. बांग्लादेश का निर्माण
4. भारत में विभिन्न आतंकवादी गतिविधियों में पाकिस्तान का हाथ।

प्रश्न 28. भारतीय संघवाद के चार पंचशील सिद्धान्तों को समझाते हुए गुटनिरपेक्ष नीति एवं इसकी विशेषताएँ लिखिए।

उत्तर—उत्तर हेतु सेट-1 के प्रश्न क्रमांक 38 देखें।

अथवा

प्रश्न—एकात्मक शासन के चार लक्षण लिखिए।

उत्तर—उत्तर हेतु सेट-1 के प्रश्न क्रमांक 25 (अथवा) देखें।

प्रश्न 29. मौलिक अधिकारों की रक्षा उच्चतम न्यायालय किन लेखों के द्वारा करता है?

उत्तर—संविधान के अनुच्छेद 226 द्वारा उच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों

की रक्षा करने के लिए प्रारम्भिक रूप में समुचित कार्यवाही करने की शक्ति प्रदान की गई है। मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण से सम्बन्धित अभियोग उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किये जाते हैं और उच्च न्यायालय—(1) बन्दी प्रत्यक्षीकरण लेख (2) परमादेश लेख (3) प्रतिषेध लेख (4) उत्प्रेषण लेख (5) अधिकार पृच्छा लेख, जारी करके नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है।

अथवा

प्रश्न—उच्चतम न्यायालय का गठन किस प्रकार होता है ? चार बिन्दुओं में लिखिए।

उत्तर—उत्तर हेतु सेट 1 के प्रश्न क्रमांक 27 देखें।

प्रश्न 30. भारत के चार प्रमुख राष्ट्रीय दलों के नाम व संक्षेप में वर्णन कीजिये।

उत्तर—1. **कांग्रेस**—मूलत: कांग्रेस की स्थापना 1885 में डब्लू. सी. बेनर्जी की अध्यक्षता में मुम्बई में हुई थी। बाद में इन्दिरा गाँधी ने 1978 में इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आई) कर दिया जो बाद में कांग्रेस (आई) के नाम से जानी जाने लगी।

इसके बाद 1984 तक इंदिरा गाँधी इसकी अध्यक्ष रही। उनकी हत्या के बाद उनके पुत्र राजीव गाँधी अध्यक्ष हुए तथा राजीव गाँधी की हत्या के बाद पी. वी. नरसिम्हा राव कांग्रेस के अध्यक्ष हुए। नरसिम्हा राव के हटने के बाद 1996 की सीताराम केसरी और अब सोनिया गाँध ाी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं।

2. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)—भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में गाँधीवाद समाजवाद की स्थापनाओं के विरोध में हुई थी। गाँधीवादी समाजवाद महात्मा गाँधी जयप्रकाश नारायण तथा दीनदयाल उपाध्याय की विचारधाराओं पर आधारित है।

भाजपा को 1984 में हुए आम लोकसभा चुनावों में केवल दो सीटें मिली थीं उसे 1989 में 88 सीटें प्राप्त हुईं। 1991 में इसे 119 तथा 1996 में 161 सीटें प्राप्त हुईं। जब 1996 के लोक सभा चुनावों में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर सामने आयी थी तब राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने उसके नेता अटल बिहारी वाजपेयी को सरकार गठित करने के लिए आमंत्रित किया था किन्तु संसद में अपना बहुमत सिद्ध न कर पाने के कारण उन्होंने 13 दिनों में ही अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था और भाजपा की सरकार गिर गई थी। 1998 के लोकसभा चुनाव में पुन: भाजपा सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। वाजपेयी के नेतृत्व में भाजपा तथा उसके अनेक सहयोगी दलों ने मिलकर केन्द्र सरकार का गठन किया।

3. साम्यवादी दल—भारतीय दल (सी. पी. आई.) और भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्स. िवादी) दो साम्यवादी दल हैं। कांग्रेस के बाद साम्यवादी दल ही सबसे पुराना राजनीतिक दल है। साम्यवादी आन्दोलन 1920 के दशक के प्रारम्भ में शुरू हुआ और 1925 में साम्यवादी दल की स्थापना हो गई।

पूरे नेहरू युग में साम्यवादी दल ही मुख्य विपक्षी दल था। प्रथम लोकसभा में उनके 26 सदस्य थे। दूसरी ओर तीसरी लोकसभा में उनके क्रमश: 27 और 29 सदस्य थे। 1957 में सी. पी. आई. (भारतीय साम्यवादी दल) को केरल में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ है और उसमें भारत के किसी एक राज्य में पहली साम्यवादी सरकार बनाई। 60 के दशक के प्रारम्भ में विशेष रूप से 1962 में भारत पर चीनी आक्रमण के बाद भारतीय साम्यवादी दल के सदस्यों में गम्भीर मतभेद पैदा हुए। परिणामस्वरूप पार्टी दो भागों में बंट गई। सी. पी. आई से अलग होने वालों ने 1964 में सी. पी. आई. (एम) का गठन किया। 2004 के लोकसभा चुनावों के बाद सी. पी. आई. (एम) दोनों ही कांग्रेस गठबंधन की सरकार के समर्थक रहे हैं। वे संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे हैं।

4. बहुजन समाज पार्टी—बहुजन समाज पार्टी (बसपा) को 1996 में राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त हुआ। बसपा "छड़ी जातियों, वंचित समूहों और अल्प संख्यकों के हितों की बात करती है। बसपा का विश्वास है कि इस बहुसंख्यक समाज को ऊंची जातियों के शोषण से मुक्त करवाना चाहिए

और उनको अपनी सरकार बनानी चाहिए। बसपा का प्रभाव क्षेत्र उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब आदि में देखा जा सकता है। 1995 और 1997 में बसपा उत्तर प्रदेश में गठबंधन सरकारों में भागीदार थी। लेकिन 2007 में पहली बार इस दल ने बहुमत प्राप्त कर उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाई है।

अथवा

प्रश्न—चार क्षेत्रीय दलों का वर्णन कीजिए।

उत्तर—

(i) समाजवादी पार्टी

अक्टूबर 1992 में मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी नामक एक नये दल का गठन किया। उन्होंने इस दल का मुख्य लक्ष्य समाजवाद धर्मनिरपेक्षता तथा लोकतन्त्र रखा। मुलायम सिंह ने यह घोषित किया कि समाजवादी पार्टी डाक्टर लोहिया के सिद्धान्तों पर आधारित होगी। इस पार्टी का मुख्य कार्य क्षेत्र उत्तर प्रदेश है। 1993 में समाजवादी पार्टी ने विधानसभा चुनावों में बहुजन पार्टी के साथ गठबन्धन किया। इसमें उसे सफलता मिली और मुलायम सिंह यादव मुख्यमन्त्री बने किन्तु वह गठबन्धन 1995 में जाकर टूट गया। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में समा. जवादी पार्टी की सरकार है।

(ii) तेलगूदेशम्

इस दल की स्थापना 1982 में एन. टी. रामाराव ने की थी। इस दल ने जनवरी 1983 तथा 1985 के विधानसभा चुनावों में भारी सफलता प्राप्त की। इस दल ने 6 वर्ष के शासन के दौरान जनता को दो रुपये किलो चावल दिलवाया तथा प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों को दोपहर के मुक्त भोजन की व्यवस्था की। तेलगू भाषा को प्रदेश की सरकारी भाषा का दर्जा दिया तथा सम्पर्क भाषा का स्थान हिन्दी को दिया। 1992 में कांग्रेस सरकार के समर्थन तथा विरोध के प्रश्न को लेकर यह दल दो भागों, तेलगू देशम (ए. टी. आर) तथा तेलगू देशम (चन्द्रबाबू नायडू) में विभाजित हो गया।

(iii) शिवसेना

शिवसेना महाराष्ट्र का एक क्षेत्रीय दल है। इसकी स्थापना श्री बाल ठाकरे ने की थी। शिवसेना हिन्दुत्व के आधार पर गठित दल है। निर्वाचन आयोग ने इस दल को एकक्षेत्रीय दल की मान्यता प्रदान की है। 1986 से 1996 के बीच महाराष्ट्र में शिवसेना का प्रभाव गाँव-गाँव तक फैल गया। इस समय महाराष्ट्र में शिव सेना की 12 हजार शाखायें काम कर रही हैं।

(iv) असम गण परिषद् में

असम गण परिषद् की स्थापना 1985 में की गयी थी। यह दल असम आन्दोलन (1979-1985) की देन थी। असम आन्दोलन का नेतृत्व दो दल कर रहे थे—अखिल असम संघ तथा अखिल असम संग्राम परिषद्। इन दोनों दलों के एक होने पर असमगण परिषद् नामक राजनीतिक दल का गठन किया गया। 1985 में असम समझौते के बाद विधानसभा के चुनाव हुए जिसमें असमगण परिषद् को भारी सफलता प्राप्त हुई और इसकी सरकार बनी। इस दल का प्रमुख कार्यक्रम था, असम में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले विदेशियों को असम से बाहर निकालना और असमी भाषा संस्कृति की रक्षा करना।

प्रश्न 31. सार्वभौम वयस्क मताधिकार का महत्व बताइए।

उत्तर—

वयस्क मताधिकार का महत्व

सार्वभौम वयस्क मताधिकार का महत्व निम्नलिखित है—

1. वयस्क मताधिकार द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से जनता की शासन में भ. ागीदारी होती है तथा जनता राष्ट्रीय समस्याओं, माँगों तथा विभिन्न हितों के विषय में सोचती है। इससे नागरिकों में राजनीतिक चेतना जागृत होती है।

2. वयस्क मताधिकार के कारण सरकार व जनता के बीच सामंजस्य पैदा होता है जो शासन की कार्यकुशलता के लिए आवश्यक है।

3. वयस्क मताधिकार के कारण सरकार को संवैधानिक आधार मिलता है।

4. इसका महत्व यह है कि जब चाहे मतदाता सरकार बदल सकती है।

5. वयस्क मताधिकार से नागरिक की प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। देश में क्रान्ति की सम्भावना नहीं रहती है।

अथवा

प्रश्न—किसी भी राजनीतिक दल का क्या उद्देश्य होना चाहिए ?

उत्तर—प्रत्येक लोकतांत्रिक समाज तथा सत्तावादी व्यवस्था में राजनीतिक दल होते हैं। एक राजनीतिक में राजनीतिक दल होते हैं। एक राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक दल विचारों, अभिमतों तथा पद्धतियों के वाहक के रूप में कार्य करते हैं। दल नागरिकों और सरकार के बीच तथा मतदाता और प्रतिनिधात्मक संस्थाओं के बीच कड़ी का काम करते हैं। वास्तव में एक स्वस्थ दलीय व्यवस्था की आवश्यकता होती है। राजनीतिक दल ऐसे उपकरण हैं जिनके माध्यम से नागरिक उन प्रतिनिधियों को चुनते हैं। सरकार बनाते हैं। वे वैकल्पिक नीतियों के गुण एवं खतरों से नागरिकों को उन्हें अवगत ही नहीं कराते अ"तु राजनीतिक शिक्षा भी देते हैं।

राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य होता है—राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना। जो राजनीतिक दल सरकार चलाता है, उसे सत्ता पक्ष कहते हैं तथा जो दल विपक्ष में बैठते हैं, सत्ता पक्ष की आलोचना करते हैं तथा सरकार में हिस्सा नहीं लेते उन्हें विपक्षी दल कहते हैं।

निर्देश—प्रश्न क्रमांक 32 से 38 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 6 अंक आबंटित हैं। **(शब्द सीमा—120 शब्द)**

प्रश्न 32. 'राज्य के नीति-निर्देशक तत्व एवं मौलिक अधिकार एक-दूसरे के पूरक हैं।'' समझाकर लिखिए।

उत्तर—नीति-निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार में घनिष्ठ सम्बन्ध है। सम्बन्धों की विवेचना निम्नांकित शीर्षकों के अन्तर्गत की जा सकती है—

1. समता के अधिकार के पूरक—समता के अधिकार के अन्तर्गत कानून की दृष्टि में सबको समान माना गया है, सभी को समान रूप में कानूनी संरक्षण दिया गया है। नीति-निर्देशक तत्वों के द्वारा राज्य को निर्देश दिया गया है कि वह राज्य के समस्त नागरिकों के लिए कानून की व्यवस्था करेगा। सामाजिक समानता की स्थापना के लिए नीति-निर्देशक तत्वों में निर्देश दिया गया है कि राज्य और "छड़े वर्गों के शैक्षणिक व आर्थिक हितों की रक्षा करेगा एवं विकास के लिए उचित व्यवस्था करेगा। राज्य से भी नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए समान अवसर उपलब्ध कराये जायेंगे। इन बातों से सिद्ध होता है कि समता के अधिकार पूर्ति के लिए नीति-निर्देशक तत्वों में अनेक व्यवस्थाएँ किए जाने के निर्देश दिये गये हैं।

2. स्वतंत्रता के अधिकार के पूरक—स्वतन्त्रता के अधिकार के अन्तर्गत दी गयी स्वतंत्रताओं में से कुछ स्वतंत्रताओं की व्यवस्था नीति-निर्देशक तत्वों के माध्यम से की जाती है, जैसे मौलिक अधिकार के अन्तर्गत रोजगार चुनने की स्वतन्त्रता प्रदान की गई है। इसकी पूर्ति के लिए नीति-निर्देशक तत्वों में राज्य को यह उत्तरदायित्व सौंपा गया है कि वह समान कार्य के लिए समान वेतन तथा रोजगार के अवसर उपलब्ध करायेगा। साथ ही उद्योग-धन्धों का, कृषि के विकास का प्रयत्न करेगा तथा श्रमिकों को उचित पारश्रमिक देने की व्यवस्था करेगा।

3. शोषण के विरुद्ध अधिकार के पूरक—शोषण के विरुद्ध अधिकार के अन्तर्गत बेगार और मानव के क्रय-विक्रय पर प्रतिबंध लगा दिया गया है तथा 14 वर्ष से कम आयु के बालकों से जोखिम भरे कठोर परिश्रम कराया जाना प्रतिबंधित कर दिया गया है। नीति-निर्देशक

तत्वों के अन्तर्गत यह व्यवस्था की गयी है कि राज्य 14 वर्ष तक के बालकों के लिए नि:शुल्क अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा एवं राज्य श्रमिकों के स्वास्थ्य, उनकी शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न होने देगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि नीति-निर्देशक तत्व शोषण के विरुद्ध अधिकार के पूरक हैं।

4. सांस्कृतिक तथा शिक्षा सम्बन्धी अधिकारों के पूरक—सांस्कृतिक एवं शिक्षा सम्बन्धी अधिकार के अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने तथा अपनी संस्कृति का विकास करने का अधिकार प्रदान किया गया है। राज्य-नीति के निर्देशक तत्वों द्वारा यह व्यवस्था की गयी है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए राज्य अनिवार्य एवं नि:शुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगा साथ ही उच्च एवं तकनीकी शिक्षा की भी व्यवस्था करेगा और भाषा एवं संस्कृति के विकास के लिए प्रयत्नशील रहेगा।

5. संवैधानिक उपचारों के अधिकारों के पूरक—यदि किसी नागरिक के मौलिक अधि. कारों का अपहरण किया जाता है तो ऐसी दशा में नागरिक न्यायपालिका की शरण में जा सकते हैं। ऐसी अवस्था में न्यायालय उसकी रक्षा करेगा। यह तभी सम्भव है जब न्यायालय निष्पक्ष एवं स्वतन्त्र हो न्यायपालिका को निष्पक्ष और स्वतंत्र बनाने के लिए न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक् रखने की व्यवस्था की गयी है। इस विवेचन के आधार पर हम कह सकते हैं कि नीति-निर्देशक तत्व मौलिक अधिकारों के पूरक हैं।

अथवा

प्रश्न—हमारे मौलिक कर्त्तव्यों का उल्लेख कीजिए।

उत्तर—26 जनवरी, 1950 में लागू किये गये भारतीय संविधान में नागरिकों के केवल अधिकारों का ही उल्लेख किया था, मूल कर्तव्यों का नहीं। संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा भाग 4 में धारा 51A के अन्तर्गत 11 मौलिक कर्त्तव्यों का उल्लेख किया गया है। सन् 2002 में धारा 51 A के अनुभाग द्वारा एक और कर्त्तव्य इसमें जोड़ दिया गया है। कर्तव्य निम्नलिखित हैं—

1. संविधान का पालन करें, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें।
2. ऐसे आदर्शों का अनुसरण करें, जिनसे स्वतन्त्रता आन्दोलन को प्रोत्साहन मिलता था।
3. भारत की एकता और अखण्डता की रक्षा करें।
4. जब भी आवश्यकता पड़े तो देश की रक्षा करें।
5. सभी वर्गों के लोगों में भ्रातृत्व और समरसता की भावना बढ़ाएं और स्त्रियों की प्रतिष्ठा का आदर करें।
6. अपनी गौरवशाली परम्परा और समरस संस्कृति को बनाए रखें।
7. प्राकृतिक पर्यावरण जिसमें वन, नदियाँ, झील और जगत् के जीव-जन्तु शामिल हैं, का संरक्षण एवं सुधार करना।
8. मानवतावाद और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास।
9. सार्वजनिक सम्पत्ति की रक्षा करना और हिंसा का प्रयोग न करना।
10. व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यकलाप के हर क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रयास करना।
11. 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को उनके माता-"ता या अभिभावक द्वारा शिक्षा का अवसर प्रदान करना [86 संविधान संशोधन 2002, धारा 51 A अनुभाग (K)]

प्रश्न 33. वे कौन-सी परिस्थितियाँ हैं, जब संसद राज्य सूची में सम्मिलित विषयों पर कानून बना सकती है ?

उत्तर—निम्नलिखित परिस्थितियों में संसद उन विषयों में कानून बना सकती है। जो राज्य सूची में शामिल है—

1. राज्य सूची का विषय राष्ट्रीय महत्व का होने पर—यदि राज्यसभा अपने दो तिहाई बहुमत से यह प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है कि राज्य सूची में उल्लेखित कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया है तो संसद को उस विषय पर विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त हो सकता है।

2. राज्यों के विधानमण्डल द्वारा इच्छा प्रकट करने पर—यदि दो या दो से अधिक राज्यों के विधान मण्डल प्रस्ताव पास कर यह इच्छा व्यक्त करते हैं कि राज्य सूची के किसी विषय पर संसद द्वारा कानून निर्माण किया जाय तो उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त हो जाता है।

3. संकटकालीन घोषणा होने पर—संकटकालीन घोषणा की स्थिति में राज्य की समस्त विधायिनी शक्ति पर संसद का अधिकार हो जाता है।

4. राज्यों में संवैधानिक व्यवस्था भंग होने पर—यदि किसी राज्य में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो जाय तो राष्ट्रपति राज्य विधान मण्डल के समस्त अधिकार भारतीय संसद को प्रदान कर सकता है।

अथवा

प्रश्न—भारत के राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकारों का उल्लेख कीजिए।

उत्तर—भारतीय संविधान द्वारा आकस्मिक आपातों तथा संकटकालीन परिस्थितियों का सामना करने के लिए राष्ट्रपति को अपरिमित शक्तियां दी गयी हैं। संविधान के अनुच्छेद 352 से 360 तक तीन प्रकार के संकटों का अनुमान किया गया है—

1. युद्ध बाह्य आक्रमण या आन्तरिक संकट—संविधान के अनुच्छेद 352 में लिखा है कि यदि राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि भारत अथवा उसके किसी भाग की सुरक्षा बाहरी आक्रमण और आन्तरिक हो जाय कि भारत अशान्ति आदि की सम्भावना से खतरे में हो तो वह संकटकाल की घोषणा कर सकता है।

राष्ट्रपति के द्वारा घोषित संकट काल की घोषणा को दो महीने के अन्दर संसद के प्रत्येक सदन में प्रस्तुत करना आवश्यक है। आपात काल की घोषणा का प्रभाव 6 महीने तक रहेगा।

2. राज्यों में संवैधानिक व्यवस्था विफल होने पर—अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत यदि राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन द्वारा अथवा किसी अन्य सूत्र से यह समाधान हो जाय कि किसी राज्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी है जिससे उस राज्य का प्रशासन संविधान के उपबन्धों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है तो उसे यह शक्ति प्राप्त है कि राज्य के लिए आपातकाल की घोषणा कर दें। घोषणा का संसद द्वारा समर्थन करना आवश्यक है। संसद के समर्थन के बाद भी यह घोषणा 6 माह से अधिक प्रवर्तन में नहीं रहेगी।

3. वित्तीय संकट—यदि राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि भारत की आर्थिक स्थिरता अथवा साख को खतरा पैदा हो गया है तो वह वित्तीय संकट की घोषणा कर सकता है, यह घोषणा संसद के समक्ष 2 माह के भीतर रखी जायेगी। संसद की अनुमति से यह घोषणा अनिश्चित काल तक चल सकती है।

प्रश्न 34. ग्राम-पंचायत के गठन एवं प्रमुख कार्यों को लिखिए।

उत्तर—उत्तर हेतु सेट-1 के प्रश्न क्रमांक 35 (अथवा) को देखें।

अथवा

प्रश्न—पाँचवीं अनुसूची द्वारा छ. ग. शासन ने जनपद व जिला पंचायत को कौन-कौन से विशेष अधिकार दिये हैं ?

उत्तर—पंचायत अधिनियम के अन्तर्गत जिला व जनपद पंचायतों की शक्तियों का वर्णन

ऊपर किया गया है। किन्तु पाँचवीं अनुसूची वाली जनपद व जिला पंचायतों को कुछ विशेष अधिकार छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दिये गये हैं—

1. राज्य सरकार ने जनपद और जिला पंचायत को जो सरकारी विभाग दिये हैं, उन संस्थाओं और उनके कर्मचारियों पर सम्बन्धित पंचायतों का नियन्त्रण रहेगा अर्थात् इन विभागों के कर्मचारियों की छुट्टी, वेतन, कार्य सब पंचायत ही तय करेगी।

2. जनपद व जिला पंचायत क्षेत्र में आने वाली स्थानीय योजनाओं पर, इस योजना के लिए आने वाले धन के स्रोत और खर्च पर इसका नियन्त्रण होगा।

3. अनुसूची क्षेत्रों में लागू होने वाली जनजातीय उपयोजना पर, तथा इसके धन और खर्च सभी पर जनपद व जिला पंचायत का अपने-अपने कार्यक्षेत्रों में नियंत्रण होगा। उदाहरण के लिये बस्तर विकासखण्ड में जनपद पंचायत का नियन्त्रण।

4. लघु जलाशयों के उपयोग, प्रबन्धन की योजना बनाने का अधिकार जनपद व जिलापंचायतों को दिया गया है।

5. राज्य सरकार द्वारा दिये गये कार्यों को भी करना पड़ता है।

प्रश्न 35. जनहित याचिका पर निबन्ध लिखिए।

उत्तर—जनहित याचिका—प्रारम्भिक दौर में सर्वोच्च न्यायालय सहित न्यायपालिका केवल उन्हीं के मुकदमे सुनने के लिये स्वीकार करती थी जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित होते थे। यह केवल मूल तथा अपील सम्बन्धी अधिकार क्षेत्र के ही मुकदमे सुनती थी और उन पर फैसला सुनाती थी। परन्तु बाद में न्यायपालिका जनहित याचिकाओं पर आधारित मुकदमे भी सुनने लगी। इसका अभिप्राय यह है कि वे लोग भी जिनका किसी मामले से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है, न्यायालय में कोई जनहित का मामला ला सकते हैं। यह न्यायालय का विशेषाधिकार है कि वह उस जनहित याचिका को स्वीकार करें या न करे। जनहित याचिका की अवधारणा को न्यायमूर्ति पी एन भगवती ने शुरू किया था। जनहित याचिका अब इसलिए महत्वपूर्ण बन गई है क्योंकि इससे समाज के निर्धन तथा कमजोर वर्गों को सुगमता से न्याय मिलने लगा है। पत्रकारों, वकीलों तथा समाज सेवकों यहाँ तक कि समाचार पत्रों की रिपोर्टों के आधार पर भी सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक जनहित याचिकाएं स्वीकार की हैं। आइए यह जानने के लिए कि जनहित ने किस प्रकार लोगों को न्याय दिलवाया है, कुछ उदाहरण देखें।

जनहित याचिकाओं के द्वारा अवैध रूप से बन्दी बनाए गए लोगों को जिन पर मुकदमे चल रहे हैं उन्हें कई अधिकार दिलाए गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कई कैदियों को बिना मुकदमा चलाए ही व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के आधार पर रिहाई के आदेश दिए हैं क्योंकि व्यक्तिगत स्वतन्त्रता किसी न्यायिक व्यवस्था अथवा नौकरशाही की अक्षमता या अयोग्यता से कम नहीं है।

पर्यावरण के प्रदूषण के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कानपुर, दिल्ली तथा कुछ अन्य स्थानों पर कुछ फैक्टरियों के बन्द करने के आदेश दिए हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिकाकिधि निर्णय लेने के कारण जनहित याचिकाओं का क्षेत्र काफी बढ़ गया है। अब कोई भी व्यक्ति केवल एक पत्र के माध्यम से न्यायालय तक पहुँच सकता है और यदि सर्वोच्च न्यायालय को यह विश्वास हो जाए कि मामला जनहित का है तो वह उसी पत्र को याचिका मान सुनवाई के निदेश दे सकता है। ताकि जनहित की रक्षा की जा सके। जनहित याचिकाओं की इस प्रक्रिया ने न्यायिक सक्रियतावाद को बढ़ावा दिया है।

अथवा

प्रश्न—उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है ? इसके लिए क्या योग्यताएँ होनी चाहिए ?

उत्तर—उच्च न्यायालय को निम्नांकित बिन्दुओं में विभाजित किया जा सकता है—

(1) न्यायाधीशों की संख्या—प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होता है और अन्य न्यायाधीशों की संख्या आवश्यकतानुसार राष्ट्रपति द्वारा बढ़ायी जा सकती है।

(2) न्यायाधीशों की नियुक्ति—संविधान के अनुच्छेद 217 (1) की व्यवस्था के अनुसार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और सम्बन्धित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाती है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं उस राज्य के राज्यपाल एवं राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेता है।

(3) न्यायाधीशों की योग्यताएँ—संविधान के अनुच्छेद 217 (2) के अनुसार उच्च न्यायाधीश वही व्यक्ति हो सकता है।

(i) जो भारत का नागरिक हो।

(ii) जो भारत का राज्य क्षेत्र में कम-से-कम दस वर्ष तक किसी न्यायिक पद पर कार्य कर चुका हो।

(iii) जो किसी राज्य के उच्च न्यायालय या ऐसे दो या दो से अधिक न्यायालयों में निरन्तर दस वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो।

(iv) जो किसी न्यायाधिकरण के सदस्य के रूप में 10 वर्ष तक कार्य कर चुका हो।

(v) राष्ट्रपति के विचार में ख्याति प्राप्त न्यायशास्त्री हो।

(4) न्यायाधीशों द्वारा शपथ ग्रहण—संविधान के अनुसार 219 के अनुसार उच्च न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश को अपने पद ग्रहण करने के पूर्व राज्यपाल के समक्ष अपने पद की गोपनीयता, गरिमा, कर्तव्यनिष्ठा एवं ईमानदारी की शपथ लेनी पड़ती है।

(5) न्यायाधीशों का कार्यकाल—एक बार उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के बाद वे 62 वर्ष की आयु तक पद पर बने रहते हैं। सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें या तो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है या वे उच्चतम न्यायालय या किसी ऐसे उच्च न्यायालय में वकालत कर सकते हैं जिसमें वे न्यायाधीश न रहे हों।

किसी भी उच्च न्यायालय की 62 वर्ष की आयु से पहले भी हटाया जा सकता है यदि वह असक्षमत है अथवा उसका दुर्व्यवहार सिद्ध हो जाये।

(6) न्यायाधीशें के केवल एवं भत्ते—उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का मासिक वेतन 30,000 (तीस हजार) रुपये 500 (पाँस सौ) रुपये भत्ता एवं अन्य न्यायाधीशों को 26,000 (छब्बीस हजार) रुपये मासिक वेतन एवं 300 (तीन सौ) रुपये भत्ता प्राप्त होता है।

प्रश्न 36. भारतीय लोकतंत्र पर जातिवाद का किस प्रकार दुष्प्रभाव पड़ रहा है ?

उत्तर—जातिवाद का लोकतंत्र पर प्रभाव—जातिवाद के निम्नलिखित कुछ ऐसे दुष्परिणाम भी सामने आये हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रहे हैं।

1. राष्ट्रीय एकता के लिए घातक—जातिवाद राष्ट्रीय एकता के लिए घातक सिद्ध हुआ है। क्योंकि जातिवाद की भावना से प्रेरित होकर व्यक्ति अपने जातीय हितों को ही सर्वोपरि मानकर राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा कर देता है। व्यक्ति का तनाव उत्पन्न हो जाता है जिससे राष्ट्रीय एकता को आघात पहुँचता है।

2. जातीय एवं वर्गीय संघर्ष—जातिवाद ने जातियों एवं वर्गों को जन्म दिया है। विभिन्न जातियों एवं वर्गों में पारस्परिक ईर्ष्या एवं द्वेष के कारण जातीय एवं वर्गीय दंगे हो जाया करते हैं। इतना ही राजसत्ता पर अधिकार जमाने के लिए विभिन्न जातियों के मध्य खुला संघर्ष दिखाई देताहै।

3. राजनीतिक भ्रष्टाचार—सभी राजनैतिक दलों में जातीय आधार पर अनेक गुट पाये

जाते हैं और वे निर्वाचन के अवसर पर विभिन्न जातियों के मतदाताओं की संख्या को आधार मानकर ही अपने प्रत्याशियों का चयन करते हैं।

निर्वाचन के पश्चात् राजनीतिज्ञ नेतृत्व का निर्णय भी जातिगत आधार पर ही होता है।

4. नैतिक पतन—जातिवाद की भावना से प्रेरित व्यक्ति अपनी जाति के व्यक्तियों को अनुचित सुविधाएं प्रदान करने के लिये अनैतिक एवं अनुचित कार्य करता है। जिससे समाज का नैतिक पतन हो जाता हैं।

5. समाज की गतिशीलता और विकास में बाधक—जातीय बंधन जातीय प्रेम के कारण एक व्यक्ति एक स्थान को छोड़कर रोजगार या अपने विकास हेतु किसी दूसरे स्थान पर नहीं जाता भले ही उसकी निर्धनता में वृद्धि क्यों न होती रहे। इस प्रकार बेरोजगारी, निर्धनता, कुप्रथाओं के कारण समाज के विकास में जातिवाद बाधक सिद्ध हो रहा है।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि जातिवाद भारतीय लोकतंत्र के लिए संदिग्ध हो गयी है।

अथवा

प्रश्न—महिलाओं को प्रतिनिधित्व व नौकरियों में आरक्षण देना क्यों आवश्यक प्रतीत हो रहा है ? तर्क दीजिए।

उत्तर—महिलाएँ भारत की जनसंख्या का लगभग आधा भाग है, लेकिन भारत में अशिक्षा, गरीबी और "छड़े सामाजिक मूल्यों के कारण महिलाओं की स्थिति सोचनीय है। प्रचलित परिस्थितियों के दृष्टिगत महिलाओं को घर की चारदीवारी से बाहर निकाल कर उन्नति के रास्ते पर लाने के लिए महिलाओं के लिए आरक्षण शुरू किया गया। भारतीय लोकतंत्र में प्रत्येक प्रतिनिधिक संस्था तथा राज्य की प्रशासनिक सेवाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की बहस जारी है। पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत महिलाओं के लिए पंचायत ब्लाक एवं जिला स्तर पर सीटों को आरक्षित कर दिया गया है। कुछ राजनीतिक दल राज्य विधान सभाओं तथा संसदीय चुनावों में 30 प्रतिशत टिकटों पर महिला प्रत्याशियों को चुनाव लड़वाने की बहस चला रहे हैं परन्तु महिला आरक्षण विधेयक अभी तक संसद में लटका पड़ा है।

प्रश्न 37. मानव-अधिकार की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए।

उत्तर—उत्तर हेतु सेट- 2 के प्रश्न क्रमांक 38 (अथवा) देखें।

अथवा

प्रश्न—संयुक्त-राष्ट्र-संघ के शान्ति प्रयासों में भारत के योगदानों का वर्णन कीजिए।

उत्तर— संयुक्त राष्ट्र शान्ति बहाली में भारत का योगदान

संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्य राज्यों में से भारत भी एक सदस्य था जो कि पूर्ण स्वाधीनता की प्राप्ति के पूर्व से ही हैं। रामास्वामी मुदालियर के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधि मण्डल जून 1945 में सेन्फ्रांसिस्को सम्मेलन में भाग लेने गया था। संघ के चार्टर पर हस्ताक्षर करने वालों में भारत भी एक प्रारम्भिक सदस्य था। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद भी भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना रहा।

संयुक्त राष्ट्र को मजबूत बनाने में भारत का काफी योगदान रहा है जिसे हम निम्नलिखित शीर्षकों में बाँट सकते हैं—

1. अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति व सुरक्षा को बढ़ाने में योगदान—संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति व सुरक्षा को बढ़ावा देना है जिसमें भारत ने सक्रिय भूमिका अदा की है। सन् 1950 की कोरिया समस्या का समाधान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई सैनिक कार्यवाही में भारत ने हिस्सा लिया, संयुक्त राष्ट्र की ही अपील पर कांगो में अपने सैनिक भेजे। अरब-इजरायल

समस्या के समाधान के लिए भारत ने सदैव संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों का समर्थन किया है। भारत के प्रत्येक अन्तर्राष्ट्रीय विवाद को संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से शान्तिपूर्ण ढंग से सुलझाने की नीति रही हैं।

2. रंगभेद की नीति के विरुद्ध संघर्ष—भारत की संयुक्त राष्ट्र के आधारभूत उद्देश्यों में गहरी आस्था है जिसमें रंग भेद की नीति का खुला विरोध भी सम्मिलित हैं। भारत के दक्षिण अफ्रीका की रंग-भेद समर्थक सरकार से कोई राजनीतिक सम्बन्ध नहीं थे और भारत ने प्रत्येक अन्तर्राष्ट्रीय मंच से दक्षिण अफ्रीका का बहिष्कार करने की मांग उठाई थी जिसमें अगस्त 1986 में हुए राष्ट्रमण्डलीय खेलों का बहिष्कार शामिल है।

3. आर्थिक व सामाजिक समस्याओं के समाधान में भूमिका—''आर्थिक व सामाजिक समस्याओं के समाधान के बिना स्थायी अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति नहीं स्था"त की जा सकती है।'' इस तथ्य से भारत भली-भाँति परिचित हैं। इसीलिए भारत ने इन समस्याओं के समाधान के लिए संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न एजेन्सियों, जैसे—यूनेस्को, यूनिसेफ आदि को गतिविधियों में निरन्तर भाग लिया है।

4. संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थान—संयुक्त राष्ट्र के मुख्य अंगों व एजेन्सियों में भ. ारत को महत्वपूर्ण पद व स्थान मिलते रहे हैं। सन् 1954 में डॉ. राधाकृष्णन यूनेस्को के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। डॉ. नगेन्द्र सिंह सन् 1973 से ही अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश रहे तथा फरवरी 1985 में मुख्य न्यायाधीश चुने गए।

5. निःशस्त्रीकरण के प्रयासों में भूमिका—गैर आण्विक अस्त्रों से सम्पूर्ण मानव जाति को खतरा उत्पन्न हो चुका है। भारत ने इस खतरे को समाप्त करने के लिए सदैव निःशस्त्रीकरण का समर्थन किया है तथा सन् 1985 में भारत ने पाँच देशों के साथ मिलकर दिल्ली घोषणा भी की जिसका उद्देश्य आण्विक अस्त्रों पर रोक लगाना है।

6. **मानव अधिकारों की रक्षा**—संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख उद्देश्य मानव अधिकारों को सुरक्षित व विकसित करना है। भारत इस नीति का प्रबल समर्थक है। विगत में वियतनामी जनता, दक्षिण अफ्रीकी में काले लोगों का व वर्तमान में श्रीलंका में तमिल जनता, अरब-इजराइल विवाद में फिलिस्तीनी जनता का समर्थन भारत इसी उद्देश्य से करता है।

7. उपनिवेशवाद का विरोध—भारत साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद का कटु आलोचक हैं। भारत ने एशिया, अफ्रीका व लैटिन अमेरिका के राष्ट्रों की जनता का उपनिवेशवाद के विरुद्ध सदैव समर्थन दिया है।

प्रश्न 38. संयुक्त-राष्ट्र-संघ की स्थापना के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए।

उत्तर—संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित थे—

1. शान्ति एवं सुरक्षा—द्वितीय विश्व युद्ध सन् 1939 से 1945 तक चला। इस दौरान होने वाले विध्वंसों से तथा इसके पूर्व प्रथम विश्व युद्ध के विनाश से दुनिया के देश तंग आ चुके थे। अतः द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही ऐसे प्रयास किये जाने लगे थे कि भविष्य में इस प्रकार के युद्धों को रोकने एवं शान्ति सुरक्षा बनाये रखने की दिशा में कोई सार्थक प्रयास किया जाना चाहिए।

2. द्वितीय विश्व युद्ध में होने वाला विध्वंस—द्वितीय विश्व युद्ध में करोड़ों लोग मारे गये थे, अरबों की सम्पत्ति नष्ट हो गई थी। देशों ने अपार धन सम्पदा हथियारों के निर्माण पर खर्च की थी। लोग यह सोचने पर मजबूर हो गये कि इसी शक्ति और धन को यदि रचनात्मक कार्यों पर खर्च किया जाय, तो एक तरफ विध्वंस को रोका जा सकता है एवं दूसरी तरफ वैज्ञ. ानिक एवं तकनीकी विकास भी किया जा सकता है।

3. नाभिकीय युद्ध का भय—द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के दो नगरों पर परमाणु बम का प्रयोग किया गया, जिसके कारण हुए विनाश को पूरी दुनिया ने देखा और यह महसूस किया कि यदि भविष्य में मानवता की रक्षा करनी है तो नाभिकीय युद्ध को रोकना होगा।

4. राष्ट्र संघ की असफलता—राष्ट्र संघ अपनी अन्तर्निहित कमजोरियों के कारण द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में असफल रहा। अत: यह आवश्यकता महसूस की गई कि पुरानी गलतियों को सुधारते हुये भविष्य में युद्धों को रोकने हेतु सामूहिक प्रयास किया जाना चाहिए।

5. सामाजिक एवं आर्थिक विकास का उद्देश्य—विकसित एवं औद्योगीकृत देशों ने उपनिवेशों का लम्बे समय से शोषण किया था, अत: इन उपनिवेशों के लोगों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को सुधारने हेतु अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता थी। इस उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ एक श्रेष्ठ मंच का कार्य कर सकता था।

6. सामूहिक सुरक्षा की भावना—संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से छोटे एवं नवोदित राष्ट्रों को सुरक्षा उपलब्ध कराकर, उन्हें बड़े राष्ट्रों के आक्रमणों एवं अत्याचारों से बचाया जा सकता था।

अथवा

प्रश्न—सुरक्षा परिषद के महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख कीजिए।

उत्तर—प्रश्न के उत्तर हेतु सेट-1 के प्रश्न संख्या 30 (अथवा) देखें।

●●

छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल परीक्षा

सॉल्व्ड पेपर मई-जून, 2011

कक्षा—12वीं

विषय : राजनीति विज्ञान

सेट-4

समय : 3 घंटे] **[पूर्णांक : 100**

सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है।

निर्देश—प्रश्न क्रमांक **1** से 22 तक बहुविकल्पीय एवं अतिलघु उत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक आबंटित है। सही विकल्प चुनकर खाली स्थान की पूर्ति कीजिए।

सही विकल्प चुनकर खाली स्थान की पूर्ति

1. ..... के विचारों को गाँधीवाद कहा जाता है।
(कार्ल मार्क्स, रवीन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गाँधी)
2. मार्क्सवाद.....का विरोधी है। (पूँजीवाद, समाजवाद, गाँधीवाद)
3. समाजवाद.....को अधिक महत्व देता है। (राज्य, समाज, धर्म)
4. परसेवा समाज कल्याण पर जोर देने वाली विचारधारा.....है।
5. राज्य सूची पर ..... कानून बनाता है। (राज्य, राज्य-केन्द्र, दोनों, केन्द्र)
6. डाक एवं तार विषय.....सूची के विषय हैं। (समवर्ती, संघीय, राज्य)
7. भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन.....द्वारा किया जाता है।
(निर्वाचक मण्डल, सर्वोच्च न्यायालय, जनता)
8. बहुमत दल के नेता को.....कहते हैं। (राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री)
9. धन विधेयक.....में प्रस्तुत किया जाता है।
(लोकसभा, राज्यसभा, विधानपरिषद)
10. सदन की कार्यवाही का संचालन.....द्वारा किया जाता है।
(राज्यपाल, न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष)
11. सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या.....है। (4, 5, 6)
12. भारत-पाकिस्तान विभाजन का प्रमुख कारण.....है।
(क्षेत्रवाद, सम्प्रदायवाद, भाषावाद)

उत्तर—**1.** महात्मा गाँधी, **2.** पूंजीवादी, **3.** समाज, **4.** मानवतावाद, **5.** राज्य, **6.** संघीय, **7.** निर्वाचक मण्डल, **8.** प्रधानमन्त्री, **9.** लोकसभा, **10.** लोकसभा अध्यक्ष, **11.** 5, **12.** सम्प्रदायवाद।

नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में

प्रश्न 13. "छड़ी जातियों के लिये आरक्षण व्यवस्था की सिफारिश किस आयोग द्व ारा की गयी, लिखिये।

उत्तर—मंडल आयोग।

प्रश्न 14. भारत के प्रमुख दो राष्ट्रीय दलों के नाम लिखिये।

उत्तर—1. कांग्रेस, 2. भारतीय जनता पार्टी।

प्रश्न 15. भारत में मताधिकार की उम्र क्या है ? लिखिये।

उत्तर—18 वर्ष।

प्रश्न 16. पूरे देश में निर्वाचन की व्यवस्था किसके द्वारा की जाती है, लिखिये।

उत्तर—निर्वाचन आयोग।

प्रश्न 17. एकदलीय शासन-प्रणाली किस देश में है ?

उत्तर—चीन।

उचित सम्बन्ध जोड़िए :

(अ)	**(ब)**
18. विश्व स्वास्थ्य संगठन	10 दिसम्बर
19. संयुक्त राष्ट्र संघ	जेनिवा
20. मानवाधिकार	24 अक्टूबर, 1945
21. भारत-चीन	कश्मीर समस्या
22. पाकिस्तान	मैकमोहन रेखा समस्या

उत्तर—**18.** जेनेवा, **19.** 24 अक्टूबर, 1945, **20.** 10 दिसम्बरए, **21.** मैकमोहन रेखा समस्या, **22.** कश्मीर समस्या।

निर्देश—प्रश्न क्रमांक 23 से 31 तक के लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक के लिए 4 अंक निर्धारित हैं। (अधिकतम शब्द सीमा 50 शब्द)

प्रश्न 23. राज्य के आवश्यक तत्वों के नाम लिखते हुये किसी एक तत्व का वर्णन कीजिये।

उत्तर—उत्तर हेतु सेट-2 के प्रश्न क्रमांक 23 (अथवा) देखें।

अथवा

प्रश्न—राज्य और सरकार में अन्तर स्पष्ट कीजिए, किन्हीं चार बिन्दुओं में।

उत्तर—उत्तर हेतु सेट-1 के प्रश्न क्रमांक 23 (अथवा) देखें।

प्रश्न 24.भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदत्त मौलिक अधिकारों के नाम लिखो।

उत्तर—मौलिक अधिकार के प्रकार—भारत संविधान में सात मौलिक अधिकार वर्णित थे। यद्य" वर्ष 1976 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची में से सम्पत्ति का अधिकार हटा दिया गया था। तब से यह एक कानूनी अधिकार बन गया है। अब कुल छः मौलिक अधिकार हैं–

1. समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14 से 18)
2. स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19 से 22)

3. शोषण के विरुद्ध अधिकार	(अनुच्छेद 23 से 24)
4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार	(अनुच्छेद 25 से 28)
5. सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार	(अनुच्छेद 29 से 30)
6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार	(अनुच्छेद 32)

अथवा

प्रश्न—भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कितने मूलभूत कर्तव्य दिये गये हैं, उन सभी को लिखिये।

उत्तर—उत्तर हेतु सेट 3 के प्रश्न क्रमांक 32 (अथवा) देखें।

प्रश्न 25.भारतीय संविधान द्वारा केन्द्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन कितनी सूचियों में किया गया है, उनके नाम लिखते हुये राज्य सूची का वर्णन कीजिए।

उत्तर—भारतीय संविधान द्वारा केन्द्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन तीन सूचियों में किया गया है—

1. केन्द्र सूची, 2. राज्य सूची, 3. समवर्ती सूची

राज्य सूची—राज्य सूची में 66 विषय हैं जिन पर राज्य सरकारें कानून बनाती हैं। विशेष परिस्थितियों में राज्यसभा के प्रस्ताव पर संसद भी राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है।

राज्य सूची के विषय—सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, न्याय, प्रशासन, शिक्षा, कृषि, पशुपालन, मत्स्य, उद्योग, राजस्व आदि।

अथवा

प्रश्न—किन परिस्थितियों में संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, लिखिये।

उत्तर—निम्न परिस्थितियों में संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है—

1. राज्य सूची का विषय राष्ट्रीय महत्व का घोषित होने पर। 2. राज्य विधान मण्डलों की इच्छा पर। 3. संकटकालीन घोषणा होने पर। 4. अन्तर्राष्ट्रीय दायित्व के कारण। 5. राज्यों में संवैधानिक व्यवस्था भंग होने पर।

प्रश्न 26. भारतीय संविधान में संघात्मक शासन के लक्षणों को लिखते हुये, किन्हीं तीन का वर्णन कीजिए।

उत्तर—भारतीय संविधान के संघीय लक्षण निम्नलिखित हैं—

1. लिखित संविधान, 2. कठोर संविधान, 3. शक्तियों का विभाजन, 4. द्वैध शासन-प्रणाली

5. संविधान की सर्वोच्चता, 6. उच्चतम न्यायालय की विशेष स्थिति।

1. लिखित संविधान—किसी भी संघ का सबसे प्रमुख लक्षण होता है कि उनके पास एक लिखित संविधान हो जिससे कि जरूरत पड़ने पर केन्द्र तथा राज्य सरकार मार्ग दर्शन प्राप्त कर सकें। भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है और दुनिया का सबसे विस्तृत संविधान है।

2. कठोर संविधान—संघीय संविधान केवल लिखित ही नहीं है बल्कि कठोर भी होता है। संविधान में महत्वपूर्ण संशोधनों के लिए संसद की स्वीकृति के साथ-साथ कम-से-कम आधे राज्यों के विधान मण्डलों की अनुमति भी आवश्यक है।

3. शक्तियों का विभाजन—हमारे संविधान में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। विधायी

शक्तियों को तीन सूचियों में बांटा गया है—संघसूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची। संघ सूची में 97 राष्ट्रीय महत्व के विषयों का उल्लेख किया गया है। जिसके अन्तर्गत रक्षा, रेलवे, डाक एवं तार आदि विषय आते हैं। राज्य सूची में 66 स्थानीय महत्व के विषय, जैसे–शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस आदि आते हैं। समवर्ती सूची में केन्द्र तथा राज्य दोनों से सम्बन्धित 47 महत्वपूर्ण विषय जैसे बिजली, मजदूर संगठन खाद्य पदार्थों में मिलावट आदि आते हैं।

अथवा

प्रश्न—भारतीय संविधान में एकात्मक शासन के लक्षणों को लिखते हुये, किन्हीं तीन का वर्णन कीजिए।

उत्तर—(1) संसद की विधायी शक्तियाँ व्यापक हैं। (2) संसद किसी भी राज्य का आकार घटा-बढ़ा सकती है। (3) राज्यों के अपने संविधान नहीं हैं। (4) दोहरी नागरिकता का अभाव। (5) एकात्मक न्याय व्यवस्था।

किन्हीं तीन का वर्णन निम्नलिखित है—

1. संसद की विधायी शक्तियाँ बहुत व्यापक हैं—निम्नलिखित परिस्थितियों में संसद उन विषयों पर भी कानून बना सकती है जो राज्य सूची में दिए गए हैं—

(1) यदि राज्य सभा दो तिहाई बहुमत से यह प्रस्ताव पास कर दे कि राष्ट्रीय हित के लिए यह आवश्यक है कि संसद राज्य सूची में दिए गए किसी विषय पर कानून बनाये।

(2) दो से अधिक राज्यों के विधान मण्डल संसद को यह अधिकार दें कि वह राज्य सूची में शामिल किसी विषय पर कानून बनाए।

(3) राष्ट्रपति द्वारा आपात काल की घोषणा हो जाने पर।

2. संसद किसी भी राज्य का आकार घटा या बढ़ा सकती है—भारतीय संसद नवीन राज्यों का निर्माण कर सकती है और राज्यों के आकार को घटा या बढ़ा सकती है।

3. राज्यों के अपने संविधान नहीं हैं—अमेरिका और स्विट्जरलैण्ड में राज्यों के अपने अलग-अलग संविधान हैं परन्तु भारत में केवल एक संविधान है जो केन्द्र और राज्य दोनों की शक्तियों का उल्लेख करता है।

प्रश्न 27. व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए न्यायालय कौन-से लेख जारी करता है, बन्दी प्रत्यक्षीकरण लेख को समझाइये।

उत्तर—व्यक्ति की स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए न्यायालय निम्न लेख जारी करता है—

1. बन्दी प्रत्यक्षीकरण लेख, 2. परमादेश लेख, 3. प्रतिषेध लेख, 4. उत्प्रेषण लेख, 5. अधिकार पृच्छा लेख

बन्दी प्रत्यक्षीकरण—इसका शाब्दिक अर्थ है—हमें शरीर चाहिए (Let us have the body)—यदि किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करती है तो उसे सामान्यत: 24 घण्टे के भीतर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। यदि पुलिस ऐसा नहीं करती अथवा कोई व्यक्ति किसी का अपहरण कर लेता है तो न्यायालय में बन्दी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की जा सकती है। न्यायालय सम्बन्धित विरुद्ध बन्दी प्रत्यक्षीकरण लेख जारी करते हुए कहती है कि उस व्यक्ति को सशरीर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

अथवा

प्रश्न—छत्तीसगढ़ राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ पर है, बतलाते हुए उच्च न्यायालय

का संगठन लिखिये।

उत्तर—छत्तीसगढ़ राज्य का उच्च न्यायालय बिलासपुर में है।

उच्च न्यायालय का गठन—उच्च न्यायालय के गठन को निम्नांकित बिन्दुओं में विभाजित किया जा सकता है।

1. न्यायाधीशों की संख्या—प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होता है और अन्य न्यायाधीशों की संख्या आवश्यकतानुसार राष्ट्रपति द्वारा बढ़ायी जा सकती है। छ. ग. में एक मुख्य न्यायाधीश एवं सत्रह अन्य न्यायाधीश हैं।

2. न्यायाधीशों की नियुक्ति—संविधान के अनुच्छेद 217 (1) की व्यवस्था के अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और सम्बन्धित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाती है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं उस राज्य के राज्यपाल एवं राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेता है।

3. न्यायाधीशों की योग्यताएँ—संविधान के अनुच्छेद 217 (2) के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश वही व्यक्ति हो सकता है।

(i) जो भारत का नागरिक हो।

(ii) जो भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम दस वर्ष तक किसी न्यायिक पद पर कार्य कर चुका हो।

(iii) जो किसी राज्य के उच्च न्यायालय या ऐसे दो या दो से अधिक न्यायालयों में निरन्तर दस वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो।

(iv) जो किसी न्यायाधिकरण के सदस्य के रूप में 10 वर्ष तक कार्य कर चुका हो।

(v) राष्ट्रपति के विचार में ख्याति प्राप्त न्यायशास्त्री हो।

4. न्यायाधीशों द्वारा शपथ ग्रहण—संविधान के अनुच्छेद 219 के अनुसार उच्च न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश को अपने पद ग्रहण करने के पूर्व राज्यपाल के समक्ष अपनी पद की गोपनीयता, गरिमा, कर्तव्यनिष्ठा एवं ईमानदारी की शपथ लेनी पड़ती है।

प्रश्न 28. भारतीय संविधान द्वारा अनुसूचित जाति, जनजातियों के आरक्षण के लिये कौन-से प्रावधान रखे गये हैं, लिखिये।

उत्तर—संविधान ने पिछड़ी जातियों की तीन तरह से पहचान की है। इस अनुभाग में हम अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए संरक्षात्मक प्रावधान की चर्चा करेंगे। संविधान ने अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजातियों के बारे में तीन तरह के प्रावधान सुनिश्चित किए हैं—

(1) सार्वजनिक एवं सरकारी सेवाओं में नौकरियों के लिए आरक्षण।

(2) शिक्षा संस्थाओं में आरक्षण और

(3) विधायी प्रतिनिधित्व में आरक्षण धारा 16 (अ) 320 (4) और 333 के अनुसार 15 प्रतिशत और 7 प्रतिशत नौकरियों में आरक्षण सभी प्रकार की सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए होगा। धारा 35 में यह व्यवस्था है कि प्रशासनिक स्तर पर भी यह आरक्षण सुनिश्चित होगा।

धारा 15 (4) शिक्षण संस्थानों की सीटों से सम्बन्धित है। इस धारा के अनुसार राज्य को धारा 15 या धारा 29 के उपबन्ध में किसी तरह का संशोधन करके सामाजिक रूप से "छड़े

वर्गों के शैक्षिक रूप से "छड़े या अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए कुछ अधिक करने का प्रावधान है। जैसाकि संघ एवं राज्य सरकार ने पहले से ही उन शैक्षिक संस्थाओं जो जनता के धन से संचालित है वहाँ 25 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था कर रखी है। इसलिए उनकी योग्यता में भी शिथिलता रखी गई है। इससे उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में अनेक अवसर प्राप्त हो सकेंगे। धारा 330 और 332 के अन्तर्गत लोकसभा एवं विधानसभा में सीटें जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। राज्यों की विधानसभा सीटों में कुल 540 अनुसूचित जातियों के लिए तथा 282 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। इसके अलावा पंचायती राज संस्थाओं के लिए भी इसी प्रकार सीटें आरक्षित हैं।

अथवा

प्रश्न—क्रीमीलेयर से क्या समझते हैं ? समझाइये।

उत्तर—13 अगस्त, 1990 को वी. पी. सिंह की सरकार ने मण्डल आयोग की सिफारिश के अनुरूप एक कार्यालयी ज्ञापन जारी कर अन्य "छड़ी जातियों के लिए आरक्षण लागू कर दिया। इसके तुरन्त बाद बड़ी मात्रा में विरोध प्रदर्शन हुए। सर्वोच्च न्यायालय में याचिकाएं दाखिल की गई तथा उच्च न्यायालयों ने इस कार्यवाही पर प्रश्न उठाए। सर्वोच्च न्यायालय ने इस विषय पर नवम्बर, 1992 में सुनवाई की तथा केन्द्र सरकार को इस शर्त पर अन्य "छड़ी जातियों को 27 प्रतिशत आरक्षण देने की अनुमति दी कि अन्य "छड़ी जातियों की क्रीमीलेयर को इस आरक्षण से बाहर रखा जाए। केन्द्रीय सरकार द्वारा क्रीमीलेयर की पहचान करने के लिये रामानंद प्रसाद आयोग का गठन किया गया। इसका काम पूरा होने के बाद सरकार ने 13 अगस्त, 1990 के आदेश को सितम्बर, 1993 से लागू किया।

प्रश्न 29. सम्प्रदायवाद का अर्थ स्पष्ट करते हुए भारत में सम्प्रदायवाद के किन्हीं तीन कारणों का वर्णन कीजिए।

उत्तर—साम्प्रदायिकता का अर्थ ''दूसरे समुदाय के लोगों के प्रति धार्मिक भाषा अथवा सांस्कृतिक आधार पर असहिष्णुता की भावना रखना तथा धार्मिक सांस्कृतिक भिन्नता के आधार पर अपने समुदाय के लिए राजनीतिक अधिकार, अधिक सत्ता, प्रतिष्ठा की मांगें रखना और अपने हितों को राष्ट्रीय हितों से ऊपर रखना है।

भारत में साम्प्रदायिकता को बढ़ने के लिए उत्तरदायी कारक निम्नलिखित हैं—

(i) धर्म की संकीर्ण व्याख्या—धर्म की संकीर्ण व्याख्या लोगों को धर्म के मूल स्वरूप से अलग कर देती है। धर्म की संकीर्ण व्याख्या साम्प्रदायिकता का कारण है।

(ii) सामाजिक मान्यताएँ—विभिन्न सम्प्रदायवादी धार्मिक मान्यताएँ एक-दूसरे से मिन्न हैं जो परस्पर दूरी का कारण बनती है। छूआछूत व ऊँचनीच की भावना सम्प्रदायवाद को फैलाती है।

(iii) राजनीतिक दलों द्वारा प्रोत्साहन—भारत के विविध राजनीतिक दल चुनाव के समय वोटों की राजनीति से साम्प्रदायिकता को प्रोत्साहन देते हैं।

अथवा

प्रश्न—पर्यावरण की विशेष समस्याएँ लिखते हुए औद्योगीकरण की समस्या ने पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित किया, वर्णन कीजिए।

उत्तर—पर्यावरण की समस्याएँ—पर्यावरण की कुछ विशेष समस्याएँ निम्नलिखित हैं—

(क) भूमि, वायु और पानी—भूमि और पानी के प्रदूषण ने पौधों, जानवरों और मानव जाति को प्रभावित किया है। अनुमान है कि प्रत्येक वर्ष लगभग पांच से सात मिलियन हेक्टेयर भूमि की हानि हो रही है। वायु और पानी के कारण मृदा अपरदन विश्व को बहुत महंगा पड़ रहा है। बार-बार बाढ़ आने से विशेष प्रकार की हानि होती है जैसे वनक्षेत्र का घटना, नदियों में गाद भरना, पानी निकासी का अपर्याप्त एवं त्रुटिपूर्ण होना, जान माल की हानि इत्यादि। सभी प्रकार के नाभिकीय कचरे को सागरों में डालने से पूरा प्राकृतिक पर्यावरण प्रदूषित और विषाक्त हो गया है।

औद्योगीकरण—यातायात और संचार साधनों के विकास के साथ औद्योगीकरण ने केवल पर्यावरण को प्रदूषित किया है अ"तु प्राकृतिक संसाधनों में भी कमी पैदा कर दी है। दोनों प्रकार से भारी हानि हो रही है। ऊष्मा प्रवाह, कार्बन डाइ-ऑक्साइड, धूल कण, रेडियोधर्मी, नाभिकीय कूड़ा कचरा और इसी प्रकार के अन्य प्रदूषकों के बढ़ते स्तर से पर्यावरणीय खतरा बढ़ा है। दूसरी ओर पारस्परिक ऊर्जा स्रोतों की खपत से प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास होता है। हम भावी पीढ़ी की चिन्ता किए बिना विश्व निर्माण कर रहे हैं।

प्रश्न 30. संयुक्त राष्ट्र-संघ की विभिन्न संस्थाओं के नाम लिखते हुए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के कार्यों को लिखिये।

उत्तर—संयुक्त राष्ट्र-संघ की विभिन्न संस्थाओं के नाम निम्नलिखित हैं—

(1) खाद्य श्रम संगठन।

(2) विश्व स्वास्थ्य संगठन।

(3) शिक्षा, विज्ञान और सांस्कृतिक सम्बन्धी संगठन।

(4) शिक्षा, विज्ञान और सांस्कृतिक सम्बन्धी संगठन।

(5) पुनर्वास और विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय बैंक या विश्व बैंक।

(6) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष।

(7) अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम।

(8) अन्तर्राष्ट्रीय दूर संचार।

(9) विश्व डाक संघ।

(10) विश्व अन्तरिक्ष विज्ञान संघ।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्य—इस संस्था के प्रमुख कार्य अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में विश्व के विभिन्न देशों के बीच सहयोग करना है। यह विदेशी मुद्रा का प्रबन्ध और सहायता करता है। इसका प्रधान कार्यालय वाशिंगटन (अमेरिका) में है।

अथवा

प्रश्न—संयुक्त राष्ट्र-संघ में भारत के योगदानों का वर्णन कीजिए। किन्हीं चार को वर्णन सहित लिखिए।

उत्तर—उत्तर हेतु सेट-3 के प्रश्न क्रमांक 37 (अथवा) देखें।

प्रश्न 31. निःशस्त्रीकरण की आवश्यकता एवं महत्व का किन्हीं चार बिन्दुओं में वर्णन करते हुये लिखिये।

उत्तर—निःशस्त्रीकरण गतिविधियाँ—यह माना गया था कि नरसंहार के हथियारों का उत्पादन और भण्डारण एक ढाल के रूप में शान्ति और सुरक्षा तो दूर की बात रही, इन हथियारों

ने दुनिया को एक खतरनाक स्थान बना दिया है। नाभिकीय और अन्य खतरनाक हथियार मानवता के अस्तित्व को ही चुनौती देते हैं। यदि इस दुनिया में एक बार नाभिकीय युद्ध छिड़ जाए, तो न सिर्फ युद्धस्त देशों की आबादी ही, बल्कि पूरी पृथ्वी पर फैले मनुष्य प्रभावित होंगे और उनकी मौत हो जाएगी। जो बचेंगे वे धीरे-धीरे दर्द सहते हुए मरेंगे। इसलिए पृथ्वी पर जीवन को संरक्षित करना नि:शस्त्रीकरण के लिए प्राथमिक और अनिवार्य कारक होना चाहिए। उतना ही महत्वपूर्ण यह है कि निरस्त्रीकरण से हथियार उत्पादन में लगने वाली भारी धनराशि को दुनिया के गरीब और जरूरतमंद लोगों की जीवन स्थितियाँ सुधारने की ओर प्रवृत्त करने की सम्भावना बनती है।

अपनी स्थापना से ही संयुक्त राष्ट्र ने नि:शस्त्रीकरण में सक्रिय दिलचस्पी दिखाई है और उसके प्रयासों से कई निरस्त्रीकरण संधियां प्रभाव में आई हैं। इसमें कुछ संधियाँ बेशक विवादास्पद हैं, मसलन 1968 की परमाणु अप्रसार संधि। इस संधि के तहत यह व्यवस्था की गई है कि जिन देशों के पास परमाणु हथियार नहीं हैं वे उन्हें हासिल न करें, जबकि जिनके पास पहले से ये मौजूद हैं उन पर कोई प्रतिबंध न लगाया जाए। इस भेदभाव का विरोध करने के लिए भारत ने इस पर दस्तखत करने से मना कर रखा है।

संयुक्त राष्ट्र महा सभा ने निरस्त्रीकरण की आवश्यकता की ओर दुनिया का ध्यान खींचने के लिए तीन विशेष सत्र बुलाए जिनमें पारस्परिक और हथियारों में कटौती करने के दबाव पर सबकी आम राय बनाने की कोशिश की गई, लेकिन शीतयुद्ध के तनाव के चलते कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आ सका।

शीतयुद्ध की समाप्ति ने नरसंहार हथियारों पर नियंत्रण और कटौती की ओर गम्भीर पहल की उम्मीदें जगाई। महासभा ने सितम्बर 1996 में सीटीबीटी यानी व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि के घोषणापत्र को स्वीकार किया। सीटीबीटी के प्रभाव में आने की सम्भावना बहुत क्षीण है क्योंकि भारत समेत कई अन्य देशों ने इसे एक विकृत संधि करार देते हुए दस्तखत करने से मना कर दिया और यह शर्त रखी कि इससे पहले वे पांच देश निरस्त्रीकरण का वादा करें जिनके पास नाभिकीय हथियार हैं।

इसका एक सकारात्मक पहलू यह कि निशस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों ने 1997 में बारूदी सुरंगों पर प्रतिबन्ध लगाने में मदद की तथा 1993 में रासायनिक हथियारों के मौजूदा भण्डारों को अन्तर्राष्ट्रीय देख-रेख में समाप्त करने में मदद की। संयुक्त राष्ट्र ने वास्तव में एशिया, अफ्रीका और अन्य जगहों पर लाखों की संख्या में बिछी बारूदी सुरंगों को हटवाने में बड़ी भूमिका निभाई तथा रासायनिक हथियार के मौजूदा भण्डार को समाप्त किए जाने की प्रक्रिया का पर्यवेक्षण किया। संयुक्त राष्ट्र ने इराक में नब्बे के दशक में रासायनिक और जैविक हथियारों के विनाश में भी भूमिका अदा की।

अथवा

प्रश्न—संयुक्त राष्ट्र-संघ के अंगों का नाम लिखते हुए अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के किन्हीं तीन कार्यों को लिखिए।

उत्तर—संयुक्त राष्ट्र-संघ के प्रमुख अंग—(1) महासभा, (2) सुरक्षा परिषद्, (3) आर्थिक व सामाजिक परिषद्, (4) संरक्षण का न्यास परिषद्, (5) अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय, (6) सचिवालय।

क्षेत्राधिकार—अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार को 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। प्रथम ऐच्छिक क्षेत्राधिकार, द्वितीय अनिवार्य क्षेत्राधिकार एवं तृतीय परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार।

समय : 3 घंटे]
[पूर्णांक : 100

(अ) ऐच्छिक क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत न्यायालय अपनी संविधि की धारा 36 के अन्तर्गत उन सभी मामलों पर विचार कर सकता है जो कि सम्बन्धित राष्ट्र द्वारा उसके सामने रखे गये हों। राज्य ही न्यायालय के विचारणीय पक्ष होते हैं, व्यक्ति नहीं।

(ब) अनिवार्य क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत संविधि को स्वीकार करने वाला कोई भी राष्ट्र यह नहीं कह सकता है कि वह प्रस्तुत विवाद को अनिवार्य न्याय क्षेत्र में मानता है, परन्तु इसके लिये दोनों पक्षों की स्वीकृति अनिवार्य हैं। किसी की संधि की व्याख्या, अन्तर्राष्ट्रीय कानून के क्षेत्र से सम्बन्धित सभी मामले न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। किसी भी राष्ट्र की इच्छा के विरुद्ध न्यायालय में कोई अभियोग नहीं लगाया जा सकता। इसलिए माना जाता है कि इसका राष्ट्रों पर अनिवार्य क्षेत्राधिकार नहीं है।

(स) परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत साधारण सभा, सुरक्षा परिषद् तथा अन्य मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा सौंपे गये प्रश्नों पर अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय अपनी राय दे सकता है। परन्तु इस राय को मानने के लिए वे बाध्य नहीं हैं।

निर्देश—प्रश्न क्रमांक 32 से 38 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक के लिए 6 अंक निर्धारित हैं। (शब्द सीमा 120 शब्द)

प्रश्न 32. ''राजनीति विज्ञान का क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है।'' इस कथन की पुष्टि के लिए कोई चार तर्क वर्णन सहित दीजिये।

उत्तर—उत्तर हेतु सेट-1 के प्रश्न क्रमांक-32 (अथवा) देखें।

अथवा

प्रश्न—राज्य के तीन अनिवार्य एवं तीन ऐच्छिक कार्यों का वर्णन कीजिये।

उत्तर—राज्य के कार्यों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है—

(अ) अनिवार्य कार्य (ब) ऐच्छिक कार्य

(अ) अनिवार्य कार्य—राज्य को अपने अस्तित्व को बनाये रखने के लिए कुछ कार्य अनिवार्य रूप से करने पड़ते हैं। यदि इन कार्यों को राज्य नहीं करे तो उसका अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। राज्य के अनिवार्य कार्य निम्नलिखित हैं—

1. बाह्य आक्रमण से रक्षा—राज्य को अपने अस्तित्व को बनाये रखने के लिए बाह्य आक्रमण से अपनी सीमाओं की रक्षा करना राज्य का अनिवार्य कार्य है। इस कार्य को करने के लिए राज्य जल, थल और वायु सेना रखता है और इन सेनाओं के लिए युद्ध सामग्री की व्यवस्था भी करता है।

2. आन्तरिक शान्ति व सुव्यवस्था—राज्य में शान्ति व सुव्यवस्था की स्थापना करना राज्य का दूसरा अनिवार्य कार्य है। इन कार्यों को सम्पादित करने के लिए राज्य कानून बनाता है तथा उसका पालन करता है, इसके लिए राज्य पुलिस और जेल की व्यवस्था करता है और विषम परिस्थितियों में सेना की सहायता भी लेता है।

3. न्याय-व्यवस्था—राज्य में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए बनाये गये कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को दण्डित करना और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना करना भी राज्य का अनिवार्य कार्य है।

(ब) राज्य के ऐच्छिक कार्य—इन कार्यों में वे कार्य आते हैं, जिनको करना राज्य की इच्छा पर निर्भर होता है, क्योंकि इन कार्यों को करने या न करने से राज्य के अस्तित्व को कोई

खतरा नहीं होता। राज्य के ऐच्छिक कार्य निम्नलिखित हैं—

1. शिक्षा की व्यवस्था—मानव की उन्नति और विकास में शिक्षा का प्रमुख और महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इसलिए राज्य अपने नागरिकों के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था करता है।

2. सार्वजनिक स्वास्थ्य—राज्य अपने नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए महामारी और अन्य बीमारियों की रोकथाम के लिए सार्वजनिक चिकित्सालयों की भी व्यवस्था करता है।

4. कृषि की उन्नति—कृषि की उन्नति के लिए राज्य कृषकों को उत्तम बीज खाद और सिंचाई के साधनों को उपलब्ध कराता है। किसानों को नये-नये आविष्कारों और तकनीक से परिचित कराना, उपज का उचित मूल्य दिलवाना प्राकृतिक प्रकोप होने पर आर्थिक सहायता प्रदान करना आदि कार्य राज्य द्वारा किये जाते हैं।

प्रश्न 33. गाँधीवाद और मार्क्सवाद में असमानताएँ, कोई चार वर्णन सहित लिखिये।

उत्तर— गाँधीवाद तथा मार्क्सवाद में असमानताएँ

1. साधन व साध्य के सम्बन्ध में अन्तर—गाँधीवाद में श्रेष्ठ साध्य के साथ-साथ साधनों की पवित्रता को भी आवश्यक माना गया है जबकि मार्क्सवाद में पवित्र साध्य प्राप्ति के लिये साधनों की पवित्रता में विश्वास नहीं करता।

2. व्यक्तिगत सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार—गाँधीवाद व्यक्तिगत सम्पत्ति का विरोधी नहीं है जबकि मार्क्सवाद व्यक्तिगत सम्पत्ति का विरोधी है।

3. वर्ग संघर्ष के प्रश्न पर मतभेद—गाँधीवाद में जहाँ वर्ग संघर्ष के लिये कोई स्थान नहीं है वहीं साम्यवाद (मार्क्सवाद) वर्ग संघर्ष को लक्ष्य प्राप्ति के लिये आवश्यक मानता है।

4. लोकतंत्र के सम्बन्ध में विश्वास—गाँधीजी का लोकतंत्र में अटूट विश्वास था। उन्होंने व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए लोकतंत्रीय पद्धति को आवश्यक बताया है। किन्तु साम्यवाद (मार्क्सवाद) लोकतंत्र को निकम्मों का शासन कहकर उसकी निंदा करते हैं।

अथवा

प्रश्न—कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष एवं राज्यविहीन, वर्गविहीन, धर्मविहीन सिद्धान्त को समझाइये।

उत्तर—कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष, वर्गविहीन राज्य विहीन एवं धर्म विहीन समाज के सिद्धान्त निम्न हैं—

1. वर्ग संघर्ष का सिद्धान्त—मार्क्स का अन्य सिद्धान्त वर्ग संघर्ष का सिद्धान्त है। मार्क्स ने कहा है अब तक के समस्त समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। कुलीन और साधारण व्यक्ति सरदार और सेवक संघपति और श्रमिक निरन्तर एक-दूसरे के विरोध में खड़े रहे हैं। उनमें अबाध गति से संघर्ष जारी है।

मार्क्स ने इससे निष्कर्ष निकाला है कि आधुनिक काल में पूंजीवाद के विरुद्ध श्रमिक संगठित होकर पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त कर देंगे तथा सर्वहारा वर्ग की तानाशाही स्था"त हो जायेगी।

2. वर्ग विहीन व राज्य विहीन समाज—मार्क्स का कहना है कि जैसे ही पूंजीवादी वर्ग का अन्त हो जायेगा और पूंजीवादी व्यवस्था के सभी अवशेष नष्ट कर दिये जायेंगे, राज्य के

1. निर्मित एवं लिखित संविधान—भारतीय संविधान का निर्माण एक विशेष समय और निश्चित योजना के अनुसार संविधान सभा द्वारा किया गया था अत: यह निर्मित संविधान है। इसमें सरकार के संगठन के लिए सिद्धान्त, व्यवस्था"का, कार्यपालिका, न्यायपालिका आदि के गठन एवं कार्य नागरिकों के अधिकार एवं कर्तव्य आदि के विषय में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है।

2. विस्तृत एवं व्यापक संविधान—भारतीय संविधान विश्व के सभी संविधानों से व्यापक है। इसमें 395 अनुच्छेद एवं 22 भागों में विभक्त है जबकि अमेरिका के संशोधित संविधान में केवल 21 अनुच्छेद, चीन में 106 अनुच्छेद हैं।

3. सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य—इसका अभिप्राय यह है कि भारत अपने आन्तरिक एवं बाह्य नीतियों के निर्धारण में पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं एवं राज्य की सर्वोच्च शक्ति जनता में निहित है। हमारे देश का प्रमुख राष्ट्रपति वंशानुगत न होकर एक निश्चित अवधि के लिए निर्वाचित होता है।

4. कठोर एवं लचीलेपन का सम्मिश्रण—हमारे संविधान में संशोधन की तीन विधियाँ दी गई हैं। इसके कुछ अनुच्छेद संसद के विशेष बहुमत द्वारा परिवर्तित किये जा सकते हैं जो

स्थित रहने का औचित्य भी समाप्त हो जायेगा और वह मुरझा जायेगा (the state will wither away)। जब समाज के सभी लोग एक स्तर पर आ जायेंगे तो प्रत्येक व्यक्ति सम्पूर्ण समाज के लिए सर्वाधिक कार्य करेगा और बदले में अपनी सम्पूर्ण आवश्यकताओं की स्वतंत्रतापूर्वक पूर्ति करेगा। इस समाज में विभिन्न सामाजिक संगठनों के माध्यम से सार्वजनिक कार्यों की पूर्ति होगी। ऐसे वर्ग विहीन व राज्य विहीन समाज में वर्ग विशेष वर्ग शोषण का पूरा अभाव होगा और व्यक्ति सामाजिक नियमों का सामान्य रूप से पालन करेंगे।

मार्क्स द्वारा प्रतिपादित समाजवाद की यह सर्वोच्च स्थिति है। मानव कल्याण का यह सर्वोच्च शिखर है। इस स्वतन्त्र समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता तथा योग्यतानुसार कार्य करेगा और आवश्यकतानुसार मजदूरी प्राप्त करेगा। इस समाज में प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति होगी तथा वह अपनी योग्यतानुसार समाज को सहयोग देगा। यह वह समाज है जिसमें न वर्ग होगा न राज्य रहेगा।

धर्मविहीन समाज का सिद्धान्त—मार्क्स ने इतिहास की व्याख्या में धर्म को निम्न स्थान प्रदान करते हुए उसे अफीम की संज्ञा दी है मानव केवल अर्थ की ही आवश्यकता महसूस नहीं करता मानव को मानसिक शान्ति भी चाहिए।

प्रश्न 34. भारतीय संविधान की विशेषताएँ लिखते हुए किन्हीं चार प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए।

उत्तर—भारतीय संविधान की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

(1) निर्मित एवं लिखित संविधान। (2) विस्तृत एवं व्यापक संविधान। (3) सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। (4) कठोर एवं लचीलेपन का सम्मिश्रण। (5) संघात्मक होते हुए भी एकात्मक। (6) इकहरी नागरिकता। (7) सार्वभौम वयस्क मताधिकार। (8) स्वतंत्र न्यायपालिका। (9) मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था। (10) राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धान्त। (11) मौलिक अधिकारों की व्यवस्था। (12) एकीकृत न्याय व्यवस्था। (13) आपात काल की व्यवस्था। (14) लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। (15) अस्पृश्यता का अन्त।

चार प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

लचीलेपन का उदाहरण है एवं कुछ अनुच्छेद को आधे से अधिक राज्यों के विशेष बहुमत के साथ ही संसद में उपस्थित दोनों सदनों के दो तिहाई बहुमत के द्वारा ही संशोधन या परिवर्तन सम्भव हो जो संविधान की कठोरता का उदाहरण है।

5. संघात्मक होते हुए भी एकात्मक—भारत का संविधान संघात्मक होते हुए भी एकतात्म. कता के गुण लिए हुए हैं यथा लिखित संविधान केन्द्र एवं राज्यों के मध्य शक्ति विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता जहां संघात्मक के लक्षण हैं वहाँ दूसरी ओर इकहरी नागरिकता एक-सी न्याय व्यवस्था एकात्मकता के लक्षण हैं।

अथवा

प्रश्न—राज्य-नीति निर्देशक तत्वों का अर्थ लिखते हुये उसका वर्गीकरण कर समझाइये।

उत्तर—उत्तर हेतु सेट-2 के प्रश्न क्रमांक 34 (अथवा) देखें।

प्रश्न 35. राष्ट्रपति की साधारण शक्तियों को समझाइये।

उत्तर—राष्ट्रपति की शक्तियाँ—राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है। केन्द्र सरकार की सभी शक्तियों का प्रयोग प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से राष्ट्रपति (प्रधानमंत्री एवं मन्त्रिपरिषद के द्वारा) करता है।

सामान्य कालीन शक्तियाँ

1. कार्यपालिका सम्बन्धी—भारत सरकार के समस्त कार्यपालिका सम्बन्धी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किये जाते हैं। शक्तियाँ निम्न हैं—

(1) नियुक्ति एवं पदच्युति सम्बन्धी शक्तियाँ—राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा उसके सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है।, राष्ट्रपति, राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के राजदूत, भारत का महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक, वित्त आयोग, योजना आयोग आदि के सदस्यों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति उक्त पदाधिकारियों को विशेष प्रक्रिया का पालन करते हुए भी हटा भी सकता है।

(2) शासन संचालन सम्बन्धी शक्तियाँ—शासन के सुचारु रूप से संचालन हेतु राष्ट्रपति, विभिन्न प्रकार के नियम बना सकता है। इसके अतिरिक्त संघीय क्षेत्रों के प्रशासन का दायित्व भी राष्ट्रपति का ही है।

(3) वैदेशिक मामलों से सम्बन्धित शक्तियाँ—राष्ट्रपति राजदूतों की नियुक्ति व विदेशी राजदूतों को मान्यता देते हैं। समस्त अन्तर्राष्ट्रीय संधियाँ व समझौते व वैदेशिक कार्य राष्ट्रपति के नाम से किये जाते हैं।

(4) सेना सम्बन्धी शक्तियाँ—राष्ट्रपति तीनों सेनाओं (जल, थल और वायु) का सर्वोच्च सेनापति होता है। तीनों सेनाओं के सेनापतियों की नियुक्ति, युद्ध प्रारम्भ व बन्द करने की घोषण ा करता है।

2. व्यवस्था"का सम्बन्धी—विधायी या व्यवस्था"का सम्बन्धी शक्तियाँ निम्नलिखित हैं—

(1) संसद संगठन सम्बन्धी शक्तियाँ—राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों के लिए सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। लोक सभा के लिए आंग्ल—भारतीय 2 सदस्य, राज्य सभा के लिए 12 सदस्यों को मनोनीत करता है।

(2) संसद के सत्रों से सम्बन्धित शक्तियाँ—संसद के दोनों सदनों के सत्रों की, किसी

भी समय बैठक आमंत्रित कर सकता है। किसी भी एक सदन या संयुक्त अधिवेशन में भाषण दे सकता है, संदेश भेज सकता है। सदन की बैठक स्थगित करा सकता है। एक वर्ष में संसद के दो सत्रों (अधिवेशन) का होना अनिवार्य है।

(3) विधेयकों की स्वीकृति या अस्वीकृति सम्बन्धी शक्तियाँ—संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए बिना कानून नहीं बन सकता तथा कुछ विधेयक ऐसे होते हैं, जिन्हें सदन में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी पड़ती है; जैसे—वित्त विधेयक या कोई नया राज्य बनाने सम्बन्धी विधेयक।

4. अध्यादेश जारी करने की शक्ति—जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और कानून की आवश्यकता हो, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके कानून की पूर्ति कर सकता है।

3. वित्तीय सम्बन्धी—राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों में निम्नलिखित आती हैं—

(1) बजट प्रस्तुत करने की शक्तियाँ—प्रत्येक वर्ष के प्रारम्भ में संसद की स्वीकृति हेतु वार्षिक बजट राष्ट्रपति की ओर से पहले लोकसभा में और बाद में राज्यसभा में प्रस्तुत जाता है।

(2) कोई भी वित्त विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति लिये बिना लोक सभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है।

(3) आकस्मिकता निधि के नियंत्रण सम्बन्धी शक्तियाँ—राष्ट्रपति संसद की पूर्व स्वीकृति के बिना इस निधि से धन व्यय की स्वीकृति प्रदान कर सकता है।

(4) वित्त आयोग की नियुक्ति सम्बन्धी शक्तियाँ—वित्तीय मामलों में परामर्श लेने के लिए वित्त आयोग की नियुक्ति करता है।

(5) संसद द्वारा नियम न बनाये जाने की स्थिति में, राष्ट्रपति भारत की संचित—निधि से धन निकालने या जमा करने से सम्बन्धित नियम बना सकता है।

4. न्याय सम्बन्धी—किसी अपराध के लिए दण्डित किये गये व्यक्ति को राष्ट्रपति चाहे तो क्षमा दान कर सकता है। किसी दण्ड को कम कर सकता है। उसकी सजा को परिवर्तन कर सकता है—मृत्यु दण्ड को आजीवन कारावास कर सकता है। ऐसा सब विधि मंत्रालय की सलाह पर किया जा सकता है। राष्ट्रपति पर फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।

अथवा

प्रश्न—नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं ? नगर निगम के कार्यों को लिखिये।

उत्तर—नगर निगम के प्रमुख को महापौर (मेयर) कहते हैं।

यह नगर निगम का अध्यक्ष भी होता है। महापौर का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। उसका कार्य निगम की बैठकों की अध्यक्षता करना और उसका संचालन करना है। नगर-निगम के महापौर का कार्यकाल 5 वर्ष है। नगर-निगम के पार्षद, महापौर को अविश्वास $\frac{2}{3}$ ताव द्वारा हटा सकते हैं। किन्तु ये प्रस्ताव कुछ पार्षदों के बहुमत तथा उपस्थित सदस्यों के बहुमत से पारित होना आवश्यक है।

नगर निगम के कार्य—नगर निगम एक व्यवस्था"का की तरह कार्य करती है। इसके कार्य को अनिवार्य और ऐच्छिक में बांट सकते हैं। कार्य निम्न हैं—

(1) भूमि उपयोग एवं भवन निर्माण करना। गंदी बस्तियों में सुधार करना।

(2) स्वच्छ जल, सड़क, प्रकाश, एवं स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना।

(3) जल निकासी एवं सफाई व्यवस्था।

(4) शैक्षिक एवं उद्यान, खेल का मैदान की व्यवस्था करना।

(5) जन्म मृत्यु पंजीयन एवं शवदाह गृह व्यवस्था।

(6) अग्निशमन सेवाएं इत्यादि।

प्रश्न 36. ''सर्वोच्च न्यायालय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का रक्षक है।'' स्पष्ट कीजिए।

उत्तर—उत्तर हेतु सेट-3 के प्रश्न क्रमांक 25 देखें।

अथवा

प्रश्न—न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिये कौन-से उपाय किये जाने चाहिये, लिखिये।

उत्तर—उत्तर हेतु सेट-1 के प्रश्न क्रमांक 36 (अथवा) देखें।

प्रश्न 37. भारतीय निर्वाचन प्रणाली की छः विशेषताएँ लिखिये।

उत्तर—उत्तर हेतु सेट-2 के प्रश्न क्रमांक 37 (अथवा) देखें।

अथवा

प्रश्न—भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, लिखते हुये उनके उद्देश्य लिखिये।

उत्तर—उत्तर हेतु सेट-3 के प्रश्न क्रमांक 30 के शीर्षक काँग्रेस देखें।

प्रश्न 38. भारतीय विदेश नीति के सिद्धान्तों के नाम लिखते हुये गुटनिरपेक्षता एवं पंचशील के सिद्धान्त को समझाइये।

उत्तर—उत्तर हेतु सेट-1 के प्रश्न क्रमांक 38 देखें।

अथवा

प्रश्न—भारत-अमेरिका सम्बन्ध की विवेचना कीजिये।

उत्तर—भारत-अमेरिका सम्बन्ध—भारत द्वारा गुटनिरपेक्ष नीति अपनाने के कारण अमेरिका ने इस व्यवहार को अमैत्री पूर्ण समझा। 1954 में तब लगा जब अमेरिका सेना द्वारा पाकिस्तान का दिये गये सहयोग का उपयोग पाकिस्तान भारत के विरुद्ध करने लगा। 1962 में भारत चीन युद्ध के समय अमेरिका द्वारा किए गये सहयोग के कारण सम्बन्धों में एक नया मैत्री नजर आया। परन्तु पुनः 1965 में भारत-पाक युद्ध के लिए, पाकिस्तान को युद्ध छेड़ने का आरोप लगाने में अमेरिका ने अपनी अनिच्छा दिखाई जिससे भारत से अमेरिका का मैत्रीभाव समाप्त हो गया। इतना ही नहीं 1970 को अमेरिका का चीन से ज्यादा मेल-जोल भारत अमेरिका सम्बन्धों में बदलाव का मुख्य कारण बना। 1971 बांग्ला देश युद्ध के दौरान अमेरिका ने सुरक्षा परिषद् में भारत विरोधी प्रस्ताव रखा और स्वयं अमेरिका ने भारत को आर्थिक सहायता देना बन्द कर दिया।

वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा के उदारवादी दृष्टिकोण, सकारात्मक सोच तथा भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के सार्थक प्रयास से अमेरिका एवं भारत के सम्बन्ध में सुधार एवं निखार आने की आशा जगी है।

समकालीन भारत-अमेरिकी सम्बन्ध—1990 में शीत युद्ध की समाप्ति ने अमेरिका को अकेली महाशक्ति बना दिया। इस वास्तविकता से भारत-अमेरिका सम्बन्धों का नए प्रकार से मूल्यांकन किया जाने लगा। इससे भारत और अमेरिका को निकट आने के नए अवसर प्राप्त होने लगे। सैनिक सम्बन्धों की शुरूआत हुई। अमेरिकी निवेश होने लगे सूचना और संचार तकनीक

के कुशल व्यावसायिकों ने भारत की छवि को अमेरिका में राजनीतिक दृष्टि से सकारात्मक रूप में प्रस्तुत किया। अमेरिका और भारत के रिश्तों को नया मोड़ देने वाली सबसे हालिया घटना 1999 में बदलाव लाने में कारगिल संकट के समय अमेरिका द्वारा निभाई गई भूमिका प्रमुख थी। राष्ट्रपति क्लिंटन ने 2000 में भारत का काफी सफल दौरा किया। राजनीतिक दृष्टि से आतंकवाद तथा परमाणु अप्रसार मुख्य मुद्दे थे। विगत वर्षों में भारत-अमेरिका सम्बन्धों को राष्ट्रपति बिल क्लिंटन द्वारा पाकिस्तान को कश्मीर में उसकी सेनाओं को नियंत्रण रेखा से हटाने के लिए कहने को भारत ने एक मील का पत्थर माना।

जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तान की भूमिका को मुख्य रूप से उछाल कर भारत आतंकवाद के संकट से संघर्ष करने के महत्व को प्रकाश में लाया। परन्तु अमेरिका ने आतंकवाद के विरुद्ध कार्रवाई करने में रुचि नहीं दिखाई, जब तक कि उसके दो शहरों, न्यूर्याक और वाशिंगटन पर 11 सितम्बर, 2001 को बहुत बड़ा हमला नहीं हुआ। अमेरिका के आतंकवाद विरोधी अभियान में भारत ने अपना पूरा सहयोग दिया। यद्य" अमेरिका से हमारी दलील कि अफगानिस्तान में तालिबान तथा जम्मू-कश्मीर में जेहादियों को पाकिस्तान की सहायता ने इसे अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद का अड्डा बना दिया है, निष्प्रभावी रही।

नई दिल्ली को यह दर्शाने के लिए कि इन हमलों में पाकिस्तान का हाथ होने के भारत के आरोप को अमेरिका ने गम्भीरता से लिया है, बुश प्रशासन ने उन दो पाकिस्तानी आतंकवादी गुटों को आतंकवादी संगठनों की अमेरिका सूची में डाल दिया जिन्हें भारत हमले का जिम्मेदार मानता था।

अमेरिका ने कनाडा की भाँति 1963 में भारत में परमाणु संयंत्र की स्थापना में सहायता की। 1970 के दशक में सहयोग फिर धुंधला पड़ा क्योंकि 1974 में भारत ने पोखरन में शान्तिपूर्ण परमाणु परीक्षण किए और परमाणु अप्रसार समझौते पर भी हस्ताक्षर करने से मना कर दिया।

1978 में अमेरिका कांग्रेस ने परमाणु अप्रसार अधिनियम पारित किया। इस नियम के अन्तर्गत यूरेनियम का निर्यात केवल उन्हीं देशों को किया जा सकता था जिनके परमाणु संयंत्रों का निरीक्षण करने की अनुमति थी और जिनकी सुरक्षा अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के मानदण्डों पर आधारित थी। स्मरण रहे कि परमाणु अप्रसार अमेरिका का एक अपरिवर्तनीय लक्ष्य है। अमेरिका को आशा थी कि भारत 1996 में सीटीबीटी पर हस्ताक्षर कर देगा। परन्तु भारत ने ऐसा नहीं किया और जब भारत ने 1998 में पोखरण में पांच परमाणु विस्फोट करके स्वयं को परमाणु शक्ति रखने वाला (परमाणु सम्पन्न) देश घोषित कर दिया तो अमेरिका ने सैन्य और आर्थिक प्रतिबन्ध लगाए।

दोनों देशों के बीच 1960 के प्रारम्भ से इस प्रकार की गम्भीर और निर्णायक वार्ताएँ कभी नहीं हुईं। इन वार्ताओं ने द्विपक्षीय सम्बन्धों को नई दिशा प्रदान की। 1999 में अमेरिका ने भारत पर लगाए गए कुछ प्रतिबंधों को हटा लिया। कांग्रेस द्वारा आगे दी गई कई सहायतों की ओर यह पहला कदम था। अब अमेरिका भारत को परमाणु अस्त्रों से युक्त एक जिम्मेदार राष्ट्र मानता है।

●●

छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल परीक्षा

सॉल्व्ड पेपर 2010

कक्षा—12वीं

विषय—राजनीतिशास्त्र

सेट-5

समय : 3 घंटे] **[पूर्णांक : 100**

नोट—सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है।

निर्देश— (1) प्रश्न क्रमांक **1** से 22 तक बहुविकल्पी एवं अतिलघु उत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक आबंटित है।

(2) प्रश्न क्रमांक 23 से 31 तक लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक आबंटित हैं। (अधिकतम शब्द सीमा—50 शब्द)

(3) प्रश्न क्रमांक 32 से 38 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक के लिए 6 अंक आबंटित हैं। (शब्द-सीमा—120 शब्द)

सही विकल्प चुनकर खाली स्थान की पूर्ति कीजिए

1. ·····ने कहा है कि राजनीति का आरम्भ तथा अन्त राज्य के साथ होता है।
(गेटेल, गार्नर, लासवेल)

2. राज्य का अस्तित्व समाज के लिए एक·····की तरह है।
(साधन, साध्य, राष्ट्र)

3. मार्क्सवाद·····का विरोधी है। (समाजवाद, वर्ग संघर्ष, लोकतंत्र)

4. अन्तर्रात्मा जो कहे वही सत्य है कथन·····का है।
(वेपर, गाँधीजी, खलील)

5. संविधान·····का संग्रह होता है।
(नियमों, सिद्धान्तों, आधारभूत कानूनों)

6. भारत····· को गणतन्त्र बन गया।
(15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950)

7. नीति निर्देशक सिद्धान्तों की प्रकृति·····है।
(नकारात्मक, सकारात्मक, तटस्थ)

8. कुल·····मौलिक कर्तव्य हैं।(10, 11, 13)

उत्तर—**1.** गार्नर, **2.** साधन, **3.** लोकतन्त्र, **4.** गाँधीजी, **5.** आधारभूत कानूनों **6.** 26 जनवरी 1950, **7.** तटस्थ, **8.** 11

नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए

प्रश्न 9. राष्ट्रपति को कितने वर्षों के लिए चुना जाता है ?

उत्तर—5 वर्षों के लिए।

प्रश्न 10. प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है ?

उत्तर—प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रपति संसद में बहुमत प्राप्त दल के नेता को चुनता है।

प्रश्न 11. संसद के कितने सदन हैं ? नाम लिखिए।

उत्तर—संसद के दो सदन हैं—1. लोकसभा, 2. राज्य सभा।

प्रश्न 12. विधानसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए।

उत्तर—विधानसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए।

प्रश्न 13. वर्ण व्यवस्था के अन्तर्गत कितने व कौन-कौन से वर्ण आते हैं ?

उत्तर—वर्ण व्यवस्था के अन्तर्गत चार वर्ण—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आते हैं।

प्रश्न 14. जातिवाद को दूर करने का कोई एक उपाय बताइए।

उत्तर—जातिवाद को दूर करने का उपाय है, अन्य जातियों में विवाह को प्रोत्साहन देना।

प्रश्न 15. सम्प्रदायवाद को लोकतंत्र पर कोई एक प्रभाव बताइए।

उत्तर—सम्प्रदायवाद का लोकतन्त्र पर बुरा प्रभाव पड़ता है। साम्प्रदायिक दुर्भावना के कारण समाज में पारस्परिक सहयोग की भावना समाप्त हो जाती है।

प्रश्न 16. पर्यावरण के क्षरण के लिए कौन-से दो कारक मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं?

उत्तर—पर्यावरण क्षरण के दो उत्तरदायी कारक—

1. औद्योगीकरण
2. जनसंख्या में वृद्धि।

उचित सम्बन्ध जोड़िए

(अ)	**(ब)**
17. राज्य पुनर्गठन अधिनियम	1996
18. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस की स्थापना	10 दिसम्बर, 1948
19. संयुक्त-राष्ट्र-संघ की स्थापना	1885
20. मानवाधिकार दिवस	1960
21. महासभा ने सी. टी. बी. टी. को स्वीकृति दी	1956
22. उपनिवेशवाद विरोधी घोषणा को अपनाया गया	1945

उत्तर—17. 1956, **18**. 1885, **19.** 1945, **20.** 10 दिसम्बर, 1948, **21**. 1996, **22.** 1960.

प्रश्न 23. राज्य के चार अनिवार्य तत्वों बताइए।

उत्तर—उत्तर हेतु सेट-2 के प्रश्न क्रमांक 23 (अथवा) देखें।

अथवा

प्रश्न—राज्य और राष्ट्र में अन्तर स्पष्ट कीजिए।

उत्तर—राष्ट्र तथा राज्य में अग्रलिखित अन्तर हैं—

राज्य	राष्ट्र
1. राज्य एक राज्य है क्योंकि यह सम्प्रभु है।	1. राष्ट्र एक राज्य नहीं है क्योंकि यह सम्प्रभु नहीं है।
2. राज्य एक राजनीतिक संकल्पना है।	2. राष्ट्र एक सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक अवधारणा है।
3. राज्य में लोग नियमों द्वारा आपस में बंधे रहते हैं।	3. भावुकता लोगों को एक राष्ट्र में बांधे रखती है।
4. राज्य की एकता सदैव बाह्य होती है, यह कानून द्वारा उत्पन्न होती है।	4. राष्ट्र की एकता अनन्त होती है, यह भावनाओं के द्वारा उत्पन्न होती है।
5. राज्य के नियम बन्धन की तरह हैं। यदि राज्य के नियमों का पालन नहीं होता है।	5. राष्ट्र के सन्दर्भ में आपसी समझ-बूझ एक भावनात्मक कारण है।

प्रश्न 24. राष्ट्रीयता के निर्माण में कौन-कौन से तत्व सहायक होते हैं ? किन्हीं दो का संक्षिप्त विवरण दीजिए ?

उत्तर—राष्ट्रीयता के निर्माण में निम्नलिखित तत्व सहायक हैं—

(i) भौगोलिक संलग्नता, (ii) भाषा-समुदाय, (iii) समान-कुल, (iv) सामान्य राजनीतिक आकांक्षाएँ, (v) समान धर्म, (vi) समान राजनीतिक व्यवस्था, (vii) आर्थिक कारक, (viii) एक समान अधिनस्थता।

इनमें से दो का वर्णन निम्नलिखित है—

(i) भौगोलिक संलग्नता—हर व्यक्ति के मन में अपनी जमीन से किसी-न-किसी रूप में लगाव अवश्य होता है जिसे उसके राष्ट्र, उसकी मातृभूमि अथवा उसकी "तृभूमि के रूप में जानते हैं। इजराइल बनने से पूर्व यहूदी पूरी दुनिया में बिखरे हुए थे, किन्तु उनके मन में इजराइल के प्रति ही लगाव था।

(ii) भाषा-समुदाय—सामान्यतया किसी भी राष्ट्र के नागरिकों की एक आम भाषा होती है क्योंकि इसी के माध्यम से वे अपने विचार तथा संस्कृति का परस्पर आदान-प्रदान करते हैं। राष्ट्र के विकास में भाषा एक सहायक तत्व आवश्यक है, किन्तु यह अनिवार्य तत्व नहीं हो सकती, जैसे—स्विस लोग फ्रेंच, जर्मनी तथा इटैलियन आदि भाषाएँ बोलते हैं किन्तु उन सबकी राष्ट्रीयता एक है।

अथवा

प्रश्न—राजनीति विज्ञान का अर्थ स्पष्ट करते हुए गिलक्राइस्ट की परिभाषा दीजिए।

उत्तर—उत्तर हेतु सेट-1 का प्रश्न क्रमांक 32 देखें।

प्रश्न 25. गाँधीवाद के किन्हीं दो सिद्धान्तों पर प्रकाश डालिए।

उत्तर—गाँधीवाद के सिद्धान्त निम्नलिखित हैं—

(i) सत्य और अहिंसा के विचार—गाँधीवादी दर्शन में सत्य एवं अहिंसा के विचारों को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। सत्य एवं अहिंसा मानव के धार्मिक भावों के विकास के लिए अनिवार्य है। गाँधीजी के अनुसार सत्य ही ईश्वर है। हिंसा जीवन की पवित्रता तथा एकता के विपरीत हैं।

(ii) साध्य तथा साधन की पवित्रता—गाँधीजी का मत है कि साध्य पवित्र है तो उसे

प्राप्त करने का साधन भी पवित्र होना चाहिए। इसलिए गाँधीजी ने साध्य (स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिये पवित्र साधन) (सत्य और अहिंसा) को अपनाया।

अथवा

प्रश्न—समाजवाद के पक्ष में दो तर्क दीजिए।

उत्तर—समाजवाद के पक्ष में तर्क निम्नलिखित हैं—

(i) समाजवाद श्रमिकों एवं निर्धनों के शोषण का विरोध करता है। समाजवादियों ने स्पष्ट कर दिया है कि पूँजीवादी व्यवस्था में पूँजीपतियों के षड्यन्त्रों के कारण ही निर्धनों व श्रमिकों का शोषण करता है। यह विचारधारा शोषण के अन्त में आस्था रखने वाली है इसलिए विश्व के श्रमिक, किसान, निर्धन इसका समर्थन करते हैं।

(ii) समाजवाद औपनिवेशिक परतन्त्रता और समाजवाद का विरोधी है। यह राष्ट्रीय स्वतन्त्रता का समर्थक है।

प्रश्न 26. वर्ग विहीन, राज्य विहीन समाज क्या है ? स्पष्ट कीजिए।

उत्तर—उत्तर हेतु सेट-4 के प्रश्न क्रमांक 33 (अथवा) देखें।

अथवा

प्रश्न—मानवतावाद के चार सिद्धान्त बताइए।

उत्तर—उत्तर हेतु सेट-1 के प्रश्न क्रमांक 33 देखें।

प्रश्न 27. भारत में केन्द्र और राज्यों के मध्य प्रशासनिक सम्बन्धों का वर्णन कीजिए।

उत्तर—प्रशासनिक क्षेत्र में केन्द्र और राज्यों के बीच पूरा सहयोग बना रहे तथा उसमें संघर्ष की स्थिति उत्पन्न न हो इसलिए कई अनुच्छेदों द्वारा केन्द्र को राज्यों के प्रशासन पर नियन्त्रण रखने की शक्ति प्रदान की गई है—

1. केन्द्र सरकार राज्यों को निर्देश दे सकती है—केन्द्र को यह अधिकार दिया गया है कि वह राज्यों को निर्देश दे सके कि उन्हें अपनी कार्यशक्ति का उपयोग किस प्रकार करना चाहिए।

2. राज्यों का एजेन्ट के रूप में उपयोग—राष्ट्रपति राज्य सरकारों को अपने एजेन्ट के रूप में कोई भी कार्य करने की जिम्मेदारी सौंप सकता है।

3. नदियों के जल सम्बन्धी विवाद—संसद को यह अधिकार है कि नदियों के जल के बंटवारे से सम्बन्धित किसी विवाद को निबटाने के लिए उचित कानून बनाये।

4. अन्तर्राज्यीय परिषद् की स्थापना—केन्द्र व राज्यों के बीच सहयोग उत्पन्न करने के लिए यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति यदि चाहे तो अन्तर्राज्यीय परिषद् की स्थापना कर सकतेहैं।

5. राज्यों में राष्ट्रपति शासन—जब राष्ट्रपति आपात काल की घोषणा करते हैं तो राज्यों पर संघीय सरकार का पूर्ण नियन्त्रण स्था"त हो जाता है।

अथवा

प्रश्न—किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति देश में संकटकाल की घोषणा कर सकते हैं ?

उत्तर—उत्तर हेतु सेट-1 के प्रश्न क्रमांक 25 (अथवा) देखें।

प्रश्न 28. बन्दी प्रत्यक्षीकरण लेख से क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—उत्तर हेतु सेट 4 के प्रश्न क्रमांक 27 देखें।

अथवा

प्रश्न—उच्च न्यायालय के न्यायाधीश में क्या आवश्यक योग्यताएँ होनी चाहिए ?

उत्तर—उत्तर हेतु सेट-3 के प्रश्न क्रमांक 35 (अथवा) देखें।

प्रश्न 29. सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का क्या महत्व है ?

उत्तर—सार्वभौम वयस्क मताधिकार का महत्व अग्रलिखित है—

1. वयस्क मताधिकार द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से जनता का शासन में भ.

ागीदारी होती है तथा जनता राष्ट्रीय समस्याओं, माँगों, तथा विभिन्न हितों के विषय में सोचती है। इससे नागरिकों में राजनीतिक चेतना जाग्रत होती है।

2. वयस्क मताधिकार के कारण सरकार व जनता के बीच सामंजस्य पैदा होता है जो शासन की कार्यकुशलता के लिए आवश्यक है।

3. वयस्क मताधिकार के कारण सरकार को संवैधानिक आधार मिलता है।

4. इसका महत्व यह है कि जब चाहे मतदाता सरकार बदल सकती है।

5. वयस्क मताधिकार से नागरिक की प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। देश में क्रान्ति की सम्भावना नहीं रहती है।

अथवा

प्रश्न—भारत में चुनाव पद्धति के चार दोष बताइए।

उत्तर—भारत में चुनाव प्रक्रिया के दोष—

1. निर्वाचन प्रणाली बहुत खर्चीली है। अतः योग्य व अनुभवी प्रत्याशी धन की कमी के कारण चुनाव लड़ने में असमर्थ होते हैं। 2. भारत में प्रतिनिधित्व दोषपूर्ण है। सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला प्रत्याशी विजयी घोषित किया जाता है। भले ही उसे 25 या 30 प्रतिशत मत मिले हों। 3. अधिकांश मतदाता मताधिकार के प्रयोग में उदासीन रहते हैं। मतदाताओं के उदासीनता के कारण अयोग्य प्रत्याशी चुने जाते हैं, सच्चा प्रतिनिधित्व नहीं होता। 4. निर्दलीय प्रत्याशी किसी के उत्तरदायी नहीं होती तथा नहीं होते। पद की लालसा में वे दल बदल कर सत्तारूढ़ दल पैसा भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं।

प्रश्न 30. काँग्रेस आई के मुख्य उद्देश्यों को लिखिए।

उत्तर—उत्तर हेतु सेट-3 के प्रश्न क्रमांक 30 देखें।

अथवा

टिप्पणी लिखिए—(कोई दो)

(1) तेलगू देशम् (2) शिवसेना, (3) अन्ना डी. एम. के. (4) असम गण परिषद्।

उत्तर—प्रश्न के उत्तर हेतु सेट 3 का प्रश्न क्रमांक 30 (अथवा) देखें।

प्रश्न 31. पंचशील के प्रमुख सिद्धान्त लिखिए।

उत्तर—उत्तर हेतु सेट-1 के प्रश्न क्रमांक 38 देखें।

अथवा

प्रश्न—''भारत पाकिस्तान के मध्य विवाद का मुख्य कारण कश्मीर है।'' स्पष्ट कीजिए।

उत्तर—उत्तर हेतु सेट-1 के प्रश्न क्रमांक 38 (अथवा) में कश्मीर विवाद शीर्षक का अध्ययन करें।

प्रश्न 32. राज्य के नीति निर्देशक तत्व निरर्थक एवं अनावश्यक हैं। स्पष्ट कीजिए।

उत्तर—कई आलोचकों ने राज्य की नीति-निर्देशक सिद्धान्तों को नव वर्ष की शुभकामनाओं से बेहतर नहीं माना है। दरअसल इन उच्च आदर्शों को संविधान में शामिल करने के औचित्य पर भी सवाल उठाया गया है। माना जाता है कि ये निर्देश मात्र शुभकामनाएँ हैं जिनके पीछे कोई कानूनी मान्यता नहीं है। सरकार इन्हें लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। आलोचकों का मानना है कि इन सिद्धान्तों को व्यावहारिक धरातल पर नहीं उतारा जा सकता है।

इन सबके बावजूद ये नहीं कहा जा सकता कि ये सिद्धान्त पूर्णरूपेण अर्थहीन हैं। इसकी अपनी उपयोगिता और महत्व है। नीति-निर्देशक सिद्धान्त ध्रुवतारा की तरह है जो हमें दिशा दिखलाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सीमित संसाधनों के बावजूद जीवन के हर पहलू में यथाशीघ्र सरकार द्वारा सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना करना है। कुछ सिद्धान्तों को तो सफलतापूर्वक

लागू भी किया गया है। वास्तव में कोई भी सरकार इन निर्देशों की अवहेलना नहीं कर सकती है क्योंकि वे जनमत का दर्पण हैं, साथ ही ये संविधान की प्रस्तावना की भी आत्मा है। इन्हें लागू करने की दिशा में उठाए गए कुछ कदम इस प्रकार हैं—

1. भूमि सुधार लागू किये गये हैं तथा जागीरदारी एवं जमींदारी प्रथा का अन्त किया गया है।
2. महिलाओं के कल्याण के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गयी है।
3. व्यक्ति की भूसम्पत्ति की सीमा तय करने के लिए भू-हदबन्दी लागू की गयी है।
4. रजवाड़ों को दिए जाने वाले "वीपर्स का उन्मूलन किया गया है।
5. जीवन बीमा, साधारण बीमा एवं अधिकांश बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है।
6. आर्थिक विषमता कम करने के लिए सम्पत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया है।
7. निर्धनों की सहायता के लिए सरकार द्वारा जन-वितरण प्रणाली के माध्यम से सहायता दी जाती है।
8. स्त्री और पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन के लिए नियम बनाये गये हैं।
9. छुआछूत का उन्मूलन किया गया है। अनुसूचिज जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य "छड़े वर्गों के उत्थान के लिए कारगर प्रयास किए गये हैं।
10. 73वें और 74वें संविधान संशोधन (1991 एवं 1992 क्रमशः) के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देते हुए और अधिक सशक्त बनाया गया है।
11. ग्रामीण क्षेत्र में समृद्धि लाने के लिए लघु उद्योग एवं ग्रामीण उद्योग तथा खादी ग्रामोद्योग को प्रोत्साहित किया गया है।
12. भारत अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए सक्रिय रूप से संयुक्त राष्ट्र के साथ सहयोग करता है।

केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा लिए गए उपरोक्त कदम यह दर्शाते हैं कि भारत में एक पक्षनिरपेक्ष समाजवादी एवं लोककल्याणकारी राज्य की नींव डालने के लिए कई नीति-निर्देशक सिद्धान्तों को लागू किया गया है। यह सच है कि सभी नीति-निर्देशक सिद्धान्तों को पूर्णतया लागू करने के लिए बहुत कुछ करना बाकी है।

अथवा

प्रश्न—मौलिक कर्त्तव्यों के महत्व की विवेचना कीजिए।

उत्तर—मौलिक कर्तव्यों की उपयोगिता अथवा महत्व निम्नलिखित हैं—

1. सम्प्रभुता की अखण्डता की रक्षा—मौलिक कर्तव्यों द्वारा नागरिकों को यह निर्देश दिए जाते हैं कि वे देश की सम्प्रभुता तथा अखण्डता की रक्षा करें। यदि सभी नागरिक निष्ठा, ईमानदारी से अपना इस कर्तव्य का पालन करने लग जाऐं तो भारत की सम्प्रभुता और अखण डता चिरस्थायी रहेगी।

2. देश की प्रगति में सहायक—नागरिकों द्वारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाए जाने से देश की प्रगति की दिशा में आगे बढ़ेगा और विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आ जाएगा।

3. प्राकृतिक तथा सार्वजनिक सम्पत्ति की रक्षा—भारत में प्राकृतिक तथा सार्वजनिक सम्पत्ति को नष्ट करने में लोग कोई संकोच नहीं करते। मौलिक कर्त्तव्यों में दिये गये निर्देश के पालन से प्राकृतिक तथा सार्वजनिक सम्पत्ति की रक्षा होगी। प्रदूषण दूर होगा, जिससे स्वास्थ्य-रक्षा होगी, साथ ही देश की प्रगति होगी।

4. लोकतन्त्र को सफल बनाने में सहायक—भारत द्वारा अपनायी गयी लोकतांत्रिक शासन-व्यवस्था तब तक सफल नहीं हो सकती, जब तक नागरिक लोकतांत्रिक संस्थाओं का

आदर न करें। मौलिक कर्त्तव्यों को संविधान में स्थान दिये जाने से लोग इन संस्थाओं का आदर करेंगे, जिससे लोकतान्त्रिक शासन-व्यवस्था सुदृढ़ होगी।

5. संस्कृति की रक्षा और संरक्षण—भारत में समन्वित संस्कृति होने के कारण कश्मीर से कन्याकुमारी तक विभिन्न प्रकार की गौरवशाली परम्पराएँ हैं। मौलिक कर्तव्यों के पालन से ही विभिन्न प्रकार की इन परम्पराओं में समन्वय कर सकेंगे और उनका संरक्षण कर सकेंगे। इससे भारत की सांस्कृतिक एकता सुदृढ़ होगी।

6. विश्व-बन्धुत्व की भावना का विकास—मौलिक कर्त्तव्यों में भारतीय नागरिकों को सद्भावना तथा भाईचारे की भावना बनाये रखने का निर्देश दिया गया है, साथ ही हिंसा से दूर रहने का परामर्श दिया गया है। ये निर्देश और परामर्श मानवीय दृष्टिकोण अपनाने और विश्व-बन्धुत्व की भावना को विकसित करने में सहायक सिद्ध होंगे।

7. स्त्रियों का सम्मान—मौलिक कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करने से समाज में स्त्रियों को सम्मान प्राप्त होगा, जिससे उनकी गरिमा में वृद्धि होगी और लिंग सम्बन्धी भेदभाव समाप्त होकर समानता स्था"त होगी।

उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट है कि हमारे मौलिक कर्त्तव्य संविधान के सर्वाधिक नैतिक और महत्वपूर्ण अंग हैं। इन कर्त्तव्यों के पालन से ही हमारे लोकतंत्र और गणतन्त्र की नींव सुदृढ़ होगी। इन कर्तव्यों से ही हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा हो सकेगी।

प्रश्न 33. ''भारतीय संविधान का स्वरूप तो संघात्मक है परन्तु उसकी आत्मा एकात्मक है।'' विवेचना कीजिए।

उत्तर—भारतीय संविधान का ढाँचा संघात्मक है, परन्तु भावना में एकात्मक है। इसका कारण यह है कि भारतीय संविधान में संघात्मक लक्षण पाये जाते हैं, किन्तु साथ ही एकात्मक तत्व भी मिलते हैं। भारत में शक्तियों का विभाजन तो है पर वह केन्द्र के पक्ष में है। केन्द्रीय सरकार बहुत शक्तिशाली है वह अनेक परिस्थितियों में राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। सम्पूर्ण देश के लिए एक संविधान है तथा नागरिकों को इकहरी नागरिकता प्राप्त है। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और वह केन्द्र सरकार के अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है। संकटकाल में देश का संघात्मक ढाँचा एकात्मक ढाँचे में परिवर्तित किया जा सकता है।

अथवा

प्रश्न—भारतीय संविधान की विशेषताओं का वर्णन कीजिए।

उत्तर—उत्तर हेतु सेट-2 के प्रश्न क्रमांक 26 (अथवा) देखें।

प्रश्न 34. मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है ? मुख्यमंत्री के तीन कार्य बताइए।

उत्तर—मुख्यमंत्री की नियुक्ति—प्रत्येक राज्य में राज्यपाल के दायित्व निर्वहन में सहयोग और सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद् होती है। मुख्यमंत्री राज्य में सरकार का मुखिया होता है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद् राज्य स्तर पर वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करती है।

मंत्रिपरिषद् का गठन—मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। विधान सभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। मुख्यमंत्री की सिफारिश पर बाकी मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है।

नोट—मुख्यमंत्री के कार्यों के लिए सेट-2 का प्रश्न क्रमांक 35 देखें।

अथवा

प्रश्न—संसद के कार्यों का वर्णन कीजिए।

उत्तर—संसद के कार्य—भारतीय संसद के कार्य एवं शक्तियों को विधायी, कार्यपालिका, वित्तीय एवं अन्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है।

1. विधायी कार्य—मूलतया संसद कानून बनाने वाली संस्था है। केन्द्र और राज्यों में शक्ति विभाजन किया गया है जिसके लिए तीन सूचियाँ हैं—संघसूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची।

संघ सूची में 97 विषय हैं और संघ सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है। राज्य सूची में वर्णित विषय पर कानून राज्यों की व्यवस्था"का बनाती है। समवर्ती सूची के विषयों पर दोनों राज्य एवं केन्द्र की व्यवस्था"का कानून बना सकती है। परन्तु समवर्ती सूची के किसी विषय पर संसद तथा राज्य दोनों कानून बनाते हैं और दोनों द्वारा बनाए कानून में अन्तर्विरोध है, तो केन्द्र द्वारा बनाए गए कानून को मान्यता दी जायेगी। ऐसा कोई विषय जिसका उल्लेख किसी भी सूची में नहीं किया गया हो तो ऐसी अविशिष्ट शक्तियां संसद के पास हैं कि वह उस विषय पर कानून बना सकेगी।

इस प्रकार संसद की कानून निर्माण सम्बन्धी शक्तियां बहुत विस्तृत हैं। इसके अन्तर्गत संघ सूची, समवर्ती सूची तथा कुछ परिस्थितियों में राज्य सूची में वर्णित विषय भी आ जाते हैं।

2. कार्यपालिका सम्बन्धी कार्य—संसदीय शासन प्रणाली में विधायिका तथा कार्यपालिका में घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। अपने सभी के कार्यों के लिए कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है।

प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद् व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। संसद अविश्वास प्रस्ताव पारित कर मंत्रिपरिषद् को पदच्युत कर सकती है। भारत में ऐसा कई बार हुआ है। ऐसा 1999 में हुआ जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार केवल एक मत से लोक सभा में विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रही और उसने त्यागपत्र दे दिया। अत: अविश्वास मत या विश्वास मत संसद द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए सर्वाधिक कठोर तरीका है। इसका प्रयोग केवल विशेष परिस्थितियों में ही किया जाता है।

3. वित्तीय कार्य—संसद महत्वपूर्ण वित्तीय कार्य करती है। इसे सरकारी धन का संरक्षक माना जाता है। यह केन्द्रीय सरकार की सम्पूर्ण आय पर नियंत्रण बनाए रखती है। बिना संसद की आज्ञा के कोई धन राशि व्यय नहीं की जा सकती। यह स्वीकृति वास्तविक व्यय से पूर्व या फिर किसी असाधारण स्थिति में व्यय के पश्चात् ली जा सकती है। संसद हर वर्ष सरकार के आय-व्यय अर्थात् बजट को स्वीकृति प्रदान करती है।

4. निर्वाचन सम्बन्धी कार्य—संसद के सभी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव हेतु निर्वाचक मण्डल के सदस्य होते हैं। इसलिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन में वे भाग लेते हैं। वे उपराष्ट्रपति का भी चुनाव करते हैं। लोक सभा अपने अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का तथा राज्य सभा अपने उपसभापति का निर्वाचन करती है।

5. अपदस्थ करने की शक्ति—संसद की पहल पर कई महत्वपूर्ण उच्चस्तरीय अधिकारियों को उनके पद से हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से अपदस्थ किया जा सकता है। यदि संसद के दोनों सदन विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करे तो सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति द्वारा पदच्युत कराया जा सकता है।

6. संविधान संशोधन सम्बन्धी कार्य—संविधान के अधिकांश भागों में संशोधन विशेष बहुमत द्वारा किया जा सकता है। परन्तु कुछ प्रावधान ऐसे हैं। जिनमें संसद द्वारा संशोधन के लिए राज्यों का समर्थन भी आवश्यक है। भारत एक संघ राज्य होने के नाते संसद की संशोधन सम्बन्धी शक्तियाँ अत्यन्त सीमित रखी गई हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक निर्णय में यह कहा है कि संसद संविधान का मूल ढांचा नहीं बदल सकती।

प्रश्न 35. ''सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक एवं मौलिक अधिकारों का रक्षक है।'' व्याख्या कीजिए।

उत्तर—उत्तर हेतु सेट-3 के प्रश्न क्रमांक 25 (अथवा) देखें।

अथवा

प्रश्न—न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए कौन-कौन से उपाय किए जाने चाहिए ?

उत्तर—उत्तर हेतु सेट-1 के प्रश्न क्रमांक 36 (अथवा) देखें।

प्रश्न 36. साम्प्रदायिकता से क्या आशय है ? सम्प्रदायवाद को दूर करने के उपाय बताइए।

उत्तर—साम्प्रदायिकता का अर्थ ''दूसरे समुदाय के लोगों के प्रति धार्मिक, भाषा अथवा सांस्कृतिक आधार पर असहिष्णुता की भावना रखना तथा धार्मिक सांस्कृतिक भिन्नता के आधार पर अपने समुदाय के लिए राजनीतिक अधिकार, अधिक सत्ता, प्रतिष्ठा की मांगें रखना और अपने हितों को राष्ट्रीय हितों से ऊपर रखना है।

साम्प्रदायिकता को दूर करने के उपाय निम्नलिखित हैं— 1. सभी धर्मावलम्बियों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वे अपने धर्म का पालन करने के साथ ही साथ अन्य सम्प्रदायों का भी सम्मान करें। 2. शासन को अपनी पुष्टिकरण की नीति का परित्याग कर देना चाहिए। 3. साम्प्रदायिक संगठनों एवं सम्प्रदायवाद का प्रचार प्रसार करने वाले प्रकाशनों पर सरकारी कानून द्वारा प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। 4. सरकार को ऐसी विधियों का निर्माण करना चाहिए। जिनका उद्देश्य किसी सम्प्रदाय विशेष का हित संरक्षण न होकर सार्वजनिक हित हो। 5. साम्प्रदायिक भावनाएँ फैलने वाले व्यक्तियों को कठोर दण्ड दिया जाना चाहिए। 6. सर्वधर्म सम्मेलनों का आयोजन करके धार्मिक सहिष्णुता का प्रचार करने वाले समाज सुधारकों को सम्मानित और पुरस्कृत करना चाहिए। 7. शिक्षा राजनीतिक संस्थाओं, नौकरियों में साम्प्रदायिक आधार पर कोई भेदभाव नहीं बरता जाना चाहिए। 8. शिक्षा के प्रचार प्रसार द्वारा अशिक्षित जनता को साम्प्रदायिकता के दुष्परिणामों से अवगत कराया जाना चाहिए।

अथवा

प्रश्न—पर्यावरण प्रदूषण के लिए उत्तरदायी कारकों की व्याख्या कीजिए।

उत्तर—प्रश्न के उत्तर हेतु सेट-1 के प्रश्न क्रमांक 29 (अथवा) देखें।

प्रश्न 37. संयुक्त-राष्ट्र-संघ के शान्ति प्रयासों में भारत का क्या योगदान है ? स्पष्ट कीजिए।

उत्तर—उत्तर हेतु सेट-3 के प्रश्न क्रमांक 37 (अथवा) देखें।

अथवा

प्रश्न—''गुटनिरपेक्षता भारत की विदेशनीति की महत्वपूर्ण विशेषता है।'' कथन की पुष्टि कीजिए।

उत्तर—उत्तर हेतु सेट-1 के प्रश्न क्रमांक 38 देखें।

प्रश्न 38. ''संयुक्त राष्ट्र-संघ को अपने उद्देश्यों में उतनी सफलता नहीं मिली जितनी कि आशा की जाती थी।'' "द्ध कीजिए।

उत्तर—उत्तर हेतु सेट-1 प्रश्न क्रमांक 30 देखें।

अथवा

प्रश्न—बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने में यूनीसेफ की भूमिका का वर्णन कीजिए।

उत्तर—बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने में यूनीसेफ की भूमिका

1946 में स्था"त यूनीसेफ पूरी तरह से वंचित बच्चों की स्थिति सुधारने से सम्बन्धित कार्यों पर ध्यान देता है।

यूनीसेफ के बाल-कल्याण को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, मलेरिया उन्मूलन, पोषण, ग्रामीण विकास, परिवार और बाल-कल्याण तथा आपातकालीन सहायता से सम्बन्धित परियोजनाएं संचालित की हैं। इसके द्वारा संचालित किए गए सामाजिक और मानवीय कार्यों के लिए यूनीसेफ को 1965 में नोबल शान्ति पुरस्कार दिया गया था। यह बड़े स्तर पर भारत पर ध्यान देता है। यूनीसेफ ने भारत में बच्चों के लिए एक बेहतर परिवेश निर्मित करने में महत्वपूण र्ा भूमिका अदा की है। इसने भू-जल संसाधनों में अत्यधिक फ्लोराइड की समस्या की पहचान की। राजस्थान और आंध्र प्रदेश इससे सबसे अधिक प्रभावित राज्य हैं।

●●